हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 1991

खण्ड–1, अंक–6

अधिकृत विवरण

विशत सूची

शुक्रवार, 8 मार्च 1991

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(6)31
महार्शि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कोर्ट के	(6)34

निर्वाचन की उम्मीदवारी से नाम वापिस लेना	
चण्डीगढ़ में 7.3.1991 को संघ क्षेत्र की पुलिस द्वारा हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा	(6)35
प्वायंट औफ आर्डर –	
अधिकारी दीर्घा में सी.आई.डी. अधिकारी के बैठने संबंधी	(6)45
चण्डीगढ़ में 7.3.1991 को संघ क्षेत्र की पुलिस द्वारा हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)46
वाक आउट	(6)59
वर्श 1991–92 का बजट प्रस्ततु करना	(6)60
अनैकश्चन 'ए'	(6)91
अनैकश्चन 'बी'	(6)93

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 8 मार्च 1991

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Excise and Taxation Inspectors

***1283. Smt. Kamla Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise total number of posts of Excise & Taxation Inspectors lying vacant in the State at present separately;

(b) the district-wise number of appointments of Excise & Taxation Inspectors, if any, made during the year 1989 to to-date; and

(c) the criteria adopted for the appointments as referred to in part (b) above?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. Teh communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

@Interim reply

"Hukam Singh

D.O. No. 621-ET(6)-91/4266.

Chief Minister, Haryana.

Chandigarh.

March, 7, 1991.

Subject:- Starred Assembly Question No. 1283 asked by Smt. Kamla Verma, M.L.A.

Dear Sh. Chatha Sahib,

Kindly refer to the above-mentioned Starred Assembly Question No. 1283 asked by Hon'ble M.L.A. Smt. Kamla Verma during the current session of Vidhan Sabha. This question has been fixed for 8th March, 1991. The information asked for is not readily available and has to be collected. As the collection of the desired information is likely to take some time, the Government may be given two weeks' extension in time for answering this question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(HUKAN SINGH)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,'

Chandigarh."

Nomination of a Correspondent

***1366. Sh. Sita Ram Singla**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governmejt to nominate the correspondents of National, State and Local details as a permanent member of the district Grievances Committee in the State?

मुख्यमंत्री (श्री हुक्म सिंह): नहीं, श्रीमान जी।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बोहनी में ही जी नहीं कह दिया। पत्रकारों से संबंधित अपने लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा हे कि उनको ग्रोवैसिज कमेटीज में नौमिनेट करने का कोई विचार नहीं है। ऐसी कमेटियां जो जिला और सब डिवीजनल लैवल पर होती है इनके अन्दर पहले पत्रकारों को लिया जाता था। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार एक, दो या चार व्यक्तियों को नौमिनेट करती थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इनको नौमिनेट करने के लिए दोबारा विचार करेगी?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, पहले कभी ऐसी प्रथा नहीं रही है। संबंधित डी.सी. जो नाम भेजता है उनको नौमिनेट कर दिया जाता है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ग्रीवैंसिज कमेटी में किसी को नौमिनेट करने का क्या क्राइटेरिया है?

श्री हुक्त सिंह: इसमें वीकर सैक्शन के लोग, वीमेन, राजनैतिक पार्टियों के लोग तथा सभी सैक्शंज के लोगों के नाम डी.सी. भेजता है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यमुना नगर में दो जनता दल (एस) के मैम्बरों के सिवाएं और किसी पार्टी का सदस्य इस कमेटी में नहीं है, इसका क्या कारण है?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, अगर बहिन जी की पार्टी का कोई सदस्य नहीं है तो हम नौमिनेट कर देंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि ग्रीवैंसिज कमेटी लोगों के कश्ट निवारण के लिए होती है इसलिए अगर पत्रकारों को भी इसमें ले लिया जाए तो लोगों के कश्ट और अच्छे ढंग से दूर हो सकेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है। इसका जवाब आ चुका है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, कई बार जिला स्तर के अधिकारियों की तरफ से लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाती है और उसको वे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। कई बार शिकायत भी बहुत लम्बी होती है जिसका निवारण नहीं होता। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि स्थानीय व राश्ट्रीय स्तर के संवाददाताओं को इनमें लेने के लिए फिर विचार करें ताकि सही मायनों में लोगों के ग्रीवैंसिज रिमूव हो सकें।

श्री हुक्म सिंह: मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इसमें सभी सैक्शंज के लोग होते है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि नहीं। अब इन्होंने यी भी कहा है कि इनमें सभी राजनैतिक पार्टीज तथा सभी सैक्शाज के लोग होते हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, जब ये कहते हें कि सभी सैक्शंज के लोग इनमें लिए जाते है तो पत्रकारों को क्यों लिया जाता?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ गया है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मुख्मयंत्री जी ने अभी बताया कि इन कमेटीज में तमाम राजनैतिक पार्टियों के

लोगों को रिप्रजैंटेशन दिया जाता है। तो कया रिवाडी में हमारी पार्टी के आदमी को रिप्रजैंटेशन मिलेगा?

श्री हुक्म सिह: जरूर मिलेगा।

श्री मुनी लाल: स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ग्रीवैंसिज कमेटी में सभी राजनैतिक पार्टियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह बिल्कुल * * * * बोल रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: झूठ शब्द रिकार्ड न किया जाए। I would not permit you to speak such type of language. You please be seated.

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, ग्रीवैंसिज कमेटी में उस एरिया के मैम्बर पार्लियामैंट और विधायक भी मैम्बर होते हैं।

डा. बृज मोहन गृप्ता: स्पीकर साहब, ग्रीवैसिज कमेटी की मीटिंग में मंत्री, डी.सी. ओर एस.पी. होते हैं। मीटिंग के फौरन बाद वह एक प्रैस कांफ्रैंस बुलाते हैं और उस मीटिंग की मिनटस बताते हैं। यदि उनको मीटिंग में ही बैठने दिया जाए तो बाद में प्रैस कांफ्रैस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Mr. Speaker: Gupta Ji, this is a question of policyg and they do not permit them.

श्री अनिल कुमार विज: स्पीकर साहब, ग्रीवैसिज कमेटी की मीटिंग में वहां के लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। मैं

आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि सिकी समस्या को सुनने के बावजूद भी कोई समाधान न हो तो क्या कार्यवाही की जाती है क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ जिला अधिकारी ध्यान नहीं देते?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, उस कमेटी के सामने जितनी भी समस्याएं रखी जाती हैं उन सभी का समाधान हो जाता है।

Payment of share to Municipal Committee and Panchayats by Excise and Taxation Department

***1316.@ Sh. Suraj Bhan, Sh. Anil Kumar Vij**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether the Excise and Taxation Department has not paid the share of Municipal Committees and Panchayats in Haryana pertaining to carriage of liquor in Panchayats and Municipal limits during the current financial year; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the time by which the payment is likely to be made?

मुख्यमंत्री (श्री हुक्त सिंह):

(क) तथा (ख) 16370398 रूपए का भुगतान पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को उनके क्षेत्रफल में बिकने वाली शराब के लिए किया जा चुका है। लगभग 9.06 करोड़ की शेश राशि के भुगतान की दिनांक 31.3.91 तक संभावना है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहात हूं कि पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं को जो 9.06 करोड़ रूपए की राशि अभी तक नहीं दी गई उस लापरवाही के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, इसमें लापरवाही किसी किसी नहीं है। जो पैसा बाकी रहता है वह 31 मार्च, 1991 तक दे देंगे।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने पैसे की पेमेंट की गई है यह किस किस पीरियड की है और जो पैसा बाकी रहता है उसकी पेमेंट कब तक हो जाएगी? इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पंचायत समितियौं और नगरपालिकाओं को अलाहिदा अलाहिदा कितनी पेमेंट हुई है और जो पैसा बाकी रहता है उसमें से पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं को कितनी, कितनी पेमेंट की जाएगी?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी की नगरपालिकाओं को 19.11.1990 को पैसा दिया गया ओर नारायणगढ़ की नगरपालिका को भी 19.11.1990 को ही पैसा दिया गया था। जो पैसा बाकी रहात है वह 31 मार्च, 1991 तक दे दिया जाएगा। अम्बाला कैंट की नगरपालिका की 715680 रूपए, अम्बाला सिटी की नगरपालिका को 628550 रूपए और

नारायणगढ़ की नगरपालिका की 1 लाख 3 हजार 28 रूपए दिए गए हैं। पंचायत समितियों की अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है।

डा. रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि लीकर बैंडज और अदर सोर्सिज से कितना पैसा इकट्ठा हुआ और उसमें से कितने परसैंट पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज और पंचायतों को दिया गया? इसके अलावा पिछले साल जो पैसा दिया गया था उसके मुकाबले इस साल कितने परसैंट की इन्क्रीज हुई?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, यह पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज की और पंचायतों को उनके एरिया में बिकने वाली शराब में से दिया जाना है। मैं फिर कलियर कर दूं कि शराब की जो देसी बोतल है उस पर एक रूपया और अंग्रेजी शराब की बोतल पर 2 रूपये के हिसाब से उस एरिया में बिकने वाली बोतलों पर इनको दिए जाते है। अब तक हम एक करोड़ 63 लाख रूपये के लगभग यह पैसा इनको दे चुके है और बकाया लगभग 9 करोड़ 6 लाख रूपया 31 मार्च तक दे देंगे। इसमें अबर सोर्सिज से इंकम वाली कोई बात नहीं है।

श्री अनिल कुमार विज: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को यह तो पता ही है कि नगरपालिकाओं की और पंचायतों की वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है। अभी मुख्यमंत्री महोदन ने बताया कि 1 करोड़ 63 लाख रूपये तो इनको दिए जा

चुके है और बकाया लगभग 9 करोड़ रूपया 31 मार्च तक इनको दे दिया जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनको यह पैसा सारा साल रोकने की बजाए क्या इस पैसे को आगे से तिमाही किश्तों में दिए जाने की व्यवस्था करैंगे ताकि वहां पर डिवैल्पमैंट के काम अधिक हो सकें?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, हम अगले साल से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह पैसा उनको क्वार्टली मिल सके।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकें अपने अपने हल्कों में म्यूनिसिपल कमेटीज और पंचायतों को कितनी कितनी यह राशि दी गई के बारे ब्योरा जानना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे सभी 90 के 90 हल्कों में दी गई राशि का विवरण सभी विधायकों को सप्लाई करवायेंगे?

श्री हुक्म सिंह: सभी के पास यह सूचना भिजवा देंगें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी सी.एम. साहब ने बताया है कि म्यूनिसिपल कमेटीज और पंचायतों की बकाया पैसा 31 मार्च तक दे देंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो रकम दी जाएगी यह उन्होंने इसी साल में खर्च करनी है या अगले साल में क्योंकि चालू साल तो खत्म होने वाला है?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, यह उनका अपना पैसा है। चाहे वे इस साल खर्च करें या अगले साल खर्च करें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, जो ऐक्साईज पालिसी इस साल सरकार ने एनाउंस की है उससे शराब की एक बोतल की कितनी कीमत बढ़ेगी? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस बढ़ी हुई कीमत से सरकार की अगले साल कितनी इंकम बढ़ेगी?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल म्यूनिसिपल कमेटीज और पंचायतों को बिकने वाली अंग्रेजी शराब की बोतल पर 2 रूपए और देसी शराब पर एक रूपया दिए जाने से संबंधित है न कि एक बोतल की कीमत बढ़ने से सरकार की कितनी आमदनी होगी।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा है कि शराब की कीमत बढ़ने से कितनी आमदनी होगी?

Mr. Speaker: That is not the question. Mr. Balbir Singh, you please just read the question. चौधरी साहब, यह सवाल नहीं है कि हरियाणा में कितनी शराब निकलती है या कितनी डिस्टिलरीज हैं। सवाल तो सिर्फ यह है कि बिकी हुई शराब में से उन्हें उनका हिस्सा दिया जाना है।

श्री अनिल कुमार विज: अध्यक्ष महोदय, गांव–गांव में ठेके खोल दिए गए हैं। शराब के ठेकों के साथ ही साथ गांवों में शराब के अहाते खोले जा रहे हैं। जिससे बच्चे वहां जाकर शराब पीते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बच्चे शराब के आदी होते जा रहे हैं क्यानको शराब से बचाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधनी है?

श्री अध्यक्ष: यह सप्लीमैंटरी चूंकि मेन सवाल से ताल्लुक नहीं रखती इसलिए इसका जवाब दिया जाना पौसिबल नहीं है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, पैसा ठेकेदार द्वारा पंचायत को दिया जाता है। म्यूनिसिपैल्टीज में ठेके खुले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो शराब की बिक्री होगी क्या उसकी सही इन्कम पंचायतों या म्यूनिसिपैल्टीज को मिलेगी। ठेकेदार अपनी सही बिक्री बताएं क्या इसके लिए सरकार कोई पग उठाएगी?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है, आप बैठें। अगला सवी।

Providing of Employment through Employmnet Exchanges

***1318. Sh. Anil Kumar Vij**: Will the Minister for Labour and Employment be pleased to state –

(a) the district-wise number of persons registered with the Employment Exchanges in the State during the year 1990-91; and

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above provided employment till 31-12-1990?

श्रम मंत्री (श्री बलबीर सिंह सैनी):

(क) वर्श 1990 के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रार्थियों को जिलावार ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) वर्श 1990 में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगे प्राथियों बारे सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

ब्यौरा

(क) वर्श 1990 (1–1–90 से 31–12–90) के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रार्थियों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रमांक	जिला	पंजीकृत प्रार्थियों की संख्या
1	अम्बाला	23966
2	यमुनानगर	14197
3	कुरूक्षेत्र	10469

4	कैथल	11718
5	करनाल	13590
6	पानीपत	9585
7	रोहतक	23990
8	सोनीपत	15304
9	जीन्द	15634
10	भिवानी	19655
11	गुड़गांव	126627
12	फरीदाबाद	17729
13	महेन्द्रगढ़	8958
14	रिवाड़ी	8727
15	हिसार	24011
16	सिरसा	8937
	कुल योग	239097

नोटः– उपरोक्त सूचना अवधि 1.1.90 से 31.12.90 तक की दी जा रही है क्योंकि वर्श 1990–91 की जनवरी से मार्च, 91 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं।

(ख) वर्श 1990 में रोजगार पर लगे प्रार्थियों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क्रमांक	जिला	रोजगार पर लगे प्रार्थियों की संख्या
1	अम्बाला	630
2	यमुनानगर	316
3	कुरूक्षेत्र	478
4	कैथल	368
5	करनाल	635
6	पानीपत	191
7	रोहतक	683
8	सोनीपत	491
9	जीन्द	551
10	भिवानी	343

11	गुड़गांव	411
12	फरीदाबाद	438
13	महेन्द्रगढ़	404
14	रिवाड़ी	187
15	हिसार	617
16	सिरसा	485
	कुल योग	7228

नोटः– प्रार्थियों का पंजीकरण तथा तदपश्चात उनका नौकरी पर लगना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्शवार प्रार्थियों को पंजीकरण तथा उनमें से नौकरी पर लगे प्रार्थियों के आंकड़े नहीं रखे जाते इसलिए किसी अवधि विशेश में नौकरी पर लगे प्राथियों की संख्या का उसी अवधि में पंजीकरण की संख्या से कोई संबंध नहीं होता।

श्री अनिल कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे विभाग, बोर्ड या निगम भी हैं जिनमें बिना ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज से लोगों को नौकरियां दी जाती हैं?

श्री बलबीर सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विभाग,

बोर्ड और कारपोरेशन्ज हैं जिनमें एम्पलायमैंअ एक्सचेंज से छूट दी हुई है। यह छूट आज से नहीं बल्कि कई वर्शों से चली आ रही है। ऐजुकेशन बोर्ड, ऐग्रीकल्चरल मार्कीटिंग बोर्ड, पुलिस डिपार्टमैंट और कई अन्य डिपार्टमैंट, बोर्ड और ऐसे कारपोरेशन्ज हैं जिनमे कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें जल्दी भरना जरूरी होता है। ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज के प्रोसैस में देरी होती है इसलिए वे पद सीधे भर्ती करके भरे जाते हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्श 1990 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 239097 है जब कि रोजगार के वल 7228 लोगों को मिला। क्या मंत्री महोदय इस स्थिति से चिन्तित नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगौं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए क्या सरकार कोई अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाएगी?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है और इसमें सरकारी नौकरियों के साधन सीमित हैं और सभी पंजीकृत लोगों को नौकरियां दिया जाना संभव नहीं है। बेरोजगार लोगों को गाईडैंस देने के लिए 21 वोकेशनल गाईडैंस सैंटर हम ने खोले हुए हैं। सैल्फ ऐम्पलायमैंट स्कीम के तहत हमने डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बेरोजगार लोगों को जानकारी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाई हुई हैं जो कि बेरोजगारो को बता सकें कि किस

माध्यम के लिए उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं तथा उनकी समस्या के समाधान के लिए उनको कारपोरेशनों और कुछ अन्य साधनों से ऋण भी दिलवाया जाता है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोशणा की है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। एक साल के अन्दर केवल 7228 लोगों को रोजगार दिया जा सका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जब एक साल में 7228 लोगों को रोजगार दिया जा सकात है तो 35 लाख परिवारों में लगभग 1 लाख 63 हजार लोगों को रोजगार किस प्रकार दिया जाएगा?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना सरकार के विचारधीन है। इस बारे में सितम्बर, 1990 में हमारे इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर प्रो. सम्पत सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने फरवरी, 1991 तक अपनी रिपोर्ट दे देनी थी। इसी बीच जस्टिस गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो कि अप्रैल, 1991 तक ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो कि बेरोजगार हैं और जिनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को नौकरी नहीं मिली हुई है। (विघ्न) माननीय सदस्या ने कहा है कि 35 लाख परिवार हरियाणा में रहते हें और 35 लाख लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा? तो इस

बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सभी 35 लाख परिवारों के लोग बेरोजगार नहीं है। इनमैं से काफी लोगों को बिजली बोर्ड, रेलवे बोर्ड, ऐजुकेशन बोर्ड, ऐग्रीकल्चरल मार्कीटिंग बोर्ड और दूसरे विभागों ओर कारपोरेशनों में नौकरियां मिली हुई हैं और वे आलरेडी लगे हुए हैं। केवल 1 लाख 63 हजार परिवार ऐसे हैं जो आज नौकरियों से वंचित हैं।

श्री अनिल कुमार विज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि कुद एक विभाग ऐसे हैं जहां पर ऐम्पलायमैंट ऐकसचेंज के बिना चौकरी देने की छूट दे रखी है। ऐम्पलायमैंट ऐकसचेंजिज के अन्दर 5 लाख 91 हजार से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज हैं। दस–दस साल से नाम दर्ज हैं, क्या यह उसके साथ मजाक नहीं है। वह यह उम्मीद लगाये बैठैं हैं कि हमारा भी कभी नम्बर आयेगा। हमें भी नौकरी मिलेगी। उनको नौकरी न देरक सिफारिशों के आधार पर डायरैक्ट जो इन डिपार्टमैंटस के अन्दर भर्ती की जा रही है, उसको रोकने के लिये क्या सरकार कुछ कर रही है?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, जिन विभागों को ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज से छूट दे रखी है, वह भी कोई डायरैक्ट भर्ती नहीं करते हैं। वह भी अखबारों में ऐडवटाईजमैंट करते हैं। उसमे वे लोग भी, जो ऐक्पलायमैंट ऐक्सचेंज के अन्दर दर्ज हैं, ऐप्लाई कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। जिस तरह से अब पुलिस के महकमें को छूट दे रखी है यह इसलिए दे रखी है

क्योंकि चैस्ट, हाईट या दूसरे फिजीकल स्टैंडर्डज को पूरा करने वाले आदमी हमें ऐम्पलायमेंअ ऐक्सचेंज से नहीं मिलते। वे इनकी क्वालिफिकेशन्ज फुलफिल नहीं कर सकते।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने इस सवाल के रिटन जवाब में यह बताया है कि इस साल में 239097 आदमियों के नाम दर्ज हुए हैं। यह तो एक साल के अन्दर दर्ज हुए हैं। इससे पहले कितने आदमी दर्ज है, हैं यानी टोटल एम्पलायमैंट एक्सचेजिज के अन्दर कितने आदमियों के नाम दर्ज है और आपके पास साल के अन्दर टोटल कितनी और वैकेन्सीज हैं यानी कितने आदमियों को आप एकमोडेट कर पायेंगे?

श्री बलबीर सिंह सैनी: सर, हमारे यहां टोटल ऐम्पलायमैंट एक्सचेंजिज अन्दर 5 लाख 91 हजार लोगों के नाम दर्ज हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को एक बात यह बताना चाहूंगा कि इस सूचि में अंकित होने से यह नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र इतने ही आदमी बेरोजगार हैं। हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, लेकिन उनके नाम दर्ज नहीं हैं क्योंकि उनकी नौकरी की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को नाम दर्ज करवाना हो पड़ेगा। सरकार का जो कर्तव्य है, उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी सरकार की यह भावना हर समय रहती है कि किस प्रकार से इस बेरोजगारी के मसले को हल किया जाए। यह एक परिवार एक

रोजगार की स्कीम भी इसी सरकार ने बनायी है ताकि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सके। इसके लिये हर संभव कोशिश की जा रही है।

चौ. सतबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यहां पर यह बताया है कि रोजतक के 683 और अम्बाला के 630 लोगों को रोजगार इस साल में दिय गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि रिवाड़ी और पानीपत सबसे पीछे क्यों रह गये? इनके पीछे रहने का क्या कारण है?

श्री बलबीर सिंह सैनी: स्पीकर साहब, नौकरियों के अन्दर किसी भी जिले के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी लड़के इन्टरव्यू के लिए आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों मैं भर्ती होती है। (व्यवधान व शोर)

श्री कैलाश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मुझे भी सप्लीमैंट्री करने की इजाजत दी जाए। मैं काफी देर से खड़ा हो रहा हूं परन्तु मुझे इजाजत नहीं दी जा रही। हमारा भी कुछ राईट है।

Mr. Speaker: Mr. Sharma, I will not bow before you. It is not a question of right that I should allow you to put the supplementary. How are you saying this? Your leader has put two supplementaries. Your another leader has also put two supplemenataries. There are other parties also in the House

and I have to give time to them also. How can you claim this? Mr. Sharma it is very unfortunate. You please take your seat.

श्री कैलाश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, कल भी मेरा सवाल था। आपने मुझे सप्लीमैंट्री पुट तक करने नहीं दिया। यह भी कोई बात है।

Mr. Speaker: Please take your seat. Sh. Kirpa Ram Punia.

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस बात कात माना है कि हरियाणा की जनसंख्या के आधार पर 35 लाख परिवार हैं और उसमें से 1 लाख 63 हजार के करीब परिवार बेरोजगार हैं। स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय स्थिति स्पश्ट करेंगे कि जब हरियाणा में पौने तीन लाख इस वक्त मुलाजिम हरियाणा सरकार के हैं तो क्या एक परिवार एक नौकरी की स्कीम के तहत 1 लाख 63 हजार और आदमियों को नौकरी सरकार दे सकेगी?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के लोग केवल हरियाणा में ही नौकरी नहीं करते। केन्द्रीय सरकार में शायद यहां की तुलना में ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। इसके अलावा हमारा जो विभाग है उसने कई स्कीमों के तहत बेरोजगारो का मसला हल किया है। हमारा विभाग निगमों और कार्पोरेशंज से लोन दिलवाकर उन बेरोजगारों को रोजगार दिलवाता है। यह बात ठीक है कि 1 लाख

63 हजार परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी परिवार का आदमी नौकरी पर नहीं लगा हुआ है।

श्री कैलान चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि पांच लाख बेरोजगार आलरेडी ऐक्पलायमैंट ऐक्सचेंज मैं रजिस्टर्ड हैं और दो लाख अब रजिस्टर हुए हैं। एक परिवार एक नौकरी देने की जो स्कीम है उसके तहत सभी परिवारों में से एक–एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नौकरी देने में क्या उन लोगों को प्रायरिटी दी जाएगी जो सात आठ साल से रजिस्टर्ड हैं या एक परिवार एक नौकरी देने की स्कीम के तहत इन लोगों को प्रायरिटी दी जाएगी? इस योजना को कैस लागू किया जाएगा क्या कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

श्री बलबीर सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल, 1991 में आयेगी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी और हर संभव कोशिश करेगी कि बेरोजगारी का मसला हल किया जाए।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, क्या प्रायरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो सात आठ साल से रजिस्टर्ड हैं इसका जवाब नहीं आया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ गया है। अप बैठें।

श्री परमा नन्द: मंत्री महोदय ने बताया है कि अप्रैल, 1991 में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और 1 लाख 63 हजार लोगों को नौकारी देने की स्कीम है। स्पीकर साहब, हरियाणा में आलरेडी पौने तीन लाख मुलाजिम काम कर रहे हैं। इसके तहत नान–प्लान में सरकार का काफी खर्चा हो जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन 1 लाख 63 हजार लोगों को नौकरी देने के बाद डिवैल्पमैंट के लिए क्या पैसा बच जाएगा?

श्री बलबीर सिंह सैनी: स्पीकर साहब, जरूर पैसा बचेगा और इस समय हरियाणा में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी तुलना में ज्यादा विकास कार्य होंगे।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमैंट आन दि टेबल आफ दि हाउस रखी है, उसके अनुसार सिरसा में 8937 लोग रजिस्टर हुए और नौकरी मिली 485 को, रिवाड़ी में 8727 रजिस्टर हुए और नौकरी मिली 187 को, फरीदाबाद में 17729 रजिस्टर हुए और नौकरी मिली 438 को। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नौकरी देने में कहीं कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता?

श्री बलबीर सिंह सैनी: स्पीकर साहब, भेदभाव कोई नहीं है। क्वालीफिकेशन के आधार पर नौकरी दी जाती है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, वर्श 1990 में 7228 नौकरी दी गई हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे

कि ये नौकरियां एडहौक बैसिज पर दी गई हैं या परमानैन्ट बेसिज पर दी गई हैं?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, 7228 जो नौकरियां दी गई हैं वे ऐम्पलाएमैंट के थ्रू दी गई और सारी की सारी पक्की है।

10.00 बजे

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की समस्या बड़ी ही गम्भीर है और इस समस्या का समाधान कोई आसान काम नहीं है। कहने को तो हम जो चाहें कह लें पर स्पीकर साहब, मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि कल आरोप प्रति आरोप किसी पर न लगे, इसलिये भर्ती के मामले में जो छूट कारपोरेशनज या दूसरे निगमों या विभागों को दे रखी है, वह तुरन्त बन्द कर देनी चाहिये और सभी भर्तियां ऐम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के द्वारा होनी चाहियें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस मामले में निगमों व कारपोरेशन्ज को जो छूट दी गई है वह छूट परमानैन्ट नहीं है। इसके लिये वर्श फिक्स किया जाता है और नौकरियों की तादाद फिक्स की जाती है कि इतने इतने आदमियों की इस साल में जरूरत है लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है कि आगे के

लिये सारी की सारी भर्ती केवल ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज द्वारा ही की जाए।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, सरकार ने गुरनाम सिंह कमेटी का गठन किया है और साथ ही अपनी यह पालिसी अनाऊंस की है कि एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिये तो ऐसा नहीं किया गया है? अगर यह बात सरकार की सच है तो इस कमेटी की टर्म्ज एंड कंडीशनज क्या–क्या हैं?

श्री बलबीर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, सरकार की करनी और कथनी में कोई अन्दर नहीं है सरकार जो कहती है, वह कर के भी दिखाती है।

Recruitment of Constables

***1343. Sh. Muni Lal**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the district-wise number of constables recruited in Police Department during the period from 1987 to 1990, in the State; and

(b) the number of constables out of those referred to in part (a) above, belonging to Scheduled Castes and Backward Classes?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क) तथा (ख): वांछित सूचना विधान सभा पटल पर रखी जाती है।

सूचना

क्र.स.	जिला/यूनिट	1987 से 1990 तक भर्ती किए गए सिपाहियों की संख्या	भर्ती किए गए सिपाहियों में शैडयूल्ड कास्ट की संख्या	भर्ती किए गए सिपाहियों में बैकवर्ड क्लासिज की संख्या
1	अम्बाला	426	77	40
2	यमुनानगर	2		
3	कैथल	1		
4	कुरूक्षेत्र	307	57	36
5	रोहतक	227	36	3
6	सोनीपत	165	44	20
7	पानीपत	3	1	
8	करनाल	293	56	31

9	गुड़गांव	205	41	19
10	फरीदाबाद	310	54	32
11	नारनौल	212	38	21
12	रिवाड़ी			
13	हिसार	437	36	43
14	भिवानी	152	19	11
15	सिरसा	224	46	48
16	जीन्द	204	44	33
17	रेलवे	362	196	18
18	आप्रेशन्ज	386	38	25
19	बेतार	731	105	101
20	प्रथम बन.ह.स. पु.	197	23	24
21	दिवतीय बन	1217	158	96
22	तृतीय बन.	170	34	16
23	चतुर्थ बन.	1268	190	114

24	पंचम बन.	1017	183	85
	कुल	8516	1476	816

श्री मुनी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अनी स्टेटमैंट में रिवाड़ी के आगे जो निल दिखा रखा है, इसके क्या कारण है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब यह भर्ती हुई थी उस वक्त रिवाड़ी जिला नहीं था, बाद में बना।

श्री मुनी लाल: अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने पानीपत, यमुनानगर वगैरह की सूचना दी है तो फिर रिवाड़ी की सूचना देने में इनको क्या एतराज है?

Mr. Speaker: No need to reply. This is not the way to put the question.

डा. हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर मुस्लिम लोग माईनारिटी कम्युनिटी में गिने जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कम्युनिटी के कितने लोग भर्ती किये गये है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां पर एस.सी. व बी. सी. के बारे मैं पूछा गया था। जो सूचना माननीय सदस्य ने पूछी है इसके लिये ये सैपरेट नोटिस दें।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इनके रिटन रिप्लाई में 17 नम्बर पर भर्ती किये गये सिपाहियों की संख्या 362 दिखायी गयी है और भर्ती किये गये शडयूल्ड कास्ट सिपाहियों की संख्या 196 दिखाई गई है। क्या ये फिग्गर्ज ठीक है?

प्रो. सम्पत सिंह: जी हां। फिग्गर्ज बिल्कुल सही है।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तीन साल पहले यह आदेश जारी किये थे कि हम सरकारी नौकरियों में एस.सी. व बी.सी. के बैकलाग को पूरा करेंगे लेकिन जो फिग्गर्ज सरकार ने दिये हैं उससे यह स्पश्ट होता है कि 8516 में से 1476 तो शडयूल्ड कास्टस लिये हैं और 816 बैकवर्ड क्लासिज के लिये है। करन्ट लिस्ट में 227 शडयूल्ड कास्टस व 741 बैकवर्ड क्लासिज की शार्ट फाल रही है। इसलिये क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि शार्ट फाल की बात तो छोड़ो लेकिन करन्ट में जो कोटा था वह भी पूरा क्यों नहीं किया गया है?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो चौ. उदय भान जी पूछ रहे हैं कि क्या 362 और 196 वाली फिग्गर्ज सही है लेकिन दूसरी तरफ पुनिया साहब बैकलाग का पूछ रहे हैं। मैं उदय भान जी और पूनिया जी को यह बता देना चाहता हूं कि 362 में से 196 लेने का मतलब 50 प्रतिशत से कुछ ज्यादा बनता है। साथ ही यह बता देना चाहता हूं कि इन भर्तियों में केवल

मात्र सिपाहियों की ही भर्तियां नहीं है। इनमें वायरलैस आपरेटर्ज, कमांडोज और ड्राईवर्ज भी आते हैं। कठ सर्विसिज ऐसी भी है जिनके लिये टैक्नीकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वायरलैस आपरेटर्ज के लिये बी.एस.सी. चाहिये और आई.टी. आई. का रेडियों व टैलीविजन का सर्टीफिकेट भी चाहिये। इस तरह के क्वालिफाईड आदमी चाहिएं। इस तरह से कुछ बैकलौग टैक्नीकल क्वाफिकेशन्ज की वजह सेहै वरना साधारण पुलिस में ऐसी बात नहीं है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी स्पश्ट करेंगे कि कांस्टेबल की कुल कितनी भरती की गई और उसमें एस.सीज. और बैकवर्ड क्लासिज की कितनी कितनी शार्टफाल है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, एस.सीज. की कुल भर्ती 17.3 प्रतिशत हुई औरी बी.सीज. की 9.6 प्रतिशत हुई। इस प्रकार से एस.सीज. का शार्ट फाल 2.7 प्रतिशत है और बी.सीज. का प्वायंट 4 है। बाकी अलग अलग कैटेगरी की इस समय मेरे पास फिग्गर नहीं है। मैं अश्योर करता हूं कि ज्यों ज्यों हमारी भर्ती होती रहेगी हम इस बैकलौग को पूरा करते रहेंगे।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, जवाब से साफ जाहिर है कि 27 लोग एस.सीज. के और 40 लोग बी.सीज. के कम लिये गये हैं। इसका मतलब है कि बैकलौग पूरा करने की बजाय ये नया

बैकलौग क्रिएट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह बैंकलौंग और पुराना बैकलौग कुल कितना बनता है ओर इसको कब तक पूरा कर दिया जाएगा। स्पीकर साहब, बाबा अम्बेदकर साहब की जन्म शताब्दी वर्श 14 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है, क्या उस तारीख तक इस बैकलौग को पूरा कर दिया जाएगा?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमारे पास इनकी टोटल स्ट्रैन्गि 30082 है। इसमें से 3595 एस.सीज. हैं और 1895 बी.सीज. हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें 2.7 प्रतिशत एस. सीज. का शार्ट फाल है और प्वायंअ 4 बी.सीज. का है ऐसी बात नहीं है कि यह बैकलौग हजारों की संख्या में हैं। (विघ्न) इन्होंने पूछा की बैकलौग पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है? मैं एक बात बता रहा हूं कि जिसको ुसन कर सारे हाउस को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को हर्श होगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाजत ले ली है कि जब तक यह बैकलौग पूरा नहीं हो जाता तब तक एस.सीज. की 20 प्रतिशत की बजाए 25 प्रतिशत रिक्रूटमैंट करेंगे और बी.सीज. की 10 प्रतिशत की बजाए 11 प्रतिशत करेंगे ताकि यह बैक लौग पूराहो सके। (थम्पिंग)

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, यह मिस लीडिंग जवाब है। गवर्नमैंट आफ इंडिया के भी आर्डर है हरियाणा सरकार को कि जब तक इनका बैकलौग पूरा न हो जाए तक तक दूसरी भर्ती बन्द की जाए। इसलिए केवल 25 प्रतिशत ही क्यों?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब हम पौजेटिव बात बताते हैं कि 20 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत कर रहे है तो भी यह बात इनको गवारा नहीं है। हमारी कुछ डिस्पिलन्ड फौर्सिज होती हैं जैसे कमांडोज की भर्ती है, हम इसमें एज की रिलैक्सेशन नहीं देते। इस वजह से ऐसे पदों का कुछ बैकलौग रह जाता है। दूसरे पदों पर जो भर्ती की जाती है, उसमें एज की रिलैक्सेशन दी जाती है। स्पीकर साहब, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह आर्डर किया है कि जब तक हरियाणा प्रदेश में शिडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के रिजर्वेशन कोटे का बैकलौग पूरा नहीं होगा तब तक शडयूल्ड कास्टस की 20 परसैन्ट की बजाय 25 परसैन्ट रिजर्वेशन के हिसाब से रिक्रूमैंट की जाएगी। स्पीकर साहब, शायद किसी दूसरी स्टेट ने ऐसा नहीं किया है। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां पर शडयूल्ड कास्टस को 20 परसैन्ट की बजाय 25 परसैन्ट रिजर्वेशन दी गई है। (तालियां) जब तक इनका बैगलौग पूरा नहीं होगा इनको 25 परसैट रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरी दी जाएगी।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर शडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लिए क्लास वन और टू की पोस्टों में प्रमोशन के लिये रिजर्वेशन नहीं है।

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को ऐसी शिकायत

मिली है कि कुछ लोग जाली सर्टिफिकेटस दिखा कर पुलिस में भर्ती हो गए, अगर मिली है तो उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कुछ ऐसी शिकायतें आई थी। कुछ लोगों के पास तो भर्ती के समय ही बोगस सर्टिफिकेट पाए गए उनकी भर्ती नहीं किया गया और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए। कुछ लोगों के बारे में रिक्रूटमैंट करने के बाद पता लगा कि उनके सर्टिफिकेटस बोगस हैं। उसको डिसमिस किया गया और गिरफतार किया गया।

डा. रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मेन सवाल के जवाब में जो अनैक्सचर लगाया गया है उसके सीरियल नम्बर 17 से लेकर 24 तक जो यूनिटस है उन्ही में ज्यादातर भर्ती की गई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि डोमिसाइल के हिसाब से डिस्ट्रिक्टवाइज उनका नम्बर कितना है। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात आई है कि सीरियल नम्बर 23 पर जो फोर्थ बटालियन है उसमें कोई ऐसा आदमी भर्ती किया गया हो, जो हैडीकैप्ट की पैंशन ले रहा हो।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह बात मेरे नोटिस में नहीं है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में कोई ऐसी बात है तो वह हमें दे हम उसकी जांच करवाएंगे। इसके अलावा इन्होंने यह पूछा है कि डोमिसाइल के हिसाब से डिस्ट्रिक्टवाइज नम्बर कितना है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कमांडोज की

भर्ती डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं होती इनमें रिक्रूटमैंट इन कम्पनियों के कमांडैंट करते हैं और जहां पर भी कमांडोज की भर्ती होती है वहां पर हरियाणा के सिकी भी जिले का नौजवान जा करके भर्ती हो सकता है। डिस्ट्रिक्टवाइज भर्ती एस.पी. करता है और उसमें उसी जिले के नौजवाबन लड़कों को भर्ती किया जाता है।

चौ. सतबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस की भर्ती में रिजर्वड कैटगरीज के लिए छाती, वजन और हाइट कितनी है और जनरल कैटेगरी के लिये कितनी है। रिजवर्ड कैटेगरीज के लिये जितनी छाती, हाइट और वजन रखा हुआ है यदि उसके हिसाबर से उन कैटेगरीज का कैडीडेट अवेलेबल न हो तो क्या जनरल कैटेगरी से लड़के भर्ती किए जाएंगे?

प्रो. सम्पत सिंह: हरियाणा के अन्दर पहले पुलिस में भर्ती के लिये रिजर्वड कैटेगरीज को छाती, हाइट, वजन और क्वालिफिकेशन में छूट हुआ करती थी। अब केवल उनके लिए एज में ही छूट है और कोई छूट नहीं है।

Grants given by Government

***1329. Sh. Harnam Singh**: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the details of grants blockwise given by the Government during the years 1989-90 and 1990-91?

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): वर्श 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (प्लान तथा नान–प्लान) के अन्तर्गत ब्लौकवार दिए गए अनुदान का ब्यौरा अनुबन्ध ''क'' सदन के पटल पर रखा जाता है।

अनुबन्ध ''क''

सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का खण्डवार ब्यौरा

क्र.स.	खण्ड का नाम	वर्श 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान दिए गए अनुदान	
1	2	3	4
1	अम्बाला	191651	194442
2	बराड़ा	157238	177942
3	बरवाला	155505	192442
4	पिंजोर	176228	209263
5	रायेपुर रानी	177071	187362
6	नारायणगढ़	146214	191497
7	मोरनी	21250	203442
8	लाडवा	190533	210742

9	पेहवा	190443	196242
10	शाहबाद	246335	216442
11	थानेसर	153010	208217
12	जगाधरी	181662	194192
13	बिलासपुर	196514	194192
14	छछरौली	164503	194192
15	सढ़ौरा	21250	203492
16	रादौर	212007	211058
17	फतेहपुर पुण्डरी	149291	203842
18	गुहला	187152	212037
19	कैथल	173475	194442
20	कलायत	140844	175942
21	राजौंद	151856	208942
22	करनाल	352835	499608
23	घरौंडा	195150	283785

24	इन्द्री	218669	302338
25	नीलोखेड़ी	173361	225442
26	निसिंग	149243	186942
27	पानीपत	261518	307032
28	असन्ध	160938	205442
29	इसराना	136941	184352
30	मतलौडा	135712	178857
31	समालखा	333965	593942
32	सोनीपत	223433	277442
33	गन्नौर	355675	357275
34	राई	142863	209042
35	खरखौदा	131775	193942
36	रोहतक	151286	202942
37	झज्जर	162162	234942
38	बहादुरगढ़	152044	206942

39	बेरी	129435	202942
40	कलानौर	149552	199442
41	लाखनमाजरा	136784	197442
42	महम	148776	199942
43	साहलावास	131845	190775
44	सांपला	127054	183442
45	मातनहेल	131083	192275
46	गोहाना	136720	193442
47	कथूरा	132927	196442
48	मुण्डलाना	137618	192442
49	हिसार–1	158065	187662
50	हिसार–2	152719	185782
51	हांसी–1	159318	189830
52	बास (हांसी–2)	146801	179832
53	आदमपुर	148094	179522

54	बरवाला	147113	184532
55	भूना	170226	181712
56	फतेहाबाद	153592	185157
57	नारनौद	151939	182337
58	रतिया	237059	192337
59	टोहाना	162139	191112
60	अगरोहा	21250	191642
61	भटटूकलां	21250	190387
62	उकलाना	21250	190072
63	सिरसा	230411	183167
64	डबवाली	185825	183167
65	बड़ागुढ़ा	191043	81642
66	ऐलनाबाद	172764	182512
67	रानियां	191995	182512
68	ओढ़ा	128365	180557

69	नाथूसरीचोपटा	131845	184037
70	जीन्द	152155	188227
71	जुलाना	130120	177727
72	पिल्लूखेड़ा	132691	189727
73	सफीदो	136628	188227
74	उचाना	130090	
75	नरवाना	157155	177727
76	अलेवा	21250	187032
77	भिवानी	153094	185775
78	बवानीखेड़ा	147028	188942
79	बाढ़ड़ा	125288	191442
80	दादरी–1	128359	193942
81	दादरी–2	127289	185442
82	लोहारू	119692	189442
83	सिवानी	167585	185775

84	तोशाम	133458	200776
85	गुडगांव	141130	184279
86	नूहं	148600	194168
87	नगीना	128768	186942
88	पटौदी	151797	190945
89	पुनहाना	128256	191942
90	सोहना	125857	190892
91	तावडू	116797	192042
92	फरूखनगर	127460	188652
93	फिरोजपुर झिरका	120286	180942
94	फरीदाबाद	162175	209101
95	बल्लभगढ़	452736	367590
96	हथीन	134778	193942
97	होडल	182800	233678
98	पलवल	202159	246397

99	रिवाड़ी	137399	200442
100	खोल स्थित रिवाड़ी	127528	193442
101	बावल	155185	199442
102	जाटूसाना	124721	200442
103	नाहड़	131332	183276
104	महेन्द्रगढ़	160263	173942
105	कनीना	124081	174942
106	नारनौल	116189	173942
107	अटेली नांगल	124976	180942
108	नागल चौधरी	118420	174942
	जोड़	16872024	22293564

डा. हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मंत्रीमहोदय ने जवाब में ''ग्रान्टस'' शब्द लिया है न कि ग्रांट। मैं बताना चाहता हूं कि इन ग्रांटस में कुछ डिसेन्ट्रेलाईजेशन, प्लानिंग, एव.आर.डी.एफ., जे. आर.वाई. और सोशल वैल्फेयर ग्रांटस होती है। इनमें 80 परसैन्ट पैसा सेन्ट्रल गवर्नमैंट का होता है और 20 परसैन्ट पैसा स्टेट गवर्नमैंट को होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो यह पैसा

दिखाया गया है यह इन ग्रांटस में से दिखाया गया है या किसी खास ग्रांट का यह पैसा दिखाया गया है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, 7 स्कीमों के जरिए यह पैसा ब्लाक वाईज दिया जाता है। जो ये 7 स्कीमें हैं उनके नाम मैं आपका बता देता हूं। इनके नाम हैं–

1. Community Development Programme block scheme (Plan and Non-Plan).

2. Promotion adn strengthening of Mahila Mandal (Plan).

3. Consolidated and Development Grants to Panchayat Samities. (Non-Plan)

4. Professional Tax Grant. (Non-Plan)

5. Land Holding Tax Grant. (Non-Plan)

6. Ferries Grant (Non-Plan)

7. Cattle Pounds Grant. (Non-Plan)

ये ग्रान्टस मैं फिर बता दूं ब्लाक वाईज दी जाती है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जा ग्रान्टस दी हुई दिखाई गई हैं इनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने परसेंट ग्रान्ट दी गई है और राज्य सरकार द्वारा कितने परसैन्ट ग्रान्ट दी गई है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: यह जो सूचना है यह वह है कि जो स्टेट गवर्नमैंट द्वारा ग्रान्ट ब्लाक वाईज दी जाती है न कि सेन्ट्रल गवर्नमैंट की स्कीमों को ब्योरा है। सेन्ट्रल ग्रान्टस का अलग से पैसा होता है वह इनमें शामिल नहीं होता।

श्री योगेश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन महीने में मंत्री महोदय ने फरीदाबाद जिले में कितने करोड़ रूपये की ग्रांट देने की घोशणा की है और जो घोशणाएं की हैं उनको कब तक पूरा कर देंगे?

श्री सुभाश चन्द्र कटियाल: इसके लिए अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जाएगा।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा सदन के पटल पर रखी गई सूची में दी गई ग्रान्टस को 31 मार्च तक खर्च किया जाना है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां पर यह पैसा 31 मार्च तक खत्म नहीं होगा क्या वहां की यह ग्रान्ट लैप्स हो जाएगी या नहीं?

श्री सुभाश चन्द कटियाला: स्पीकर साहब, इसमें पैसा लैप्स नहीं होता और न कोई टाईम लिमिट है। वे जब चाहें पैसा खर्च करें यह उनकी मर्जी है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्ययम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद को जो ग्रान्ट सीरियल न. 94 से 98 तक फरीदाबाद, बल्लबगढ़, हथीन,

होडल और पलवल की दिखाई गई है इसमें हथीन को सबसे कम ग्रान्ट देने का क्या कारण है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, सब को ग्रान्ट देते हैं। इसमें किमती बढ़ती की कोई बात नहीं है। हमने सभी को जितना पैसा दिया है वह अनुबन्ध ''क'' में दर्शाया है।

श्री अध्यक्ष: कटियाल साहब, इनके पूछने का मकसद यह है कि हथीन ब्लाक को कम पैसा क्यों दिया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री हुक्त सिंह): स्पीकर साहब, इसका कारण यह हो सकता है कि हथीन ब्लाक में कम पंचायतें होगी। जिस ब्लाक में ज्यादा पंचायतें होंगी उसकी ज्यादा पैसा जायेगा और जिसमें कम पंचायतें होगी वहां कम पैसा जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी एक ब्लौक की ग्रान्ट दूसरे ब्लौक में डाइवर्ट की जा सकती है? यदि हां, तो कहां–कहा की ग्रान्ट इस प्रकार से डाइवअ की गई है?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, एक ब्लाक की ग्रान्ट दूसरे ब्लाक में डाइवर्ट नहीं की जाती है।

डा. रघुबीर सिंह: स्पीकर सर, अपने रिप्लाई में मंत्री जी ने स्कीमों के नाम बताए हैं जिनके तहत ग्रान्टस दी गई है। लेकिन मैंचिंग ग्रान्ट कितनी है यह नहीं लिखा है। यह सवाल

कैटेगरिकल हैं इसमें डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट और मैचिंग ग्रान्ट का भी लिखा हुआ है। मंत्री जी ने ब्लौकवाईज ग्रान्टस का ब्यौरा दिया है लेकिन डिस्क्रिशनीर ग्रान्ट और मैचिंग ग्रान्ट को इसमें शामिल नहीं किया है। यह बहुत ही सीरियस मामला हे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः क्या कोई ऐसा मामला भी है जोकि सीरियस नहीं है? आप सवाल तो पूछ नहीं रहे। आप सीधा सवाल पूछिये।

डा. रघुबीर सिंहः स्पीकर सर, 50 प्रतिशत सवाल तो आप बीच में ही रोक देते है उन्हें मंन्त्रियों तक जाने नहीं देते। मंन्त्रियों के पास वाल जाने चाहिए वे यह कह सकते हैं कि इसका सैपरैट सवाल पूछा जाए।

श्री अध्यक्षः आप सवाल तो पूछ नहीं रहे।

डा. रघुबीर सिंहः स्पीकर सर, जो सवाल पूछा गया है वह ग्रान्टस के बारे में है और जो उत्तर है वह भी ग्रान्टस के बारे में है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें मैचिंग ग्रान्ट और डिस्क्रिशनरी ग्रान्टस की सूचना क्यों नहीं दी गई और जो ग्रान्टस दी गई हे क्या ये उनका ईयरवाईज ब्यौरा देने की कृपा करैंगे?

श्री अध्यक्षः आपने इतना लम्बा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब देना शायद मंत्री के लिए पोसिबल न हो।

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नेहरू रोजगार योजना में जो पैसा आता है वह सीधे ही पंचायतों को भेजा जाता है। जहां तक मैचिंग ग्रान्ट का सवाल है, जितना पैसा गांव वाले इकट्ठा करते हैं उतनी ही मैचिंग ग्रान्ट सरकार दे देती है।

Complaints for Electricity Bills

***1302. Sh. Ashok Kumar**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any complaint has been received by the Haryana State Electricity Board from the farmers in regard to electricity bills during the year 1990-91; and

(b) if so, the action taken thereon?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क) तथा (ख): बिलों के सम्बन्ध में किसानों की सामूहिक शिकायत की कोई सूचना हरियाणा राजय बिजली बोर्ड में नहीं है। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतें सामान्यतया प्राप्त होती हैं जिनको स्थानीय अधिकारी स्तर पर निपटा दिया जाता है। ऐसी सभी शिकायतों के संकलित निपटान के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है और न ही इस पर लगाये गए समय और मेहनत से किसी लाभ की संभावना है।

श्री अशोक कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक महीने का बिल

भरने में यदि किसान एक दिन भी लेट होता है तो उसको जो 60 रूपये जुर्माना किया जाता है क्या सरकार उसको हटाने के बारे में विचवार करेगी?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, एक दिन की बात नहीं है बाकायदा 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि बिल 15 दिन के अन्दर–अन्दर जमा करवाया जाए। यदि बिल फिर भी अदा नहीं किया जाता है उसके बाद बिल पर सरचार्ज लिया जाता है। स्पीकर सर, अगर बिजली के बिलों की अदायगी समय पर नहीं होगी तो बिजली बोर्ड चलेगा कैसे?

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि इस बारे में शायद मुख्यमंत्री जी के नोटिस में बात होगी कि यदि बिल भरने में एक दिन की देरी हो जाए तो 60 रूपये पर मंथ के हिसाब से जुर्माना लगता है, अगर यह बिल अगले महीने भी अदा न किया जाए तो 60 रूपये का और जुर्माना फिर लग जाता है और यह जुर्माना ऐसे ही बढ़ता जाता है। कुछ इस प्रकार की बात लोग बताते हैं कि की गई है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं यही कहा रहा हूं कि यदि पेमैंट लेट होती है तो उस पर सरचार्ज लगता है। आप जानते हैं कि बिजली बोर्ड किसानों को सस्ती दरों पर बिजली देता हैं। हम इस वायदे से बैकआउट तो कर नहीं सकते। लेकिन जो बिल है उसकी अदायगी तो समय पर होनी चाहिए नहीं तो बोर्ड का काम नहीं चलेगा।

चौ. सतबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बिल की अदायगी के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है और 16वें दिन ही यदि बिल न भरा जाए तो उस पर 2 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या कुछ ग्रेस पीरियड रखा जाएगा यह जितने दिन बिल लेट जमा करवाया जाए उसी हिसाब से रेट औफ इन्ट्रेस्ट कम्पयुटर करके चार्ज किया जाए? क्या सरकार ऐसा कुछ विचार करेगी?

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम इनसे सुजैशन इन्वाईट करते हैं। इनके सुझाव मिलने पर हम विचार कर लेंगे।

श्री आत्मा सिं गिल: स्पीकर साहब, मैं आपकी दी आज्ञा नाल मंत्री जी तो ऐह पुछना चाहांगा कि किसान नू जो बिल दित्ता जांदा है की ओह बिल छः महीने बाद नहीं दित्ता जा सकदा क्योंकि हर महीने बिल जमा कराने विच उसनू काफी दिक्कत हुन्दी है। की मंत्री जी इस बारे विचार करन गे कि अगर बिल दी पेमैंट लेट हो जाए ते किसानां नूं जुर्माना ना कीता जाए?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अगर 6 महीने के बाद बिल देगे तो इसमें मुश्किल और भी आयेगी। बिल काफी इकट्ठा हो जायेगा। किसान के लिये उनको पे करना और भी मुश्किल हो जायेगा।

श्री भगवान सहाय रावत: क्या मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि बिजली के बिल समय पर कंज्युमर्ज के पास नहीं पहुंचते और कई बार तो गलत भी दिये जाते हैं। यदि ऐसी कोई शिकायत आयी है तो जो गलत बिल होते हैं, क्या उनको लोकल आफिसर्ज द्वारा ठीक कर दिया जाता है? अगर इस तरह की बातें उनके नोअिस में है तो क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था करने का इरादा है कि बाकायदा बिल्ज पर डेटस डाली जायें, किस दिन का वह इशु हुआ, किस दिन उसकी पेमैंट डयू है और किस दिन वह कंज्युमर की डिलीवर किया गया ताकि उनकी कुछ सुविधा मिल सके।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्य ने जो कुछ बातें कहीं हैं, वह बिल्कुल ठीक है कइ बार बिलों में गड़बड़ होती है। बिल गलत चला जता है। कई बार मीटर रीडर पर बैठे–बैठे ही रीडिंग दे देते है। ऐसे केसिज में लोग स्थानीय कार्यालय में जाते है। जिस बिल में कुद फर्क होता है और अगर वह उस बिल का डयू डेट से पहले चला जाता है तो उसके बिल को उीस टाईम ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अगर वह बिल की पेमैंट करने के बाद शिकायत करता है कि मेरा तो बिल ज्यादा है, उसके मीटर को टैस्ट कराने के पश्चात अगर यह पता लग जाये कि बिल गलत है तो उसकी एक्सैस पेमैंट की अगले बिलों में कटौती कर दी जाती है।

कैप्टल अजय सिंह यादव: मंत्री महोदय ने यह माना है कि मीटर रीडर्ज घर बैठे की रीडिंग दे देते हैं जिस वजह से गलत बिल भी बन जाते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कार्ड लगाने की कोई योजना थी, अगर थी, तो वह आज तक लागू क्यों नहीं की गयी है? उसको अब तक लागू करने में देरी क्यों की जा रही है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मीटर्ज के साथ कार्डज लगाने की बात भी ठीक है। कार्ड लगाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के चीफ इंजीनियर का जो इलाका है, उसके अन्दर जितना भी एरिया पड़ता है, उसके अन्दर हम ने कार्ड सिस्टम शुरू किया हुआ है। अगर वह सिस्टम कामयाब हो जाता है तो हम उस सिस्टम को सारे हरियाणा में शुरू करेंगे।

श्रीमती कमला वर्मा: हरियाणा के अन्दर 16 जिले हैं। कम्पयूटर सारे हरियाणा के लिये केवल पंचकूला में ही लगा हुआ है। जिलों के अन्दर कम्पयूटर नहीं है। किसी को कोई शिकायत हो तो उसको पंचकुला में आना पड़ता है। इसलिये अगर किसी किसान का या शहर के व्यक्ति का बिल गलत आ जाये तो उसकी दिक्कत पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मत्री महोदय कम्प्यूटर को डिवीजन लैवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वह वहीं पर ठीक की जा सके और कोई परेशानी न हो। दूसरे कम्पयूटर की वजह से

बिलों में गलतियां बहुत आ रही हैं, क्या इसके लिये कुछ कर रहे है?

प्रो. सम्पत सिंह: उसके लिये पंचकुला में आने की जरूरत नहीं है। बाकायदा स्थानीय कार्यालय में उसको ठीक कर दिया जाता है। (व्यवधान व शोर) .....

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, 60 रूपये की पैनल्टी सरकार बिल न भरने पर लगाती है। कंज्युमर्ज के ऊपर तो 60 रूपये की पैनल्टी लगायी जा रही है लेकिन सरकार के पास उसकी सिक्योरिटी भी तो होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसकी सिक्योरिटी पर कोई ब्यान दिया जाता है अगर नहीं तो क्या बोर्ड पर कोई पैनल्टी लगाने के लिये सरकार तैयार है?

प्रो. सम्पत सिंह: उस पर कोई पैनल्टी लगाने के लिये तैयार नहीं है।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या बिजली मंत्री की जानकारी में है कि जगन नाथ जी का कम्पयूटर खराब है? अगर है, तो क्या इनको बिजली का एक–आध झटका देंगे और ठीक करेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: यह कम्पयूटर बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह से काम कर रहा हैं।

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Extension of Narwana Minor

***1334. Sh. Tek Chand**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to extend Narwana Minor; and

(b) if so the time by which the aforesaid minor is likely to be extended?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Seepage/Water Logging from J.L.N. Canal

***1348. Dr. Raghuvir Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that there is seepage/water-logging on both sides of Jawahar Lal Nehru Canal in District Rohtak;

(b) if so, the total acreage of land affected by the said seepage/water logging; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to pay compensation to the farmers of the affected land as referred to in part (b) above?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क) जी हां।

(ख) 3083 एकड़।

(ग) सेम से प्रभावित होने वाली भूमि का मुआवजा देने की सरकार की नीति नहीं है।

Recuitment of Drivers and Conductors on Ad-hoc basis in Transport Department

***1308. Sh. Parma Nand**: Whether Minister of State for Transport be pleased to refer to starred question No. 1099 answered on 19-3-1990 and to state –

(a) the depot-wise number of Drivers and Conductors recruited on ad-hoc and on 89 days basis togetherwith the number of persons belonging to scheduled Castes, Backward Classes and Ex-servicemen; and

(b) whether the posts referred above have been filled up according to the reserved quota; if not, the reasons therefor?

@Interim Reply

"Ved Singh Malik

D.O. No. 489-MT/90

राज्य मंत्री,

Transport विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

दिनांकः 5.3.91

Subject:- Starred Assembly Question No. 1308.

Respected Speaker Sahib,

The Stared Assembly Question No. 1308 asked by Sh. Parma Nand, M.L.A. is due for reply on 8.3.1991. The reply involves collection and consideration of the information pertaining to the recruitment of drivers and conductors on adhoc and 89 days basis together with the breakup of persons belonging to the Scheduled Castes. Backward Classes and Ex-servicemen. This information pertaining to more than three years is to be collected from teh General Managers of various depots of Haryana Roadways who are the appointing authorities for these categories of posts. The information is being collected but will require some time for doing so.

Under these circumstances, I would request you to grant an extension of atleast three weeks to furnish the complete reply to the above question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Ved Singh Malik)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Digginng out a Canal in Mewat Area

***1331. Sh. Azmat Khan**: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to dig-out a canal passing through the Mewat area; and

(b) if so, the time by which the aforesaid canal is likely to be dug-out?

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह):

(क) मेवात नहर बनाने की योजना को अभी तक अनुमति नहीं मिली है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार समय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Construction of bus stand at Baldev Nagar Camp

***1338. Sh. Shiv Parshad**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any

proposal under consideration of the Government to construct a Mini Bus Stand at Baldev Nagar Camp in Ambala City, if so, the time by which it is likely to be constructed?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक): हां जी। विभाग ने यह निर्णय लिया कि बलदेव नगर कैम्प अम्बाला शहर में ''ए'' टाईप बस स्टैण्ड बनाया जाए। भूमि का चयन किया जा रहा है, चयन करने पश्चात् फण्डज की उपलब्धि अनुसार निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

(At this stage many members rose to speak.)

Mr. Speaker: Please take your seats. I will reply one by one. Unless and until I satisfy you. I won't proceed further.

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, कल तीन हजार के करीब ऐम्पलाईज मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे थे। उन पर लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज होने के कारण वे घायल हो गए और प्रैस के लोगों को भी गिरफतार किया गया है। वे ऐम्पलाईज बिल्कुल शान्ति प्रिय ढंग से आ रहे थे। हमने इस सम्बन्ध में ऐडजर्नमैंट मोशन दिया था। उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: I am seized of the matter and I am just going to give the decision. Please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, वे एक मैमोरैंडम मुख्यमंत्री को देने आए थे। कोई झगड़े की बात नहीं थी। होना

तो यह चाहिए था कि कि अगर मांग मुनासिब होती तो मान लेते और अगर मुनासिब नहीं थी तो न मानते।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, आप कृपया बैठे।

(At this stage may members again rose to speak).

Mr. Speaker: Please take your seats. This is not the way. I will reply everybody one by one. (Interruptions)

विरोधी पक्ष की ओर से आवाजें: स्पीकर साहब, ऐडजर्नमैंट मोशन को मूव करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: मूव एक ने करनी है या सारे करोगे? ऐडजर्नमैंट मोशन टेक अप करने से पहले I have to make an announcement. अभी आप बैठिए।

महर्शि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कोर्ट के निर्वाचन की उम्मीदवारी से नाम वापिस लेना

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a communication from Sh. Atma Ram Godara, M.L.A., which reads as under:-

"I could not withdraw my candidature for election of two Members to serve on the Court of the Maharshi Dayanand University, Rohtak by the Members of the Haryana Legislative Assembly. I may kindly be permitted to withdraw my candidature at this stage."

Has the member permission to withdraw his candidature now as he could not do so by the prescribed time yesterday.

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Sh. Atma Ram Godara has been permitted to withdraw his candidature and as the number of candidates now left namely Sarvdshri Hira Nand Arya and Mohinder Singh Dahiya, is equal to the number of vacancies, there will be no election to the Court of the Maharshi Dayanand University, Rohtak.

चण्डीगढ़ में 7.3.1991 को संघ क्षेत्र की पुलिस द्वारा हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

Mr. Speaker: I have received an adjournment motion from Sh. Ram Bilas Sharma, M.L.A. and some other Members of the Opposition regarding lathi charge on Haryana Government employees by U.T. Police on 7.3.1991 at Chandigarh. Since this matter is of urgetn public importance and merits immediatte attention of the House, I give my consent under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly and declare that the matter proposed to be discussed is in order. Sh. Ram Bilas Sharma may please ask the leave to move the adjournment motion.

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस ऐडजर्नमैंट मोशन के ऊपर चर्चा की अनुमति चाहता हूं।

Mr. Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to move his motion?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The leave is granted. If the House agrees, this motion be discussed immediately for one hour.

Voices: Yes.

(At this stage Sh. Ram Bilas Sharma rose to speak).

Mr. Speaker: Sharma Ji, let me announce the names of other members, who have given notices of various motions on this subject. यह एडजर्नमैंट मोशन श्री राम बिलास शर्मा, श्री सूरजभान, श्रीमती कमला वर्मा, श्री भागमल, श्री सीताराम सिंगला, श्री अनिल कुमार विज, श्री बलबीर सिंह चौधीर, कामरेड हरपाल सिंह, श्री शिव प्रसाद, श्री कैलाश चन्द शर्मा, श्री जयनारायण खुंडिया और श्री बृज मोहन गुप्ता की तरफ से थीं। इसके इलावा श्री हीरानन्द आर्य और कामरेड हरपालसिंह की तरफ से सैपरेट ऐडजर्नमैंट मोशंज के नोटिस भी आए हैं। रूल 84 के तहत श्री दुर्गादत्त अत्री, श्री योगेशचन्द शर्मा और श्री मुनीलाल की तरफ से इस मामले को डिसकस करेन के लिये नोटिस आया है। इसी सबजैक्ट पर श्री हीरा नन्द आर्य और कैप्टन अजय सिंह के कालिंग अटैंशन के नोटिसिज भी आए हैं। All these notices of motions are attached with the adjournment motion of Sh. Ram Bilas Sharma for which leave has been granted.

चौ. सतबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, हमारी एक काल अटैन्शन मोशन थी। हमारे इस हाउस के भूतपूर्व राजस्व मंत्री चौ. सूरज भान जी ने गलत तरीके से अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम गावं मेनुपर में 103 किल्ले जमीन अलाट करवायी यह इनकी पत्नी के नाम है। बरेरीकलां, नारायणगढ़ में इनकी पुत्री के नाम 52 किल्ले व इसी तरह से दूसरे इनके रिश्तेदारों के नाम बहुत सारी जमीन है जो इन्होंने नाजायज तौर पर अलौट करवाई थी। मेरे पास सारा हवाला है ..... (शोर एवं व्यवधान) इनके जवाई के भाई के नाम मैनपुर गांव जगाधरी में जमीन है। इसी तरह से सुन्दर बहादुरपुर जगाधीर के अन्दर इनके एक और रिश्तेदार को इन्होंने जमीन अलौट करवायी है। इस सारी बात की जांच होनी चाहिये। (शोर) स्पीकर साहब, क्या आप बताएंगे कि उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: Mr. Satbir Singh Kadian, please take your seat. This is not the way. I have not yet decided about it. It is still under consideration. (Interruptions)

(At this stage many members rose and started speaking).

Mr. Speaker: I would not permit any body to speak and behave like this. Please take your seats. I cannot proceed with the business if you do like this.

औनरेबल मैम्बर्ज, नौरमली बजट वाले दिन जीरो आवर नहीं होता और काल अटैन्शन मोशंज वगैरह टेक अप नहीं होती

लेकिन मैंने यह ऐडजर्नमैंट मोशन इसलिए अलौ की है ताकि कर्मचारियों के बारे में जो कल घटना हुई है उसका ठीक विवरण आप सबको मिल जाए। मैंने इस विशय पर डिस्कशन के लिए केवल एक घन्टे का समय निर्धारित किया है ओर कल की तरह 6–7 सदस्य ही बोलें ताकि सभी पक्षों का व्यू प्वांयट हाउस के सामने आ जाए।

अब श्री राम बिलास शर्मा मोशन मूवल करें।

श्री राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

That the Assembly do now adjourn.

अध्यक्ष महोदय, कल चण्डीगढ़ में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के भाई बहन यहां पर अपनी मांगों को लेकर आए। मंत्री जी से उनकी मुलाकात तय थी। बड़े शान्तिपूर्वक ढं गसे वे लोग यहां पर इकट्ठे हुए। वे लोग सरकार को मिलना चाहते थे। सरकारी प्रतिनिधियों को अपनी मांग देना चाहते थे और वे मांगे भी ऐसी थीं जिनके ऊपर मौजूदा सरकार के साथ कर्मचारियों की लगभग 21 बार मीटिंगे भी हों चुकी थीं और कुछ मुद्दों पर समझौता भी हुआ था। 12.3.1990 को गुप्ता जी वित्त मंत्री थे। वित्त मन्त्रालय के कुद वरिश्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कर्मचारियों की कुछ मांगों के बारे और रियायतें देने के बारे कुछ समझौता भी हुआ था। वह फैसला आज तक सरकार ने लागू नहीं

किया है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब से चण्डीगढ़ राजधानी बना है तब से लेकर आज तक कल जैसा कलंकित काम कभी नही हुआ है। यह बड़ी शर्म की बात है और चण्डीगढ़ की पुलिस ने आई.जी. और एस.पी. साहब की हाजिरी में कर्मचारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया। कर्मचारियों को घायल अवस्था में हस्पताल में दाखिल करवाया गया। हमने जब 16 सैक्टर के हस्पताल में घायलों को देखा, जब हम तीन सैक्टर के थाना में गये, वहां बहनों को जिस अवस्था में देखा, हमे उन्हें देखकर बड़ी शर्म आयी।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, उनके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर लाठी के दाग नहीं थे। प्रजातन्त्र में ऐसा जघन्य अपराध कम से कम चण्डीगढ़ में इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ। पता नहीं पुलिस की उनके साथ जाति रंजिश थी या हरियाणा के साथ उनकी बातचीत हुई या नहीं या चण्डीगढ़ पुलिस ने स्वयं अने आप ऐसा किया। जब हम हस्पताल में गए तो वहां पर एक बलवान सिंह, अध्यापक का दो जगह से सिर फटा हुआ था और उसके मुंह से खून जा रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था। हरि कृश्ण भारदवाज, रोजवेज का गरी मैकेनिक लापता है। उसके बारे में उसके साथियों ने बताया कि उसको इतना मारा गया कि वह बचने वाला नहीं। रिक्शा में डालकर उसको कहीं ले जाया गया था और आज तक उसके बारे में कोई

जानकारी नहीं है कि कहां गया। श्री विजय पाल सिंह सांगवान जो पूरे हरियाणा के पी.डब्ल्यू.डी. के क्लास फोर कर्मचारियों के प्रधान हैं, उनकी जुबान नहीं चल रही थी, होठों पर टांके थे और चेहरे पर भी कई जगह टांके थे।

उपाध्यक्ष महोदय, दो–दो सौ कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष फूल चन्द श्योकन्द क्या, राम अवतार क्या बल्कि उनमें 50 महिलाएं भी थीं जिनकी गिरफतारी को चार घंटे हो गए थे। उसके बाद रात को दस बजे उनको जेल में भेजा गया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में गरीब आदमियों के पास संगठित होकर अपनी बात कहने के सिवाए और क्या अधिकार है अपने दुख तकलीफ को राने का। निहत्थे लोग शान्ति प्रिय ढंग से इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐडवाइजर टू गवर्नर श्री बालेश्वर राय से भी मिले। हमारे विधायक दल के सभी साथियों ने, भाई हरपाल सिंह ने तथा जनता दल के लोगों ने उनसे इस बारे में मांग की कि इस मामले को सख्त नोटिस लिया जाए और आई.जी. मि. गुप्ता को कटघरे में खड़ा किया जाए। उनसे पूछा जाए कि इन कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने अपने आप ऐसा जघन्य अपराध किया था या हरियाणा सरकार ने करवाया था, क्योंकि इस बारे में बड़ी भारी गलत फहमी है। कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगे थीं। इनके मैडिकल अलाउंस में 15/– रूपए महीना बढ़ौतरी करके 45 रूपए किया गया है जबकि पड़ौसी पंजाब में कर्मचारियों को मैडिकल अलाउंस 100 रूपए महीना मिलता है।

टाइम बांउड परमोशन स्कीम पंजाब में सालों से चल रही है। हरियाणा सरकार ने भी टाईम बाउंड परमोशन की बात इनके सामने बैठकर लिखित रूप में 12.3.90 को कही ाी कि आपकी यह बात हम मान रहे हैं, वह बाकायदा सर्कुलेट हुई लेकिन उसको अब नए सिरे से इंक्रीमैट में बलला जा रहा है तथा 1.1.86 से ही उसका आधार मान रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में सरकार जो बात कहती है उसकी कीमत होनी चाहिए और कर्मचारियों के सामने जो बात कही जाती है उसकी पूरी तरह से पालन होना चाहिए। आज हरियाणा में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 240 दिन की तेा क्या बल्कि चार–चार और छः–छः साल की सर्विस हो चुकी है। इनमें उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कोई आदमी सड़क पर रोड़ी कूटता है तो कोई पम्प हाउस चलाता है। इनमें से किसी की कंसोली–डेटिड पे 640 रूपए है और किसी की 840 रूपए है। इन बेचारों की सालों से मांग है कि हम अतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे रोजगार की कोई गारन्टी नहीं ळे, हमें काई बैनिफिट नहीं है, जबकि सरकार ने कई बार माना है सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से जब कर्मचारी आते हों और उनकी बात सुनने के लिए सरकार किसी मंत्री की डियूटी लगा सकती थी या चीफ सैक्रेटरी की डियूटी लगा सकती थी लेकिन उनका मैमोरैंडम लेने के लिए कोई आदमी नहीं गया और उनके सिर

फड़ववा दिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कर्मचारियों के बलबूते पर चलती है। सबसे छोटा कर्मचारी सरकार को सबसे ज्यादा प्रिय कर्मचारी होना चाहिए क्योंकि वह सरकार का सबसे ज्यादा वफादार कर्मचारी होता है। वे आए थे अपनी सरकार को राजधानी में मिलने के लिए लेकिन उनका स्वागत करते हैं लाठियों से और खून से। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती।

हरियाणा के लोगों में इस बात से बड़ा भारी रोश पैदा हुआ हे। हरियाणा के लोगौं की गर्दन एक बार फिर झुक गई है। चण्डीगढ़ में हरियाणा के कर्मचारियों पर चण्डीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार की सलाह के बिना यह हिमायत नहीं कर सकती थी। चण्डीगढ़ पुलिस ने यदि यह हिमायत की है तो हरियाणा के लोगौं के दिलों पर जख्म हुए हैं। हरियाणा के कर्मचारी केवल कर्मचारी ही नहीं है वह हरियाणा प्रदेश के और इस देश के नागरिक भी है। हरियाणा के लोगों तक यह बात पहुंची है। आन्दोलन से निपटने का यह कौन सा तरीका है? क्या आन्देालन करना इस प्रजातन्त्र में कोई गुनाह है? क्या लोगों का इकट्ठा होना पाप है, लोगों का अपना सुख दुख रोने के लिए संगठित होना अपराध है तो इसको कानूनी तौर पर क्यों नहीं बंद किया गया? यह कानूनी तौर पर बन्द नहीं है तो जिन लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है उनको कटघरे में खड़ा किया जाये इससे कम कर्मचारियों को संतोश नहीं होगा। हमारे कर्मचारी साथियों के दिलों पर जख्म हुए

हैं। कर्मचारी इस प्रदेश के, इस देश के, इस सरकार के बड़े वफादार और जिम्मेदार नागरिक हैं।

कर्मचारी होना कोई पाप नहीं है। इस सरकार का कभी कोई मन्त्री जा करके थाने में कर्मचारी को थप्पड़ कार देता है। यदि कोई कर्मचारी इस सरकार के मंत्रियों के बीवी बच्चों के मन मुताबिक व्यवहार नहीं करता तो उसको सस्पैंड कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे–छोटे कर्मचारी संगठित होकर अपनी बात कहने के लिए आएं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाये यह बड़े शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जघन्य अपराध हुआ है यह जो सरकार की लाठी–गोली चलाने की आदत पड़ गई है, आदमी की कीमत जो एक लाठी–गोली समझ ली गई है मैं इस ऐडजर्ममैंट मोशन के माध्यम से हरियाणा सरकार से कहूंगा कि वह इस बारे में अपनी स्थिति स्पश्ट करे। आज हरियाणा में आदमी की कीमत कुछ नहीं रह गई है। चाहे वह कोसली का काण्ड हो, चाहे वह मेहम का कांड हो, चाहे वह भिवानी का कांड हो और चाहे वह चण्डीगढ़ का कल का हादसा हो।

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, चंडीगढ़ में तो यू.टी. पुलिस है और अगर माननीय सदस्य चण्डीगढ़ में जो घटना घटी है उसी के बारे में बोलें तो अच्छा है। यदि सारे हरियाणा की बात करेंगे तो जब हम जवाब देंगे तो यह कहेंगे कि आप सारे हरियाणा की बात करते हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा के लोग चण्डीगढ़ को अपनी राजधानी मानते हैं। यदि यह कमजोर सरकार कहीं अपने कम में यह समझ चुकी हो कि चण्डीगढ़ हम दोड़ रहे हैं तो यह इस सरकार की भूल है। हरियाणा के लोग चण्डीगढ़ को अपनी राजधानी मानते हैं। हरियाणा का सदन यहां चल रहा है। हरियाणा का सैक्रेटेरिएट यहां पर मौजूद है। हरियाणा का हाइ कोर्ट यहां पर मौजूद है। चौ. सम्पत सिंह जिस सरकार में हैं उनका अपना निवास स्थान यहां चण्डीगढ़ में मौजूद है। इसीलिए हम मानते हें कि चण्डीगढ़ हमारी राजधानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हरियाणा सरकार की मर्जी के बिना राधेश्याम गुप्ता ने कल का जघन्य कांड करने की हिम्मत की है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रैस के चार साथी वी.पी. प्रभाकर, संजीव गौड़, सव्तंत्र सक्सेना और कपिला ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप लड़कियों को लाठी मार रहे हो इनका क्या अपराध है, तुम इनको बदूक दिखा रहे हो। ये अपना प्याज रोटी लेकर आए हैं तुम इनको मारना चाहते हो। उपाध्यक्ष महोदय उस राधेश्याम गुप्ता आई.जी. ने संजीव गौड़ को बाजू पकड़ कर वहां से चले जाने को कहा। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः शर्मा जी, आप जरा आराम से बोलें। आप तो बहुत ऊंची आवाज में बोलने लग गए हैं। आप वाइंड अप भी करें। (शोर)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, यह जजबात का सवाल हो सकता है। किसी के जजबात को शायद इतनी आग न लगी हो जितनी मेरे जजबात को लगी है। मैंने अपनी आंखों से उन बहनों के घायल बदन देखें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप होस्पीटल में जाते तो आपको पता लगता। आज अगर भगवान मुझे और ऊंची आवाज देता ताो मैं इस दर्द की अभिव्यक्ति और ऊंची आवाज में करता। यह बहुत बड़ी गलत बात हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने अपनी आंखों से सैक्टर–16 के होस्पीटल में घायल कर्मचारियों की हालत देखी होती और सैक्टर 3 के थाने में घायल बहनों की हालत देखी होती तो आपको पता लगता। हम जानते हें कि बहनों का हमारे मन में कितना आदर है। भाई सम्पत सिंह जी बताएं कि कल चण्डीगढ़ में हरियाणा के कर्मचारियों के साथ जो जघन्य कांड हुआ है क्या वह हरियाणा सरकार की सलाह के बिना हुआ है।

श्री उपाध्यक्षः शर्मा जी, आप समय का भी ध्यान रखें। इस मोशन पर बोलने के लिए एक घण्टे का समय तय हुआ है और अभी दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि इस मोशन पर बोलने के लिए एक घंटे का समय तय हुआ है। हम आपस में ऐडजैस्ट कर लेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए। गृहमंत्री जी ने कहा कि चण्डीगढ़ में यू.टी. पुलिस है। चण्डीगढ़ में यू.टी. ऐडमिनिस्ट्रेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह मानते थे कि प्रो. सम्पत सिंह बड़े बहादुर गृह मंत्री हैं और चण्डीगढ़ में भी उनका आदेश चलता है जैसे मेहम में चलता था। अगर इनकी सहमति से कल का चण्डीगढ़ का जघन्य कांड नहीं हुआ तो ये इस बारे में अपनी स्थिति स्पश्ट करें और सरकारी तोर पर राधे श्याम गुप्ता आई.जी. को हरियाणा पुलिस कटघरे में खड़ा करे और उसने हरियाणा के कर्मचारियों के साथ जो अघन्य अपराध किया है उसके बारे में उसके खिलाफ केस दर्ज करें। अगर उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाता है तो हम समझेंगे कि कल के चण्डीगढ़ में हरियाणा के कर्मचारियों के साथ हुए जघन्य कांड में हरियाणा सरकार का कोई न कोई मौन समझौता था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार उस जघन्य कांड का ठीक नोटिस नहीं लेती और ठीक ढंग से इलाज नहीं करती तो यह बहुत संगीन मसला है यह यहीं तक नहीं रूकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: शर्मा जी, अब आप बैठें।

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल वाले हादसे में आपके जिले के ही लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। इस समय में आप उपाध्यक्ष के नाते

इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस सदन में जब यह चर्चा हो रही हो तो आपको सरकारी मन बना करके चर्चा नहीं सुननी चाहिए बल्कि उपाध्यक्ष की हैसियत से बातें सुननी चाहिए क्योंकि आपके हरियाणा के लोगों के साथ यह बात हुई है। इसी मन से आपको यह चर्चा सुननी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved that the Assembly do now adjourn.

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, बातें तो सारी राम विलास शर्मा जी ने बड़े विस्तार के साथ रख ही दी हैं। मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी हमारे पास भी अपनी मांगे लेकर आते रहे हैं और यह संभव भी नहीं कि सभी मांगे उनकी मानी जाएं क्योंकि सरकार की कफद मजबरियां होती हैं, कुछ वित्तीय हालात होते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी बातें नहीं मानी जा सकती लेकिन हम बड़ी शान्ति के साथ उनकी बातें सुनते थे। चौ. देवी लाल जी ने उनकी मांगे मानने के लिए एक कमेटी भी बनाई हुई थी। उस कमेटी ने कुद मांगें मान भी ली थीं ओर कुछ मांगें नहीं मानी गई थी। उनके साथ कुछ समझौता भी हुआ था। जहां तक टाईम बाउंड परमोशन की बात है इसको छोड़ कर तकरीबन सारी बातें उनकी मान ली गई थीं और इस बारे में उनको कहा गया था कि आज चूंकि सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है इसलिए हम

यह मांग इस समय तो पूरी नहीं कर सकते लेकिन जब सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो हम आपकी इस मांग को भी स्वीकार कर लेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कल 20–25 हजार की संख्या में फील्ड से यहां पर कर्मचारी आये। वे बड़ी शान्ति के साथ अपना मार्च कर रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय को अपना मैमोरैंडम देना चाहते थे। उपाध्यक्ष महोदय, या तो सी.आई. डी. की कोई रिपोर्ट आई हो कि वे वायलैंस करना चाहते हैं या फिर उन्होंने खुद पहले वायलैंस शुरू किया हो तो फिर सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ता है। लेकिन वहां पर ऐसे कोई हालात नहीं थे जिनकी वजह से यह नौबत आती। उपाध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ की पुलिस ने जितनी बेदर्दी के साथ उन पर लाठियों का प्रहार किया है उसका तमाम विवरण शर्मा जी ने दे दी दिया है इसलिए अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वहां पर हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि वहां पर महिलाओं पर भी लाठी प्रहार हुआ है और उनके शरीर पर भी गम्भीर जख्मों के निशान हैं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है तो यह बहुत ही लज्जाजनक बात है कि अपने कर्मचारी किसी दूसरी पुलिस द्वारा पीटै जा रहे हों और सरकार को उसका कोई ज्ञान न हो। ऐसे हादसे की जानकारी सरकार को सबसे पहले होनी चाहिये थी। जितनी हमदर्दी सरकार कर्मचारियों से हमारी है उससे ज्यादा हमदर्दी सरकार को होनी चाहिये।

सरकार को जख्मी पड़े कर्मचारियों को देखने के लिए हस्पताल जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री महोदय ने किसी की डयूटी लगानी चाहिये थी जो उनके पास जाता और उनकी बात सुनता। अगर आप लोगों की तरफ से कोई इशारा नहीं है तो फिर चण्डीगढ़ पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह हरियाणा के कर्मचारियों पर अत्याचार करे। अपनी सरकार को सख्त कदम उठाये इस मामले में जिम्मेदार पुलिस आफिसर्ज के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी। मैं तो यह चाहूंगा कि यदि सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है तो अब भी सख्त कदम उठाते हुए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एकशन लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वे भी एक सोशलिस्ट विचारधारा रखते हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी सोशलिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। जब हमारे राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री सोशलिस्ट विचारधारा रखते हों और उनके रहते हुए कर्मचारी दूसरी पुलिस क्षरा पीटे जांये और उन पर अत्याचार हों तो यह सरकार को शोभा नहीं देता। उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें शर्मा जी ने कही हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और सरकार को इस तरह ध्यान देना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हं कि जहां तक संभवन हो उनकी जो न्यायोचित मांगें हैं उन्हें सरकार को मान लेना चाहिये। इतनी बात कहते हुए मैं अपना स्थान लेना हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौन्द): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हादसा हुआ है इससे हम सबको बड़ी शर्मिन्दगी हुई है। सुबह बहुत से ऐम्पलाईज हम से मिले और हमने उनको तकलीफ को जानने का प्रयास किया। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाने के लिए आपके माध्यम से मैंने यहां एक प्रस्ताव भी दिया। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो कर्मचारियों ने हमें बहुत सहयोग दिया था। 4 साल से उनके मामले लटक रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे हमारे मतदाता भी हैं और हमारे सेवक भी हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए। यह चाहिए था कि स्वयं मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि जाकर उनकी बात को सुनता। उनका जो शान्तिपूर्ण आन्दोलन था अगर उसकी वजह जान ली जाती तो कोई हर्ज नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनसे हमदर्दी रखते हुए उनकी जो जायज मांगे हैं उनकी बैठकर सुलझाया जाए। इनकी जो मांगें हैं इस बारे अब भी बात की जा सकती है। जिन लोगों ने लाठीचार्ज का जघन्य अपराध किया है और सरकार के नोटिस में सारी बातें न लाते हुए अपराध किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। जिन बहनों को लाठियों से चोटें आई हैं उनकी हालत को देखते हुए उन्हैं किसी न किसी तरह से कम्पनसेट करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय,

मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, कल का जो हादसा है वह इस सदन में बैठे हुए सभी विधायकों के लिए बड़ा ही दुखदायी हादसा है और हरियाणा की जनता के लिए भी एक चेतावनी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का सलूक कर्मचारियों के साथ चण्डीगढ़ में किया गया वह बहुत ही अफसोस की बात है। कर्मचारियों को मांगे 1986–87 से लग्टक रही हैं। कभी इसी सरकार ने उनसे वायदा किया था कि उनको मांगों को पूरा किया जाएगा। आज मंहगाई 3 से 5 गुणा बढ़ गर्ठ है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई बल्कि उन्हें चण्डीगढ़ की सड़कों पर पीटा गया। जिस समय कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ उस समय मैं वहीं मौजूद था। जैसे कि अभी भाई राम विलास जी ने बताया कि पत्रकारों ने भी वहां पर बार–बार पुलिए अधिकारियों से कहा कि लाठीचपार्ज करने की बजाये यदि कर्मचारी गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो उनको गिरफतार किया जाए। पुलिस अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमारे हरियाणा की पुलिस और सी. आई.डी. वैसे तो बहुत ही ऐफिशियेन्ट है और दिल्ली तक की सूचना उनके पास रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस सी.आई.डी. के पास इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि 40–50 हजार कर्मचारी अपनी मांगों के सर्मथन में चण्डीगढ़ आ रहे हैं। सी.आई.डी. वालों को तो

बड़े–बड़े कामों से ही फुर्सत नहीं है वे तो यहां विधान सभा में भी बैठे हुए होंगे और हमारी सी.आई.डी. कर रहे होंगे। हरियाणा के 50 हजार कर्मचारी यहां पर आए। उस कर्मचारियों को गिरफतार करने का वहां पर कोई इन्तजाम नहीं था। जब वे यहां पहुंचे तो दो बसें पुलिस की आई जिनके हाथों में लाठियां और दूसरे हथियार थे। कर्मचारी नेताओं के बार–बार कहने पर भी कि उन्हें गिरफतार किया जाए, उन्हें गिरफतार नहीं किया गया बल्कि उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हम उपको मना करते रहे तथा कहते रहे कि उनकी बात सुनी जानी चाहिये और उनकी मांगे मानी जानी चाहिये लेकिन पुलिस वालों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें गिरफतार करके चण्डीगढ़ जेल में भिजवा दिया जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे यह शक जाहिर होता है कि हरियाणा सरकार और यू.टी. के वे काबिल अफसर जिन्होंने यह काण्ड करवाया है, के बीच मिलिभगत रही होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं वहां पर मौजूद पत्रकारों पर भी हमला करने की कोशिश की गई।

11.00 बजे

आई.जी. ने उनको थ्रटैन किया जब उन्होंने यह कहा कि गैर इन्सानी तरीके से सरकार कर्मचारियों को खींचा जा रहा है। उसको यह कहा गया कि हम अपको अरैस्ट कर लेंगे। जब उन्होंने उनके गैर इन्सानी तरीके पर व्यवहार मे दखल दिया तो उनको काह गया कि हम तुमहो अरैस्ट कर लेंगे। जब उन्होंने यह

पूछा कि हमें बताओ कि कितने लोगों को चोटें लगी हैं और कितने आदमी बन्द किये हैं तो उनसे यह कहा गया कि यह कोई सवाल नहीं ळै। में इसका जवाब नहीं दूंगा। वह आई.जी. यह कहता है कि तुम हमसे सवाल पूछ ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखिये, इतना बड़ा जिम्मेवार आफिसर मौके पर मौजूद हो जिससे खुद बीच में खड़े होकर यह सारा काम करवाया हो, उसके लिये कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। अगर तो सारा काम करवाया हो, उसके लिये कोई न कोई तो जिम्मेवार होगा। अगर तो वह अपनी मज्री से यह काम कर रहा था तब तो यह उसकी अपनी गलती है। उसको फौरन कटघरे के अन्दर खड़ा करना चाहिये। अगर उसने अपनी मर्जी से नहीं किया तो सरकार को यह बताना चाहिये कि ऐसा क्यों किया गया। फिर इसके लिये यह सरकार दोशी है। मेरे पास बजट स्पीच है। 14 मार्च, 1990 को हमार बजट पेश हुआ था। आदरणीय भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने अपनी उस स्पीच में यह माना है कि कर्मचारियों की मांगे मानी जा रही है। यह बात विधान सभा के अन्दर कही गयी है। बड़े अफसोस की बात है कि आन दी फलोर आफ दी विधान सभा एक बात मानी गयी हो और हमारे वित्त मंत्री ने यह वायदा किया कि हम यह पूरा करने जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली यह मांगें आज तक पूरी नहीं हुई हैं। वह अश्योरैंस आज तक लागू नहीं किया गया। बार–बार यह सरकार कहती है कि हम सरकारी कर्मचारियों की मांगें मानने जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है। हरियाणा की

जनता के साथ यह मजाक किया जा रहा है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बात की जांच करवायी जाये कि उसके लिये कौन लोग दोशी हैं जिन्होंने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है और उनको बिना शर्त रिहा किया जाये। मैं यह चाहता हूं कि सरकार यही पर डिक्लेयर करे कि जो लोग गिरफतार किये गये हैं, उनको बिना शर्त सरकार रिहा करेगी और उनकी मांगे मानी जायेंगी। मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि गिरफतार किये गये सरकारी कर्मचारियों की बिना शर्त रिहा किया जाये। जब मिनिमम वेजिज का सवाल आया तो हमें पता है कि हमारे आदरणीय भूतपूर्व डिप्टी प्राईम मिनिस्टर ने यह कहा था कि हम मिनिमम वेजिज 800 रूपये करेंगे लेकिन आज भी फारैस्ट डिपार्टमैंट के बहुत सारे ऐसे ऐम्पलाईज हैं जिनको सर्विस में आये हुए 10–10 साल से भी ज्यादा हो गये हैं लेकिन उनको रैगुलेराईज नहीं किया जा रहा है। 14–14 साल से कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। यहां पर यह कहा गया कि हम 8000 कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं लेकिन जो 14–15 साल से वहां पर लगे हुए हैं, उनको आज तक रैगुलेराईज नहीं किया गया। मेरा कहना यह है कि उनको भी पक्का किया जाना चाहिये जहां तक दोशी व्यक्तियों का सवाल हैं जिन्होंने उनके ऊपर बिना बात के लाठी चार्ज किया है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिये। इसके साथ ही मैं एक अपील भी अपनी सरकार ने करूंगा कि उनको फौरन उनकी मांगों को मान लेना चाहिये। वे अपनी मांगें मनवाने के लिये 1986 के अन्दर जब इलैक्शन हो रहा

था, उस समय से लड़ते आ रहे हैं। उस समय इलैक्शन के समय हम उनसे यह वायदा भी करके आये थे कि हम तुम्हारी मांगों को मानेंगे। शायद आपको भी याद होगा जब फूल सिंह श्योकन्द तथा एक अन्य साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस समय चौ. देवी लाल ने उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई थी और उनसे यह कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी मांगों को मानेगे। (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिए।

प्वायंट आफ आर्डर –

अधिकारी दीर्घा में सी.आई.डी. अधिकारी के बैठने सम्बन्धी

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मेरा व्यवस्था कर प्रश्न यह है कि क्या हरियाणा विधान सभा के सदन में सी.आई.डी. करने के लिये गुप्तचर विभाग का अधिकारी यहां पर बैठ सकता है और सी.आई.डी. कर सकात है। अगर नहीं कर सकात तो वह (एक अधिकारी की ओर इशारा करते हुए) किस प्रकार से यहां र लगातार बैठ रहे हैं? मैं इस प्वायंट पर अपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह विधान सभा का इन्टरनल मैटर है। सब चीजों को ध्यन में रखते हुए ऐसा किया गया है।

श्री सूरज भान: आपकी इस बारे में रूलिंग क्या है। क्या कोई भी बैठ सकता है?

श्री हीरा नन्द आर्य: बेशक आप थोड़ी देर बाद रूलिंग दे दें।

श्री सूरज भान: आप बेशक किसी अफसर को कंसल्ट करके यह रूलिंग बाद मैं दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, इस प्रश्न पर मैं अपनी रूलिंग @ बाद में दे दूंगा!

चण्डीगढ़ में 7.3.1991 को संघ क्षेत्र की पुलिस द्वारा हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सूरज भान (मुलाना–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, 2 मार्च के बाद जिस दिन हरियाणा के दो सरकारी कर्मचारी दिल्ली की पुलिस ने गिरफतार किए थे कल का दिन हरियाणा की तारीख में दूसरा काला दिन माना जाएगा। कल सरकारी कर्मचारियों पर, उन जख्मी भाई बहनों पर जिस तरह से ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ और जो मैंने उनकी हालत देखी उनको देखने के बाद मेरी जबान से एक शेर निकलता है लेकिन मैं उस शेर को छोड़ता हूं कहीं ऐसा न हो कि जजबात में वह कर मैं आगे बढ़ जाऊं। उपाध्यक्ष महोदय, तीस चालिस हजार के करीब सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आए

थे। वे मुख्य मंत्री को अपनी मांगे पेश करना चाहते थे। मुख्यमंत्री नहीं थे तो चीफ सेक्रेटरी उनका मांग पत्र लेने के लिए जा सकते थे। अगर चीफ सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं थे तो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जा सकते थे लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कोई नहीं गया। एक ज्वायंट सेक्रेटरी को भेजा गया। ठीक है वह भी आई.ए.एस. अफसर होता है। उपाध्यक्ष महोदय जहां तीस चालीस हमाार सरकारी कर्मचारी अपना मैमोरैन्डम देने आएं और कोई बड़ा अफसर उसको रिसीव करने न जाए यह बड़ी अजीब बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जो मुझे पता लगा उनकी मांग थी कि पंजाब पैटर्न पर हाउस रैंट दिया जाए। 240 दिन से जो आदमी काम कर रहे हैं, उनको रैगुलर कर दिया जाए लेकिन यहां तो दो सौ चालीस दिन की बात ही क्या है ग्यारह ग्यारह साल से लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको रैगुलर नहीं किया है। एक मांग यह थी कि उन्हें टाईम बाउन्ड प्रोमोशन मिल जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार यह स्पश्ट करे कि कितनी उनकी मांगे थीं और उनमें से सरकार ने कितनी मांगे मानी ली हैं। उपाध्यक्ष महोदय मुलाजिमें का कहना था कि हम पीसफुल हैं। तीस चालीस हजार के करीब वे थे। उनका कहना था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती और अगर हमें आगे नहीं जाने दिया जाता तो हमें गिरफतार कर लिया जाए। चण्डीगढ़ की पुलिस दो बसिंज लेकर आई। उसके पास न काफी बसिज थीं और न इतनी कर्मचारियों को रखने के लिए जगह थी। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाल कि उन पर लाठी चार्ज करो और टीयर गैस का

इस्तेमाल करो। उन पीसफुल कर्मचारियों को मांगों के बदले में लाठी चार्ज और टीयर गैस मिली। मैंने कर्मचारियों के प्रधान फूल चन्द श्योकन्द को देखा था। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। पचास आदमी चोट के कारण सोलह सैक्टर के अस्पताल में दाखिल थे। सैक्अर तीन का जो थाना है वहां पर भी काफी कर्मचारी थे। उन सबको चोट लगी हुई थी। कोई उनके आयोडैक्स मल रहा था और कोई पट्टी बांध रहा था। थरटी बेज बिल्डिंग पर भी दस बारह हजार मुलाजिम थे। उनमें से काफी लोग जख्मी थे। डिप्टी स्पीकर साहब दो आदमी तो मैंने ऐसे देखे जिनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी हुई थी। हो सकता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। कुछ लोग प्राईवेट डाक्टर्ज के पास इलाज के लिए गए थे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि चलो मैमोरैण्डम तो लेने के लिए कोई नहीं गया लेकिन क्या उन जख्मी भाई बहनों की हालत के बारे में पता करने के लिए कोई गया था? मेरे ख्याल में कोई नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय जो कर्मचारी थाने में बैठे थे उनको दोपहर के टाईम गिरफतार किया गया था लेकिन उनको कोई चाय या रोटी नहीं दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, ये मुताजिम कर्मचारी तो जरूर हैं लेकिन इस देश के नागरिक भी तो हैं। क्या वे दूसरे दर्जे के नागरिका हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने 1987 के चुनाव के समय अपनी नोकरी को खतरे में डालकर साइकिलों पर घूम घूम कर इस गवर्नमैंट के लिए प्रचार किया और यह गवर्नमैंट बनाई। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह बदकिस्मती है कि

हमारी अपनी निजी कैपीटल नहीं है और दूसरी हमारी समस्या यह है कि यहां हमारे अपने मुलाजिमों को हैन्डल करने के लिये हमारे अपने आदमी नहीं होते बल्कि चण्डीगढ़ के होते हैं और यहां के वरिश्ठ पुलिस अधिकारियों, आई.जी. व एस.पी. की हैवानियत ही कहिये कि उन्होंने अपने सामने भोले भाले कर्मचारियों पर लाठी चार्ज करवाया। मैं तो यह चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ऐसे अफसरों की इम्मीजीएटली ससपैन्शन की मांग करे और आगे भविश्य में ऐसी बात कभी होने न पाए। इस बात के लिये कोई रास्ता निकाले। ऐसी समस्याओं का हमेशा के लिये कोई न कोई हल अवश्य निकलना चाहिए। आखिर हमारा कैपीटल सांझा है। हमारा भी इस पर हक है। आगे के लिये इस किस्म की सिचुएशन पेश न आये इसलिये मेरा सुझाव है कि इस हाउस की एक कमेटी बनायी जाए जोकि इस प्रकार के मामलों को डील करे। आगे के लिये यह होना चाहिये कि अगर कोई सरकारी कर्मचारियों का संगठन किसी अपनी मांग को लेकर यहां आए तो उनका एक नुमाइन्दा इस कमेटी में भी लिया जाए। अगर व्यापारियों व किसानों की तरफ से कोई ऐजीटेशन हो या वे मांग लेकर आएं तो उनके भी नुमाइंदे इस कमेटी में रखे जाने चाहियें ताकि ऐसी समस्याओं का कुछ न कुछ हल अवश्य निकल सके। यह एक प्रकार से अच्छी परम्परा होगी। मेरी एक और सबमिशन है कि मैं यह चाहता हूं कि उन कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगे मान ली गई हैं और कितनी कितनी रहती हैं और जो मांगे रहती हैं उन्हें कब तक सरकार पूरी कर देगी। इस बात का जवाब यहां हाउस में

सरकार को देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो कल कर्मचारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, यह चुनाव के वक्त में सरकार के कफन में कील का काम देगा। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार स्वयं इस सब के लिये दोशी है लेकिन विरोधी दलों के ऊपर अपनी बदनामी से बचने के लिये सरकार कीचड़ उछाल रही है। इस तरह सरकार विरोधी पक्ष को बदनाम नहीं कर सकती। इसलिये मेरी सरकार से पुरजोर गुजारिश है कि सरकार उन कर्मचारियों की हर मांग को पूरा करे ताकि प्रदेश के अन्दर पूरा तरह से शान्ति स्थापित हो सके।

कैप्टल अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, सर्व कर्मचारी संध के लोग अपनी मांगों के संबंध में कल अपना मैमोरैन्डम देने के लिये चण्डीगढ़ आए थे और बड़े आन्तिपूर्वक ढंग से वे लोग अपनी मांगों के समर्थन में इकट्ठे हुए थे लेकिन उन्हें चण्डीगढ़ प्रशासन के पुलिस अधिकारियों की देख रेख में मारा पीटा गया जोकि लोकतांत्रिक परम्परा के विरूद्ध है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहां के कोई जिम्मेवार अधिकारी वहां उनके पास नहीं गये। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बड़ी तादाद में कल कर्मचारी यहां पर इक्ट्ठे हुए थे शायद आज से पहले कभी नहीं इक्ट्ठे हुए। मेरा कहना है कि इस मामले को सुलझाने के लिये हरियाणा सरकार का चण्डीगढ़ प्रशासन से कोई तालमेल अवश्य होना चाहिये था ताकि कल जो कुछ हुआ है उससे कर्मचारियों को बचाया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जिस निमम

तरीके से महिलाओं और दूसरे कर्मचारियों को पीटा गया वह लोकतांत्रिक परम्परा के विरूद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कर्मचारियों तक भी सीमित नहीं रही बल्कि वहां पर पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। एक पत्रकार ने आई.जी. साहब से कहा कि आप इस तरह से मार पीट क्यों कर रहे हैं? उप पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप मुझे अपना निर्देश क्यों दे रहे हैं और अपना भाशण मुझे क्यों झाड़ रहे हैं? (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, यहां तक उन अधिकारियों ने कहा कि इनको अरैस्ट कर लो। इस प्रकार से अगर प्रैस को भी इस बात की स्वतन्त्रता नहीं होगी तो वे अपनी बात कहां कह सकेंगे? कर्मचारियों की मुख्य मांगे थीं, टाइम बाऊंड परमोशन, जोकि सरकार ने 12.3.90 को कुछ हद तक मान भी ली थी। अध्यक्ष महोदय, वर्क चार्जड या डेली वेजिज के जो कर्मचारी हैं, वे शायद 10–10, 20–20 सालों से यूही काम कर रहे हैं उनको परमानैन्ट करने की मांग थी, कर्मचारियों की पे अनौमली की मांग थी। अध्यक्ष महोदय, क्लास बन और टू की तो सरकार ने सभी मांगे तकरीबन मान ली लेकिन क्लास थ्री व फारे की पे–अनौमली के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार हाउस रैन्ट के बारे में भी कर्मचारियों की मांग थी। चण्डीगढ़ में रहने वाले और ए क्लास सिटीज में रहने वाले कर्मचारियों के हाउस रैन्ट में दूसरे कर्मचारियों की निस्बत जोकि छोटे कस्बों व शहरों में रहते हैं, काफी डिफरैन्स है। इसी तरह से

मैडीकल अलाउंस की कर्मचारियों की एक मेन मांग है। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि सरकार को कर्मचारियों की इन सभी मांगों को सहर्श स्वीकार कर लेना चाहिये ताकि प्रदेश के अन्दर शान्ति का माहौल हो सके। इससे आगे अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि यू.टी. में हरियाणा केडर के एक अधिकारी श्री सुरेन्द्र मोहन हैं, उनके सामने मार पिटाई की गयी और मैजिस्ट्रेट के आर्डर्ज के बिना कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा गया। यह बहुत ही निन्दाजनक बात है। मेरी यह मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, जोकि अपने आपको लोहियावादी और समाजवादी कहते हैं, कर्मचारियों की ये मांगे सहर्श मान लेनी चाहिये और किन किन अधिकारियों की देख रेख मैं कर्मचारियों पर प्रहार कि गया इस बात की जांच करवाई जानी चाहिए। मेरी यह भी मांग है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ के दर्ज हुए हैं, उनको विदड्रा किया जाए और जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत तरीके से इन कर्मचारियों को पीटा है, उनके हकों पर डाका मारा है ऐसे अफसरों को सस्पैंड किया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

डा. हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, जो कुछ कल यहां हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। यहां पर हरियाणा सरकार के 25–30 हजार कर्मचारी आए और उनकी बात तक नहीं सुनी गई। उन पर लाठी चार्ज किया गया जिस वजह से हमारी भाई ओर बहिनें घायल हुई। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि

हरियाणा सरकार को नीति ही ऐसी है। यहा पर 1989 में हमारे कर्मचारियों ने धरना दिया। वे अपनी मांग पत्र एम.एल.एज. को देने आए थे। उनको अपना मांग पत्र नहीं देने दिया और उनके कैम्प उखाड़ कर उन्हें गिरफतार कर लिया गया। इसी तरह से पीछे कर्मचारियों ने दिल्ली में अपना प्रदर्शन रख था। उन्हें हांसी के पास रोकर पीटा गया। हरियाणा सरकार की अपने कर्मचारियों के बारे में यह नीति है। मैं क्योंकि एक डैमोक्रेटिक आदमी हूं इसलिए कहता हूं कि कल जो दमन कर्मचारियों पर हुआ में उसका विरोध करता हूं। एक सरकार जो डैमोक्रेसी के नाम से चल रही हो, उसके आगे अनी बात कहने का, जलसा करने का अधिकार न हो तो वह कैसी सरकार है। जब सरकार का ऐसा व्यवहार हो तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम यह कहें कि इस सरकार ने कर्मचारियों पर जुल्म करके डैमोक्रेसी का हनन किया है। स्पीकर साहब, कर्मचारियों के जरिए हो हम अपनी सरकार चलाते हैं, सारा काम उनके जरिए होता है। उनके साथ अगर हमारा ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो हम कैसे उपेक्षा कर सकते हैं कि वे ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। उत्साह डंडे से नहीं बल्कि प्यार से बढ़ता हैं आज मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है और कर्मचारियों की मांगे मानेंगे। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 1987 से पहले की जो बातें मान ली गई हैं उनको अमल में क्यों नहीं लाया जाता? मैं कहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी अलग अलग है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है उस पर प्रायश्चित करे, जिनकी गिरफतारी

हुई है उनको रिहा करे और उनसे माफी मांगी जाए। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां पर हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी आए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको पीटा गया, मारा गया। इसके लिए इन साथियों ने दु:ख तकलीफ का इजहार किया कि चण्डीगढ़ में हरियाणा के कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? स्पीकर साहब, जहां तक दु:ख और तकलीफ जाहिर करने की बात है, इनमें से तो कुछ आदमियों ने चाहे दिखावे के लिए कह दिया होगा लेकिन दु:ख और तकलीफ मौजूदा सरकार को उनसे कहीं ज्यादा हैं यहां पर हमारे मुलाजिम आए, उनके चोटें लगीं, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए और उनकी डियूटी का हर्जा हुआ, उनका मान सम्मान खत्म हुआ, इस बात की तकलीफ हुई। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि जो लोग कह रहे हैं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उनको मारा पीटा गयाहै, उन्होंने यह जो सारा वर्णन किया है। इसके पीछे क्या राजनीति थी इस बारे में बाद में बताऊंगा। आप हरियाणा के कर्मचारियों की मांगों के बारे में बात करते हैं। डाक्टर हरनाम सिंह कह रहे थे कि यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। यह सरकार जो कुछ कहती है बाकायदा वही करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। इस सरकार ने जो कुद किया है वह आपके सामने है। हो सकता है इनकी आंखें बन्द हों और सोच बन्द हो। इस बारे में ये

नहीं सोचते। इन्होंने हर चीज को अपोज करना है। यह सरकार चाहे कोई भला काम कर ले चाहे कोई बढ़िया काम कर ले, चाहे कोई भी काम कर ले इन्होंने तो राजनीतिक तौर पर सरकार का विरोध करना है। श्री राम बिलास शर्मा ने बोलते हुए कहा था कि जिस समय श्री बनारसी दास गुप्ता वित्त मंत्री थे तो इन्होंने 12.3. 1990 को हाउस में स्टेटमैंट दी और वायदा किया था कि हरियाणा के कर्मचारियों को यह यह राहत ही जाएगी। इसके साथ साथ शर्मा जी ने यह भी कहा कि गुप्ता जी ने कर्मचारियों की जो मांगें मानी थी उन पर यह सरकार अमल नहीं कर रही है। स्पीकर साहब, चाहे सर्व कर्मचारी संघ है, चाहे कर्मचारियों की कोई समिति है और चाहे कोई संगठन है जो भी अगल अलग किस्म की कर्मचारियों की आर्गेनाइजेशंज हैं वह सरकार के बार बार मिलती रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हमारे अपने हैं और जब भी हरियाणा के कर्मचारी अपना दुःख तकलीफ लेकर सरकार के पास आते हैं तो बाकायदा उनकी सुनाई होती है। स्पीकर साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ की दो बार मीटिंग हुई हैं। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर फाइनैंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ तीन तीन और चार चार मीटिंग्ज हुई हैं। पिछले दिनों हमारे फाइनैंस मिनिस्टर, फाइनैंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगातार चार दिन तक अपना काम रोक करके कर्मचारियों की मांगों को बड़ी बारीकी से देखा और देखने के बाद कैबिनेट से उनकी एप्रूवल ली। कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों की जो जो

मांगे एप्रूव हुई उनके बारें में मैं आपकी बताना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय सदस्यों ने हाउस रैंट के बारे में जिक्र किया। स्पीकर साहब, इस सरकार ने कर्मचारियों का हाउस रैंट आलउंस बढ़ाया है। नीचे के स्तर से लेकर नीचे की लोकेलिटी से लेकर चण्डीगढ़ और पंचकुला में रहने वाले कर्मचारियों के हाउस रैंट अलाउंस में बढ़ौतरी हुई है। जो हाउस रैंट अलाउंस की बढ़ौतरी हुई है उससे एक छोटे से छोटे कर्मचारी को 100 रूपए महीना के हिसाब से फायदा हुआ है इस पर 17 करोड़ रूपए सालाना का सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माननीय सदस्य कैसे कहते हें कि इस सरकार ने कर्मचारियों की हाउस रैंट अलाउंस बढ़ाने की बात नहीं मानी? इसी तरह से कर्मचारियों को एडवांस इंक्रीमैंट देने के बारे में कहा और कहा कि जब गुप्ता जी फाइनैंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने घोशणा की थी कि हरियाणा के कर्मचारियों को एडीशनल इंक्रीमैंट दी जाएगी। गुप्ता जी ने जो स्टेटमैंट दी थी वह हमारे पास है। गुप्ता जी को भी याद होगा कि इन्होंने उस वक्त क्या घोशणा की थी। इन्होंने यही घोशणा की थी कि कर्मचारियों को दो एडवांस इंक्रीमैंट देंगे और उससे सरकार पर 4 या 5 करोड़ रूपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्पीकर साहब, जहां तक खर्चे का सवाल है इन्होंने तो 4 या 5 करोड़ रूपए के अतिरिक्त खर्चे की बात कही थी लेकिन हमारी सरकार 4 या 5 करोड़ रूपए नहीं बल्कि साढ़े आठ करोड़ रूपए सालाना अतिरिक्त खर्चा वहन करेगी। अब ये बताएं कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है?

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने 12.3.1990 को जो स्टेटमैंट दी थी उसमें कर्मचारियों को इंक्रीमैंट देने की बात नहीं थी टाईम बाउंड परमोशन देने की बात थी। यह रिकार्ड की बात है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह सरकार 4 या 5 करोड़ रूपए की बजाय साढ़े आठ करोड़ रूपए सालाना का अतिरिक्त बोझ बहन करेगी। ये लोग तो राजनीतिक तौर पर हमारा विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार अपनी कथनी और करनी में कोई फक नहीं करती। हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ न कुछ दे रही है, कुछ ले नहीं रही है। स्पीकर साहब, मैडीकल रीइम्बर्समैंट हरियाणा के कर्मचारियों को पहले 30 रूपए मिलता था हमने उनको बढ़ा कर 45 रूपए महीना कर दिया है। इससे सरकार पर सालाना 4 करोड़ रूपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसी तरह से सिटी कम्पनसेटरी अलाउंस 50 रूपए से लेकर 100 रूपए तक कर्मचारियों को मिलेगां इससे हर कर्मचारी को लगभग साढ़े 12 रूपए हर महीने का फायदा होगा। स्पीकर साहब, इसी तरह से जो कैनाल के पटवारी हैं उनकी भी बोनस की मांग थी उसको भी सरकार ने माना है और इस पर सरकार के 20 लाख रूपये खर्च होंगे। स्पीकर साहब, इसी तरह से जो सरकारी गाड़ियों के ड्राईवर्ज हैं उनको भी पुलिस कर्मचारियों को जिस तरह बसों में आने जाने की सुविधा दी हुई है उसी तरह से सुविधा दे दी गई है और अब वे अपना पास दिखा कर हरियाणा

रोडवेज की बसों में आ जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से उनकी एक डिमांड यह थीं कि जो बोर्ड और निगम है उनके कर्मचारियों को और म्यूनिसिपल कमेटियों के कर्मचारियों को पैन्शन की सुविधा दी जाये। अब हमने यह कहा है कि म्यूनिसिपल कमेटीज को छोड़ कर बाकी के जो बोर्डज, और निगम हैं वे अपने अपने लैवल पर अपने कर्मचारियों की इस मांग को डील करें कि किस तरह से वे अपने मुलाजिमों को पैन्शन दे सकेंगे। उनकी इस मांग को भी मान लिया गया है। इस मांग पर भी सरकार को 30 करोड़ रूपये खर्च करने होंगे। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker: Harpal Singh Ji, I would not permit like this. This is not the way and nothing is to be recorded which is said without my permission. Please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, ये हाउस को * * * *

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं हाउस को गुमराह नहीं कर रहा। पिछने दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने मधुबन में तमाम एस.पीज. की एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में घोशणा की थी कि हरियाणा के एक सिपाही से लेकर इन्सपैक्टर तक को 100 रूपया प्रति महीना खुराक भत्ता मिलेगा और जिन कर्मचारियों की डयूटी मधुबन में होगी उनको 150 रूपया महीना खुराक भत्ता दिया जायेगा। इस पर सरकार का 3.75 करोड़ रूपया खर्च होगा और तकरीबन इससे 30 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा।

(शोर) आप हमारी बात शान्ति के साथ सुनें। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी भी मांगे मानते हुए हमने उनके वेतनमान बढ़ाए हैं। इस पर सरकार का 2.60 करोड़ रूपया खर्च होगा। स्पीकर साहब, पुलिस वालों की एक बात कहनी रह गई है। हरियाणा प्रदेश में हमने अपने पुलिस के सिपाही और हैड कांस्टेबल के जो ग्रेड बढ़ाये हैं उससे उनके सारे हिन्दुस्तार में सबसे अधिक ग्रेड हो गए हैं। आज हिन्दुस्तानमें कोई ऐसी स्टेट नहं है जहां पर एक सिपाही या हैड कांस्टेबल इतने पैसे ले रहा हो जितने हरियाणा में मिल रहे है। इतना ध्यान रखने के बावजूद ये कैसे कह सकते हैं कि हम अपने कर्मचारियों का ध्यान नही रख रहे? हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के बारे में पूरी तरह से चिन्तित हैं इसीलिए तो हमने उनकी सुविधाओं के लिए ये सहूलियतें उन्हें प्रदान की हैं। (शोर) स्पीकर साहब, ये उनके तवे पर और उनके नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, ये जो कर रहे हैं यह बहुत कंडैमनेबल बात है। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, जो एतराज हमने उठाये थे उनका ये जवाब नहीं दे रहे है (शोर) जिन कर्मचारियों पर लाठियां पड़ी उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। (शोर) हमने उनसे मिलने के लिए हस्पताल में गए थे। अध्यक्ष महोदय, जो बातें हमने कही हैं, उनका इन्हें जवाब देना चाहिए। (शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: आप लोग सुनने की हिम्मत रखें। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा: इनकी बातों से तो यही लगता है कि इन्होंने ही खुद लाठी चार्ज करवाने के आदेश दिए हों। (शोर)

चौ. सतबीर सिंह कादयान: ये खुद जाकर जनता को भड़काते हैं। (शोर)

Mr. Speaker: Please take your seat.

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब हम सच्ची बात कहते हैं तो वह इनको कड़ी लगती है। (शोर) इनको सच्ची बात सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। हरियाणा सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते है और इन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुले हैं। अब जब हकीकत और आंकड़े सामने आए हैं तो इन्हें दद्र हो रहा है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 30 करोड़ रूपये अपने मुलाजिमों को देने का फैसला किया है। मुलाजिमों के संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी आई है कि हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। (विध्न एवं शोर) स्पीकर सर, मेरे पास यह चिट्ठी है। इस चिट्ठी को पढ़ने में समय लगेगा। इस चिट्ठी में मुलाजिमों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। (विरोधी पक्ष से विध्न एवं शोर)

Mr. Speaker: No, I won't allow it. Don't try to create the situation which we all do not want. Please take your seats Sampat Singh Ji, you please proceed further.

Prof. Sampat Singh: Sir, I am telling the truth. स्पीकर सर, इतना ही नहीं, जो पैसे का बैनिफिट हुआ है, वह तो अलग बात है। जो एड–हाक कर्मचारी काफी अर्से से मारे–मारे फिर रहे थे, उनको भी लाभ दिया गया है। जिनकी 2 वर्श की एड–हाक सर्विस हो गई हे, उसकी सर्विस को बाकायदा रैगुलर किया गया है। (विघ्न एवं शोर)

(At this stage several members rose to speak.)

Mr. Speaker: Is is a way? I won't permit you. Please take your seats.

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो सच्ची बात कहीं जाती है, वह इनको कड़वी लगती है। (विघ्न)

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने काफी बातें बताई हैं और कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं का जिक्र भी किया है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि ये केवल इतना बता दें कि 40–50 हजार कर्मचारी यहां क्यों आए? क्या उनकी मांगे मानी नहीं गई थीं या कोई और कारण है, ये सिर्फ इतना ही बता दें।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं बता रहा हूं कि 8 हजार ऐड–हाक कर्मचारियों को सरकार ने रैगुलर किया है। इतना ही नहीं स्पीकर सर, जो कर्मचारी डेली वेजिज, टैम्पोरेरी या वर्कचार्जड या किसी और नेचर के हैं, उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की एक सब–कमेटी बनाई हैं सरकार जल्दी ही इस बात का फैसला करेगी कि किस किस्म के

कर्मचारियों को रैगुलर किया जाना है। इसमें यह भी फैसला किया जाएगा कि इसके लिए क्या शर्तें होंगी और कितनी सर्विस होनी चाहिए। यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है और इस पर जल्दी ही फैसला भी किया जाएगा। स्पीकर सर, इन्होंने पूदा है कि हजारों कर्मचारी यहां क्यों आए हैं? इन्होंने कहा कि उन्हें तकलीफ है, इसके वास्ते ही वे यहां आए हैं। स्पीकर साहब, मैंने बता दिया है कि जो कर्मचारियों की तकलीफें थीं, वो सरकार ने दूर कर दी हैं। स्पीकर साहब, यूं तो कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आते ही रहे हैं, यह आज की बात नहीं है। 1976 में हमारे आदरणीय गुप्ता जी खुद मन्त्री हुआ करते थे और इनकी सरकार थी। मैं भी उन दिनों दयानन्द कालेज, हिसार के अन्दर लैक्चरार हुआ करता था। हमने उस वक्त जो मांगे रखी थीं वह भी मुझे मालूम हैं और जो इन्होंने दिया था, वह भी मालूम है। हम सबको लाठियां मार कर घायल किया गया और हिसार जेल में डाल दिया था। इस तरह से खुद इन्होंने अपनी सरकार के समय में किया था। स्पीकर साहब, मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूं, मुझे खुद अन्दर किया गया था। हरियाणा में हमारी मिनिस्ट्री ने ऐसे काम नहीं किये (विघ्न) हमने वह सब कुछ नहीं किया। ये लोग 40–50 हजार एम्पलाईज का जिक्र करते हैं। इन लोगों ने प्रचार करके लोगों को भड़काया कि असैम्बली का सैशन चल रहा है। 2–4 हजार कर्मचारियों को भड़का कर और राजनैतिक तौर पर उन्हें तैयार करके यह लोग यहां लाए हैं और कहते हैं कि 50 हजार कर्मचारी आए थे जोकि शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहे थे।

स्पीकर साहब, उन्होंने सरकार से मीटिंग के लिए कोई समय नहीं मांगा। न उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री से मिलने का टाईम लिया कि हम आ रहे हैं इसलिए हमें टाईम दो। स्पीकर सर, जब हमें इस बारे में पता लगा तो (विध्न एवं शोर)

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। मैं होम मिनिस्टर जी से यह जानना चाहूंगा कि 1983–84 में जब ये चण्डीगढ़ आए थे तो क्या चण्डीगढ़ पुलिस के हाथों इनकी पिटाई हुई थी? यदि हां तो उस वक्त इनका क्या कहना था और अब ये क्या कर रहे हैं? (हंसी)

श्री अध्यक्ष: मान साहब, आप बैठिए।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैंने बहुत बार लाठियां खाई हैं। गरीबों की लड़ाइयां लड़ी हैं और भी लड़ाईयां लड़नी हैं क्योंकि जिन्दगी भर राजनीति करनी है। लाठियां चाहे कितनी ही खानी पड़ें, खाएंगे और पहले भी खाते रहे हैं। इस बात की परवाह नहीं, हम और लाठियां खाने के लिए भी तैयार रहेंगे, हर समय तेयार रहेंगे और हर सरकमस्टांसिज में तैयार रहेंगे। बहुत बार हमने लाठियां खायी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हम कोई गलत रास्ते से नहीं आये हैं। को बैकडोर से नहीं आये हैं। हमारा कोई नौमीनेशन नहीं हुआ है। बाकायदा संघर्श करके आये हैं। लोगों की लड़ाई लड़कर यहां पर पहुंचे हैं। बाकायदा मास बेस है और वर्कर्ज साथ हैं। जब हम लड़ाई लड़ा करते थे, उस

समय बाकायदा हमारी एक मांग थी कि काम दो या जेल दो। इस मांग को लेकर हम यहां पर आये थे। भाई रणसिंह जी भी हमारे साथ थे। दोनों ही हम इसके लिये लड़ते थे। दोनों को ही चोटें आयी थी और दोनों को ही अन्दर बन्द किया गया था। इस में कोई दो राय नहीं है कि हमने इसके लिए संघर्श किया। हमारी सरकार ने आते ही ''काम दो या जेल दो'' में से जेल दो को काटकर लोगों कोकाम देने की कोशिश की है और हम उनको काम देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रण सिंह मान: * * * *

Mr. Speaker: This is not to be recorded.

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमने यह भी किया है कि अगर कोई भी नौजवान इन्टरव्यू के लिये कहीं हरियाणा प्रदेश में जाता है तो उसका आने–जाने का भाड़ा बाकायदा माफ किया गया है। इसके अलावा उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिलाया है। हम बाकायदा इसके लिये कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको और ज्यादा सुविधाएं दी जायें।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के ऊपर हुए लाठी–चार्ज के बारे में यहां पर मोशन दी गयी है और उस पर बहस चल रही है। कल उन पर जो लाठी–चार्ज किया गया, उसके बारे में हय कहना कि वह हरियाणा की पुलिस ने नहीं किया, यू.टी. की यानी चण्डीगढ़ की पुलिस ने

किया है इससे बाम नहीं बनेगी। (व्यवधान व शोर) अपोजीशन की गालियां देने से कोई बात नहीं बनती। आप यह बताइये कि क्या उनकी मांगे मानी गयी है। क्या आप चण्डीगढ़ की पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के लिये तैयार हो। सरकार का इस बारे में क्या कहना है। (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker: Mr. Sharma, this was the question posed from your side and he is replying to it. Now you please take your seat and let him have his say.

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, आपने एडजर्नमैंट मोशन को मंजूर करके हरियाणा कर्मचारियों की बातों को स्पीकार किया है। आपने यह एक बहुत अच्छी रिवायत डाली है। लेकिन मेरी उन बातों को तो जवाब नहीं दिया गया जो मैंने कही हैं। कल इतनी बड़ी एक वारदात हो गयी लेकिन इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने यह बात सही पूछी है कि अब तक उनकी मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है? इससे फालतू कया हो सकता है कि हमने उनको 30 करोड़ रूपया दिया हैं हमने अपने सरकारी कर्मचारियों के इतना पैसा दिया है, उसका जिक्र भी हम क्यों न करें क्योंकि यह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया गया है। इसी तरह से जैसे यहां पर लाठी चार्ज की बात आयी है। हमारा कहना यह है कि वे हमारे कर्मचारी थे। हमें इस बात की तकलीफ है कि

कर्मचारियों पर लाठियां चलीं और उनको लगीं लेकिन हमारा कहना यह है कि इन राजनीतिक लोगों ने जिनमें सूरज भान, राम बिलास शर्मा, कामरेड हरपाल सिंह शामिल हैं, उनकी भड़का कर आगे कर दिया। इन लोगों ने उनको मरवाया है। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा: यह गलत बात है जो यह कह रहे हैं। हम अस्पताल में तेा जायेंगे। जहां–जहां पर आप लाठी बरसाओंगे, हम जरूर जाएंगे। (व्यवधान व शोर) ..... जहां पर आप गोली चलाओगे, हम वहां जरूर जाएंगे। अस्पताल में उनको देखने जरूर जायेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। (व्यवधान व शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: पहले उनको भड़काओ और फिर घायल कर्मचारियों को दखेाने जाओ, यह अच्छी बात है। ... (व्यवधान व शोर) **...**

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, अगर हम अस्पताल में मिलने भी चले गये तो उस पर भी यह एतराज करते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान व शोर) .... हम तो उस समय सदन में थे। आपको भी पता है कि हम कल उस समय सदन में थे। (व्यवधान व शोर) ..... हम अस्पताल में मिलने के लिये चले जायें तो इनको बुरा लगता है। यह लोग थाने में उनको बन्द कर दें और हम उनको पूछें भी नहीं। हम उनको मिलने के लिये जरूर जायेंगे। जहां–जहां पर यह अत्याचार करेंगे हम वहां पर जरूर जायेंगे, ये हमें रोक नहीं सकते। .... (व्यवधान व शोर) ....

प्रो. सम्पत सिंह: इन लोगों ने जो अपनी बातें कहीं हैं उन्हें हम शान्ति से सुनते रहे है। (शोर व व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, सरकार ने यह लाठी चार्ज कराया है इससे साफ जाहिर होता है। (शोर व व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं अपोजीशन के लीडर से कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ के लोगों ने जितनी बातें कहीं हम उनको शान्ति से सुनते रहे। हमने सारी बातें शान्ति से सुनीं। एक–एक बात नोट की और एक–एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। इसलिए वे भी हमारा जवाब शान्ति से सुनें। जैसे कि अभी राम बिलास जी गुस्से में बात कर रहे थे, वह इनकी नहीं करनी चाहिए। इनको एज ए लेजिस्लेटर बात करनी चाहिए। लेकिन ये तो इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे मारने आ रहे हों।

श्री राम बिलास शर्मा: मारने का लाइसैंस तो आपको मिला हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Prof. Sampat Singh: He should behave like a legislator.

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, I always behave like a responsible legislator. (Noise and Interruptions)

Mr. Speaker: Everybody to please listen that there should be no running commentary like this.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि आज बजट पेश करने का दिन है, सदन का समय ज्यादा नश्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि सरकार की ओर से जबाव आना चाहिए था कि लाठी चार्ज जो हुआ है, वह उचित था या अनुचित था?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, हाउस का डैकोरम मनटेन रखने के लिए यह जरूरी है कि कोई कन्ट्रोवरशियल बात न कही जाए। मैंने शुरू में भी कहा था कि गवर्नमैंट मुलाजिमों की क्या मांगे थीं, उनमें से कौन सी मांगें मान ली गई हैं और कौन सी बाकी हैं। गृह मंत्री जी ने कहा है हमने उनको भड़काया। स्पीकर साहब, जब लाठी चार्ज हुआ था तब हम यहां बैठे हुए थे। जब वे लोग जख्मी हो गए, तब हम उनको अस्पताल में देखने गए। इनको इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष: हाउस में जब ऐडजर्नमैंट मोशन एडमिट हुई हो मैंने पहले ही कहा था कि टाईम का ख्याल रखना। साथ ही साथ यह बात भी डिबेट में आई कि मुलाजियों की क्या डिमाण्डज थीं। डिबेट में कोसली भी घुस गया। जब अपोजीशन रैलेवैन्ट रहे तो मैं ट्रेजरी बैन्चिज वालों को भी कह सकता हूं कि वे रैलेवैन्ट रहें लेकिन जब अपोजीशन लाईन से उतर जाती है तो सम्पत सिंह

जी भी लाइन से उतर जाते हैं। मैं इनसे कहूंगा कि ये भी रैलेवैंट रहें।

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, डिवेट में जो प्वाएंट उठाया गया था उसी पर मैं जवाब दे रहा हूं। स्पीकर साहब, अभी लीडर आफ दी अपोजीशन ने कहा कि कोई ऐसा मामला न उठाया जाए जिससे कन्ट्रोक्र्सी उठे। स्पीकर साहब, जब हम कोई बात कहते हैं तो वह कन्ट्रोक्र्सी बन जाती है और जब इनके मैम्बर कहते हैं कि लाठी चार्ज हरियाणा सरकार की मिली भगग से हुई तब सब कुछ अच्छा था। स्पीकर साहब, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस सीमा तक इनको जाने देते हैं। आप जिस सीमा तक इनको जाने देंगे उसी तरह से इनको जवाब दिया जाएगा। स्पीकर साहब, तीन चार हजार मुलाजिम आए थे। यू.टी. ऐडमिनिस्ट्रेशन से जब इस बातर का हमें पता लगा कि वे अपना मैमोरैन्डम देना चाहते हैं तो उसी वक्त हमारे एक आई.ए.एस. अधिकारी (ज्वायंट सेक्रेटरी पोलिटिकल) जिनकी डयूटी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ होती है, वह वहां पर गये। उन कर्मचारियों ने यह नहीं कहा कि हम मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय को मिलना चाहते हैं। यह भी उन्होंने नहीं कहा कि वे आकर हमारा मैमोरैन्डम ले जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस को अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कर्मचारी हों, उन सबकी की मांगे सुनने के लिये हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा के लिये खुले हैं। हमारे अफसर वहां पर उनका

मैमोरैन्डम लेने के लिये गये। अपोजीशन के भाई तो यूं ही कर्मचारियों को भड़का कर कर्मचारियों के तबे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे ताकि प्रदेश के अन्दर अशान्ति का वातावरण हो जाए। जो कुछ कल वहां पर हुआ, यह सब कुछ कर्मचारियों को भड़काने के लिये और अपना उल्लू सीधा करने के लिये करवाया गया है। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं? सदन चल रहा था और हम सब आपके सामने हाजिर थे। हमारे ऊपर भड़काने के चार्जिज ये कैसे लगा रहे हैं? (शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर इन लोगों ने राजनीति करनी हैं तो करें लेकिन दूसरे का सहारा लेकर, दूसरों के कन्धों पर बन्दूक से गोली न छोड़ें। यू ही ऐसे भोले भाले लोगों को पिटवा दिया। इसके लिए ये लोग ही जिम्मेवार है क्योंकि इन्हीं ने ही अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिये ऐसा किया हैं। यू.टी. ऐडमिनिस्ट्रेशन इस सारी बात के लिये जिम्मेवार नहीं है। ये लोग भी पूरी तरह से दोशी है। यू.टी. ऐडमिनिस्ट्रेशन वालों ने तो जैसा मौका देखा होगा, वैसा उन्होंने किया। कर्मचारी हमारे थे। हरियाणा सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ पूरी पूरी हमदर्दी है। मैं इस हाउस के द्वारा अपने भोले भाले कर्मचारियों से यह कहूंगा कि वे लोग इन लोगों के बहकावे में न आव हम से सीधी बात करें इस सरकार के दरवाजे उनके लिये हर समय खुले हैं। (तालियां)

Mr. Speaker: The time is already up. Now the discussion terminates. Please take your seat.

अब फाइनैंस मिनिस्टर वर्श 1991–92 का बजट प्रैजैन्ट करेंगे।

वाक आउट

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विशय है लेकिन मंत्री महोदय ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है। यह तो राजनीतिक ऐलीगेशन के सिवाये और कुछ नहीं है। इस समस्या का कोई समाधान उन्होंने नहीं निकाला। मंत्री जी ने इतना भी नहीं कहा कि हमें इसके लिये अफसोस है। मैं पूछता हूं कि अगर उन्होंने यह नहीं कहा तो फिर कसूर किस का है? (शोर)

गृह मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): कसूर तो आप लोगों को है। (शोर)

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, ऐडजर्नमैन्ट मोशन लाठी चार्ज के बारे में था हमारी मांग थी कि यू.टी. ऐडमिनिस्ट्रेशन के आई.जी. व एस.पी. जिन्होंने अपने सामने यह सारा कांड करवाया है उनकी ससपैन्शन के लिये मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से लिखते कि इन दोनों को ससपैन्ड किया जाये। इसके बारे में हमारी सरकार ने एक लफज भी नहीं कहा। इसका हमें बड़ा अफसोस है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। जो कुछ इन्होंने कहा है, हम उससे सन्तुश्ट नहीं हैं और हम वाक आउट करते हैं।

आवाजे: हम बजट स्पीच का भी बाईकाट करते हैं।

(इस समय विरोधी पक्ष के सभी उपस्थित सदस्य सदन ने वाकआउट कर गये।)

वर्श 1991–92 का बजट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष: अब फाइनैन्स मिनिस्टर महोदय वर्श 1991–92 का बजट पेश करें।

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने साल 1991–92 के बजट अनुमान पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। (तालियां)

बहुत से कारणों से, खास तौर से खाड़ी में हुई लड़ाई से, यह साल बहुत से उतार–चढ़ावों का साल रहा है। देश को गहरी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। साधनों की लगातार कमी रही। विदेशी मुद्रा की भी कमी रही। घबराहट में लोगौं ने आम जरूरत की चीजों को खरीददारी शुरू की जिसका विशेश असर पैट्रोलियम पदार्थो पर पड़ा। देश को लगातार ही किफायत करनी पड़ी और कीमतों में भी काफी बढ़ौतरी हुई। देश की इन समस्याओं से हरियाणा अछूता नहीं रह सकता था। इसके इलावा

हरियाणा में हमें सितम्बर–अक्तूबर, 1990 में खासतौर से कानून और व्यवस्था को समस्या का सामना करना पड़ा। इस से हमें अपना ध्यान राश्ट्र के विकास के कार्यो से हटाना पड़ा और हमारे राज्य के साधनों पर ज्यादा भार पड़ा। इन हालात में भी देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हरियाणा मजबूती से खड़ा रहा। इसका हमें गर्व है।

नौंवे वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना के तहत केन्द्र से मिलने वाली सहायता के तरीके में बदलाव से भी हमारे विकास साधनों में कमी आई। पुराने वित्त आयोगों की सिफारिशों से हट कर, नौंवे वित्त आयोग के बेसिक एक्वाइज डयूटी के राज्यों में बंटने वाले हिस्से का 16.5 प्रतिशत पहले राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए रखा और फिर बाकी का हिस्सा सभी राज्यों में बांटा। इससे हमारा हिस्सा करीब 12 करोड़ रूपए सालाना कम हो गया। हम देश के ऐसे चार राज्यों में से एक हैं जिन्हें रेवैन्यू के तहत कोई अनुदान नहीं दिया गया। हम से ज्यादा खुशहाल हमारे पड़ोसी राज्य को भी यह लाभ दिया गया है। बकाया कर्जो की राशि की रिश्डयूलिंग के मामले में भी हम देश के ऐसे तीन राज्यों में से हैं, जिन्हें आठवीं योजना के दौरान केवल 5 प्रतिशत का लाभ मिला है। बाकी राज्यों को यह लाभ 7.5 से 10 प्रतिशत तक मिला है। इससे कर्जे का जो थोड़ा वजन कम हुआ, वह भी बकाया कर्जे पर ब्याज की दर बढ़ जाने से काफी कम हो गया है। कानून और व्यवस्था पर हमारा खर्च काफी बढ़ा है। 1986–87 में

यह 46 करोड़ 91 लाख रूपए था। चालू वर्श में यह 103 करोड़ रूपए हो गया है और अगले साल 112 करोड़ रूपए हो जाएगा। इसके मुकाबिलें में हमें केवल 20 करोड़ रूपए की एकमुश्त सहायता ही मिली है।

योजना के तहत मिलने वाली मदद के गाडगिल फार्मूले में तबदीली की वजह से भारत सरकार द्वारा दो जाने वाले सहायता में हमारा हिस्सा 1.87 प्रतिशत से कम होकर 1.45 प्रतिशत रह गया है। वर्श 1991–92 के लिये हमारा हिस्सा 138 करोड़ 70 लाख रूपये से कम होकर 108 करोड़ रूपये कर दिया गया। राज्य को पुरजोर कोशिश करने पर यह रकम 123 करोड़ रूपये कर दी गई। इस तरह 15 करोड़ 70 लाख रूपये की मदद कम रही। वर्श 1966 में जब राज्य बना तो खाद्यान्नों के उत्पादन में मामले में हम घाटे की स्थिति में थे। यह इस राज्य के लोगों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस समय में हमने इतनी तरक्की की है कि आज हम केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में अन्न जुटाने वाले राज्यों में दूसरे नम्बर पर आ गये हैं। वास्तव में तो राज्य को इस वजह से और अधिक मदद मिलनी चाहिये थी।

मान्यवर, इस वर्श मंहगाई भत्ते की दो किस्तों और साल 1988–89 और 1989–90 के लिए बोनस की किस्तों की वजह से सरकारी खजाने पर करीब 41 करोड़ रूपये का ज्यादा भार पड़ा है। इसके अलावा अदालतों के आदेशों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों और प्रौढ़ शिक्षकों तथा भाखड़ा ब्यास

प्रबन्धक बोर्ड को भी बकाया रकम अदा की गई। इन वजहों से सरकार को लगभग 14 करोड़ रूपये ज्यादा खर्च करने पड़े। भारत सरकार द्वारा चलाई गई 1990 की कर्जा माफी योजना के तहत हमें अपने हिस्से का 23 करोड़ 64 लाख रूपया हरकी बैंक और हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के लिए अनुदान की शक्ल में देना पड़ा। शराब पर चुंगी खत्म कर उसके बदले म्युनिसिपल कमेटियों को सरकार द्वारा सीधी अदायगी की नीति की वजह से 5 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि आबकारी ओर कराधान विभाग को भी ज्यादा देनी पड़ी। बनी हुई सम्पति के रखरखाव पर 12 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ है। सितम्बर–अक्तूबर, 1990 में हुई गड़बडियों के कारण ने केवल रेवैन्यू की वसूली में कमी आई, हमें 10 करोड़ 77 लाख रूपये का खर्चा भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक करना पड़ा। हालांकि हमने इस वर्श 40 करोड़ 77 लाख रूपये की अतिरिक्त आय जुटाई फिर भी 1990–91 के शुरूआती घाटे और ऊपर बताए गए कारणों से चालू वर्श के योजना खर्च में कमी करनी पड़ी। यह रकम 700 करोड़ रूपये से घटा कर 653 करोड़ 2 लाख रूपये की गई। ऐसा करते वक्त हमने विदेशों से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों, केन्द्र की स्पोंस्रड स्कीमों और मूल कार्यक्रमों के खर्चे में कोई कमी नहीं आने दी। कमी के बावजूद चालू वर्श की योजना पिछले वर्श की संशोधित योजना के 570 करोड़ रूपये के मुकाबले में 14.6 प्रतिशत अधिक है। अगर हम सातवीं योजना के तहत पूरे हुए कार्यक्रमों की वजह से 50 करोड़ 69 लाख रूपये का खर्चो जो गैर योजना खर्चे में

डाल दिया गया है, शामिल करें तो यह आकार पिछले साल के मुकाबले 23.5 प्रतिशत ज्यादा है। केन्द्र की स्पोंस्रड स्कीमों के लिए 120 करोड़ 70 लाख रूपये का संशोधित खर्च इसके अतिरिक्त है।

राज्य की अर्थ व्यवस्था में लगातार तरक्की हो रही है। अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पहलूओं का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में पहले ही किया जा चुका है। वर्श 1989–90 में राज्य की आय में स्थिर कीमतों (Constant Prices) के आधार पर 3.1 प्रतिशत तथा चालू कीमतों के आधार पर 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के शुद्ध (Net) घरेलू उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र (Primery Sector) हालांकि 1.5 प्रतिशत की कमी आई है लेकिन द्वितीय तथा तृतीय क्षे (Secondary & Tertiary Sector) में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के अच्छे स्वास्थ्य का सबूत है।

राज्यपाल के अभिभाशण के समय माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरह भी गया होगा कि मार्च, 1989 और मार्च, 1990 के बीच. अखित भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूचकांक (आधार 1960=100) (All India working class consumer Price Index base 1960=100) के मुताबिक कीमतों में 6.7 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। मार्च से दिसम्बर, 1990 तक इसमें 12.4 प्रतिशत की और बढ़ौतरी हुई है। केन्द्र के बजट घाटे और विदेशी साधनों की कमी

जैसे कारणों की वजह से होने वाली कीमतों की बढ़ौतरी पर राज्य सरकार कोई नियन्त्रण नहीं रख सकती।

सातवीं पांचसाला योजना

वार्शिक योजना के विशय पर आने से पहले मैं सातवीं पांचसाला योजना की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सातवीं योजना के लिए 2900 करोड़ रूपये का खर्चा सही माना गया था जिसके विरूद्ध 2557 करोड़ 36 लाख रूपये का असल खर्च हुआ। फिर भी कृशि, ग्रामीण विकास, बिजली उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल आपूर्ति जैसे बड़े क्षेत्रों में तयशुदा लक्ष्य हासिल कर लिये गये। इस योजना में 6 प्रतिशत प्रति वर्श आय की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 8 प्रतिशत वार्शिक वृद्धि हुई जो कि राश्ट्रीय स्तर पर हुई 5.6 प्रतिशत वृद्धि से कहीं अधिक है।

राश्ट्रीय आठवीं योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हरियाणा में आठवीं योजना के लिए 4300 करोड़ रूपये के खर्चे का लक्ष्य रखा गया है जो सातवीं पंचवर्शीय योजना के 2557 करोड़ 36 लाख रूपये के वास्तविक खर्च के मुकाबले 68 प्रतिशत अधिक है।

वार्शिक योजना 1991–92

वर्श 1991–92 की वार्शिक योजना के लिये 765 करोड़ रूपये का खच्र मंजूर किया गया है जो कि चालू वर्श के संशोधित

खर्चे से 17 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार की नीति के अनुसार इस खर्च का 71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जायेगा।

कृशि तथा सम्बन्धित सेवाओं, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास के लिये 91 करोड़ 16 लख रूपये के खर्च का प्रस्ताव है जबकि चालू वर्श में इन मदी पर 84 करोड़ 42 लाख रूपये खर्च किये जाने हैं। सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिये मौजूदा साल के 102 करोड़ 64 लाख रूपये के मुकाबले अगले साल 128 करोड़ 23 लाख रूपये के खर्चे का प्रावधान रखा गया है। परिवहन और संचार व्यवस्था के लिये 46 करोड़ 18 लाख रूपये का खर्च प्रस्तावित है जबकि चालू वर्श में यह रकम 36 करोड़ 58 लाख रूपये हैं। उद्योगों के लिये चालू वर्श के 16 करोड़ 48 लाख रूपये से बढ़ा कर अगले साल 20 करोड़ रूपये और विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralised Planning) के लिये 5 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अन्य क्षेत्रों के लिये चालू वर्श में 7 करोड़ 38 लाख रूपये के मुकाबले अगले वर्श 9 करोड़ 63 लाख रूपये रखे गये हैं। बिजली की बढ़ती हुई मांग के मद्दे नजर इस क्षेत्र के विकास के लिये कुल खर्च का 24.4 प्रतिशत यानी 186 करोड़ 35 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। समाज सेवा के लिये चालू वर्श में अनुमोदित 247 करोड़ 97 लाख रूपये के मुकाबले अगले वर्श के लिये 264 करोड़ 85 लाख रूपये रखे गये हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख वर्श 1991–92 के दौरान किये जाने वाले योजना कार्यो का सरसरा ब्यौरा रखना चाहूंगा।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

मैं सबसे पहली गरीबी उन्मूलन कायक्रमों का खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा आमदनी की बढौतरी से ताल्लुक रखने वाली I.R.D.P. (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) की स्कीमों के तहत वर्श 1990–91 में 17 हजार 236 परिवारों को सहायता देने के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी, 1991 तक 23 हजार 363 परिवारां को सहायता दी चुकी है। इनमें अनुसूचित जातियों के 8605 परिवार और 9581 महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जातियों के 11 हजार 302 अतिरिक्त परिवारों को अन्य विभागों की स्कीमों के तहत सहायता दी गयी है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.) के तहत कामर्शियल, सहकारी और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 8 करोड़ 90 लाख 90 हजार रूपये का ऋण दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5 करोड़ 32 लाख 5 हजार रूपय की सहायता उपदान (Subsidy) के रूप में दी गई है। 1991–92 के दौरान 30 हजार परिवारों को सहायता देने का इरादा है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1990–91 के दौरान 37 लाख 60 हजार श्रम दिवस (Mandays) के बराबर रोजगार दिलवाया जायेगा जबकि अगले वर्श 49 लाख 75 हजार श्रम दिवस (Mandays) के बराबर रोजगार का लक्ष्य है।

शहरी हलकों में नेहरू रोजगार योजना के तहत छोटे रोजगार, महदूरी और आवास के सुधार के लिये गरीबों को सहायता दी जाती है। चालू वर्श के दौरान छोटे रोजगार की 259 इकाइयां स्थापित की जा चुकी है और 2847 इकाईयां स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 72 हजार 417 श्रम दिवस (Mandays) के बराबर मजदूरों को रोजगार दिलवाया गया है और शहरी हलकों में आवास के सुधार के लिए 52 लाख 58 हजार रूपये की रकम रखी गई है। यह एक नई योजना है और इसमें अभी तेजी आनी है। शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार (Environmental Improvement) योजना के तहत चालू वर्श के दौरान 110 लाख रूपये का खर्च निर्धारित है जो अगले साल बढ़ा कर 120 लाख रूपये किया गया है। यू.एन.डी.पी. द्वारा चलाई जा रही कम लागत की सफाई सुविधा और Scavenging को समाप्त करने की योजना के तहत 1991–92 के दौरान एक करोड़ 99 लाख 65 हजार रूपये की राशि खर्च करेन का प्रस्ताव है इस साल 50 लाख रूपये खर्च किये जायेंगे।

कृशि

1980–81 में राज्य की आय में कृशि क्षेत्र का योगदान 54.6 प्रतिशत था जोकि अब 44 प्रतिशत है। फिर भी राज्य की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृशि ही है। राज्य में 61.7 प्रतिशत कामगर अभी भी कृशि तथा उससे लगे धंधों में जुटे हैं। हरियाणा में कुछ रकबे का 82.2 प्रतिशत कृशि के आधीन है जिसमें से 63

प्रतिशत पर एक से ज्यादा फसलें बोई जाती हैं। कृशि उत्पादन में और बढ़ौतरी सिर्फ और गहरी खेती तथा अधिक पैदा देने वाली किस्मों के इस्तेमाल से ही संभव है। इसके लिए अधिक खाद का प्रयोग, फसलों के रखरखाव के अच्छे उपाय, पानी का ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद इस्तेमाल, अधिक आमदनी देने वाली फसलों की बुवाई, किसानों के लिए अधिक तथा समयानुसार कर्जे की सहूलियत तथा उनकी फसलों की अच्छी कीमतें, कृशि को प्राकृतिक आपदाओं के और मौसम की खराबी से बचाने के उपाय तथा किसानों के ऊपर पड़ने वाले नाजायज बोझ में कमी इत्यादि चीजें जरूरी हैं।

12.00 बजे

राज्य में 1988–89 के दौरान 95 लाख टन खादयान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ। इससे पहले सबसे अच्छी पैदावार 1985–86 के दौरान 81.47 लाख टन की थी। वर्श 1988–89 के रिकार्ड उत्पादन का एक कारण अच्छा मौसम भी रहा। वर्श 1989–90 में मौसम औसत किस्म का रहा और राज्य में 86.56 लाख टन थी जो 1989–90 में बढ़कर 6.75 लाख टन हो गई। इसी तरह कपास की उपज 8.46 लाख गांठों से बढ़कर 11.83 लाख गांठें हो गई। वर्श 1988–89 में तिलहन की उपज 4.84 लाख टन थी लेकिन वर्श 1989–90 में यह थोड़ी कम हो कर 4. 36 लाख टन रह गई। यह उपज भी इससे पहले की सबसे अच्छी 1987–88 की 3.34 लाख टन की उपज भी इससे पहले की सबसे

अच्छी 1987–88 की 3.34 लाख टन की उपज से अच्छी रही। वर्श 1990–91 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 97 लाख टन, गन्ने का उत्पादन 8.50 लाख टन तथा तिलहन 4.75 लाख टन होने की आशा है। कपास की फसल मैं हेलियोसिस के कारण काफी हानि हुई है जिसकी वजह से कपास उत्पादन 10 लाख गांठें होने की सम्भावना है।

वर्श 1989–90 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत 27 लाख 41 हजार हैक्टेयर रकबा था जो 1990–91 में बढ़कर 28 लाख 97 हजार हैक्टेयर हो गया। रासायनिक खाद की खपत 5.35 लाख टन से बढ़कर 5.96 लाख टन हो गई है। इसी तरह पौधों के रखरखाव के उपाये 1989–90 के 61.7 लाख हैक्टेयर के मुकाबले 1990–91 के 64 लाख हैक्टेयर में किये गये।

हम सप्रिंकलर सैट पर 4000 रूपये प्रति सैट के हिसाब से छूट की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा उथले नलकूप लगाने के लिये छोटे एवम् सीमान्त (Marginal) किसानों को 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक छूट की सुविधा दी जाती हे। इसके लिए वर्श 1990–91 के 117 लाख रूपये के प्रावधान के मुकाबले वर्श 1991–92 के लिये 137 लाख रूपये का खर्च प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से अम्बाला तथा यमुनानगर जिले के पहाड़ी इलाकों में वाटर शैड विकास योजना शुरू की गई है जिसके लिये 3 करोड़ 22 लाख रूपये का प्रावधान है।

वर्श 1991–92 में खाद्यान्नों, गन्ना, कपास तथा तिलहन के लक्ष्य क्रमशः 101.20 लाख टन, 8.5 लाख टन, 12.5 लाख गांठें तथा 5.40 लाख टन रखा गया है। इसी तरह अधिक उपज वाले बीज की खपत का लक्ष्य 2.05 लाख क्विंटल तथा रासायनिक खाद की खपत का लक्ष्य 7 लाख टन का रखा गया है। विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के लिये चालू वर्श के 18 करोड़ 46 लाख रूपये की तुलना में अगले वर्श 21.30 लाख रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

कृशि का विविधिकरण (Diversification)

राज्य में कृशि को विविध–मुखी बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिये अलग से एक बागवानी का निदेशालय बनाया गया है ताकि फलों, खुम्बी, सब्जियों, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती तथा अन्य अधिक कीमत देने वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस वक्त हमारा खुम्बी का उत्पादन लगभग 840 टन है। लगभग 40 किसानों शहतूत की खेती और रेशम के कीड़े पालने के व्यवसाय में लगे हैं। दिल्ली में फलों और सब्जियों की अच्छी खपत होने की वजह से दिल्ली के आप–पास के क्षेत्रों में इनके उत्पादन की ओर विशेश ध्यान दिया जा रहा है। आगामी वर्श में 40 हजार हैक्टेयर भूमि पर लगाने के लिए फलों के लगभग 10 लाख पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। इस वर्श अंगूर, किन्नु तथा माल्टा की कीमतों में स्थिरता लाने का काम किया गया। सब्जियों की खपत

को प्रोत्साहित करने के लिए अगले साल मिनी किट के जरिए बढ़िया बीज उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा वर्श के 1.36 करोड़ रूपये के मुकाबले आगामी वर्श 2.10 करोड़ रूपये का खर्चा प्रस्तावित है।

लाभकारी मूल्य

उप–प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल द्वारा कृशि विभाग का कार्यभार संभालने के पश्चात ही किसानों को किमतों में असली प्रोत्साहन मिला है। धान का समर्थन मूल्य 1988–89 में 160 रूपए प्रति क्विटल से बढ़ा कर 1989–90 में 185 रूपये और 1990–91 में 205 रूपये, गेहूं का समर्थन मूल्य 1989–90 में 183 रूपये से बढ़ा कर 1990–91 में 215 रूपये, कपास का 1989–90 570 रूपये से बढ़ाकर 1990–91 में 620 रूपये तथा सरसों का समर्थन मूल्य 1989–90 में 460 रूपये से बढ़ाकर 1990–91 में 575 रूपये कर दिया गया। हरियाणा मैं गन्ना उत्पादकों को वर्श 1988–89 में 33 रूपये प्रति क्विटल, 1989–90 में 38 रूपये और 1990–91 में 46 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का देश भर में सबसे ऊंचा मूल्य अदा किया गया है जबकि भारत सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य 19 रूपये 50 पैसे से 23 रूपये ही है। (तालियां) अच्छी कीमत का प्रोत्साहन देने के किसानों को अपनी उपज बढ़ाने की प्रेरणा भी मिलेगी और दूसरी चीजों की कीमतों के मुकाबले में कृशि की कीमतों में जो कम बढ़ेत्तरी होती रही है उस असंतुलन में भी सुधार होगा। बाजार में बिकने के लिए माल भी ज्यादा

आयेगा। स्पीकर साहब, मैं यह और अर्ज कर देना चाहता हूं कि किसान का गन्ने का कोई पैसा नहीं है। सारा पैसा उनको दे दिया गया है।

कुशलता से की गई सरकारी खरीद (Procurement) से सामान्यतः कृशि उपज का बाजार भाव समर्थन मूल्य से ऊंचा रहा है। पिछली रबी के दौरान मण्डियों में गेहूं की कुल आमद 26.95 लाख टन की थी जिसके मुकाबले सरकारी एजेन्सियों ने 25.91 लाख टन गेहूं खरीदा। जनवरी 1991 तक 22.25 लाख टन धान की आदम हुई जबकि पिछले वर्श यह 21.02 लाख टन थी। चावल की खरीद 7.12 लाख टन से बढ़कर 7.84 लख टन हो गयी।

किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने अभी हाल ही में प्रमाणित बीजों और कृशि यन्त्रों के कुछ और पार्टस को बिक्री कर से छूट देने का फैसला किया है।

कर्जा माफी योजना

राज्य के किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को कजदारी से राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्श 1987 में कर्जा माफी योजना देश भर में सबसे पहले शुरू की है। इस योजना के तहत सहकारी ऋण संस्थाओं के जरिये 4 लाख 3 हजार व्यक्तियों को 34 करोड़ 31 लाख रूपये की राहत दी गयी। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरिजन कल्याण निगम और महिला तथा कमजोर वर्ग विकास

निगम द्वारा 63491 व्यक्तियों को 7 करोड़ 54 लाख रूपये की कर्जा राहत की गयी।

हरियणा की कर्जा माफी योजना को देख कर ही केन्द्रीय सरकार ने 1990 में ऐसी ही एक योजना बनाई। भारत सरकार की इस योजना के तहत न केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्जदारों को ही राहत ही गई है बल्कि सहकारी क्षेत्र के कर्जदारों को भी 50 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है। सरकार क्षेत्र के बैंकों एंव प्रादेशिक ग्रामीण बैकों से दी गई राहत के अनुसार हरियाणा राज्य के 2 लाख 72 हजार व्यक्तियों के 95 करोड़ 56 लाख रूपये के कर्जे माफ हुये हैं। ''हरियाणा सहकारी कृशि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990'' के तहत हरियाणा में सहकारी बैंकों क जरिये 2 लाख 98 हजार व्यक्तियों को दिये गये। 128 करोड़ 63 लाख रूपये के कर्जे माफ किये गये हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 64 करोड़ 32 लाख रूपये की राशि व तीन साल का ब्याज दिया जायेगा। इस तरह दोनों स्कीमों के तहत कुल मिलाकर 10 लाख 36 हजार व्यक्तियों के 266 करोड़ 5 लाख रूपये का लाभ दिया गया है। (तालियां)

सरकार ने हरियाणा कर्जदारी राहत अधिनियम को प्रभावभाली ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर बोर्डो को गठन किया है। संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त इनके अध्यक्ष बनाये गये हैं। अतिरिक्त उपायुक्तों को कहा गया है कि वे इस अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाओं का अच्छे ढंग से प्रचार

करें ताकि संबंधित व्यक्ति अपने दावे पेश कर सकें। अतिरिक्त उपायुक्तों को यह भी कहा गया है कि वे इन बोर्डों को बैठक नियमित रूप से करें ताकि इस दिशा में कार्यवाही जल्दी हो।

सहकारिता तथा ऋण

वर्श 1990–91 के दौरान 362 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले किसानों को जनवरी तक 226 करोड़ रूपये के छोटी और मंझली अवधि के कर्जे दिये गये। अगले साल के लिये यह लक्ष्य 437 करोड़ रूपये का रखा गया है। इसी तरह हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक ने वर्श 1989–90 में 40 करोड़ 5 लाख रूपये लम्बी अवधि के कर्ज के रूप में बांटे। जनवरी 1991 तक 30 करोड़ 30 लाख रूपये के कर्जे बांटे गये हैं। आगामी वर्श के लिये 60 करोड़ रूपये के कर्जे देने का लक्ष्य है।

सहकारी संस्थाओं ने अपनी माली हालत सुधारने में अच्छी प्रगति की है। हरको बैंक ने 1989–90 के दौरान 5 करोड़ 17 लाख रूपये का शुद्ध लाभ कमाया। हैफेड ने पिछले वर्श 2.87 लाख टन रासायनिक खाद सप्लाई की तथा 10.40 लाख टन गेहूं की खरीद की। इसके अतिरिक्त हैफेड ने अच्छी संख्या में अपनी प्रोसैंसिंग युनिटस भी स्थापित की हैं। वर्श 1989–90 में हैफेड को 6 करोड़ 61 लाख रूपये का रिकार्ड लाभ हुआ। कान्फैड ने भी वर्श 1989–90 में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर 61 करोड़ 87 लाख रूपये की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई।

सहकारी क्षेत्र में लगी चीनी मिलों का तो पिछले तीन वर्शों में रूप ही बदल गया है। सहकारी क्षेत्र में लगी सातों चीनी मिलें इस समय लाभ में चल रही हैं। वर्श 1990–91 के दौरान इन मिलों में 220 लाख क्विटल से अधिक गन्ना पीड़ने तथा 21 लाख क्विटल चीनी का उत्पादन होने की संभावना है, जबकि 1989–90 में 14.50 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू वर्श के दौरान गन्ने से चीनी निकालने की औसतन दर 10 प्रतिशत से कुछ ही कम रहेगी। जबकि यह वर्श 1985–86 में 8.72 प्रतिशत थी इस वर्श के दौरान सभी मिलों की बढ़ी हुई क्षमता को मिलाकर कुछ क्षमता का 120 प्रतिशत से भी अधिक इस्तेमाल होगा जबकि वर्श 1985–86 में कुल क्षमता का 81.88 प्रतिशत ही इस्तेमाल हुआ। एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जहां 1985–86 में चीनी मिलें 5 करोड़ 62 लाख 91 हजार रूपये के घाटे में थीं वहां 1989–90 में इन्हीं मिलों ने 15 करोड़ 25 लाख रूपये का रिकार्ड मुनाफा दिया है। (तालियां) उससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि हम अपने किसान को 46/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देश में गन्ने की सर्वोच्य कीमत अदा कर रहे हैं। इस दिशा में हरियाणा प्रदेश एक मिसाल बन गया है। वर्तमान चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम जारी है। 25 हजार टी.सी.डी. क्षमता वाली महम, कैथल तथा भुना में तीनप शुगर मिलें तेजी से स्थापित की जा रही है। इनमें से प्रत्येक मिल पर 25 करोड़ रूपये का खर्चा होगा। महम और कैथल की चीनी मिलें मार्च, 1991 तक चालू हो जानी सम्भावित है। नारायणगढ़

और सिरसा में मिलें लगाने के लिये भारत सरकार को लाइसैंस देने को लिखा जा चुका है।

सहकारी क्षेत्र के विकास के लिये मौजूदा वर्श के 9 करोड़ 73 लाख रूपये के खर्च के मुकाबले अगले साल के लिये 12 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण

हरियाणा में जल साधन और अधिक नहीं है। उनकी कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि जो भी साधन हमारे पास हैं उनका भरपूर उपयोग हो और पानी पहुंचाने में जो रास्ते में नुकसान हो जाता है वह कम से कम हो। वर्तमान रजबाहों को आधुनिक बनाने की विश्व बैंक सहायता से चल रही योजना के तहत इस वर्श के दौरान रजबाहों का एक करोड़ 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र पक्का किया गया है जिससे पक्की की गई नहरों का कुल क्षेत्र 49 करोड़ 20 लाख वर्ग फुट हो गया है। इसके अलावा, इस वर्श 1300 किलो मीटर लम्बके खालों को पक्का यिका गया है कि जिससे कुछ पक्के खालों की लम्बाई लगभग 19 हजार 800 किलोमीटर हो गई है। नहरों व खालों के पक्का करने से पानी की जो बचत हुई है उससे 15 हजार हैक्टेयर और भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। सिंचाई नहरों के अन्तिम छोर पर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 1000 नहरों व रजवाहों में मिट्टी और घासपास की सफाई की गई है। इससे नहरों में पानी की

मिकदार बढ़ गई है और सिंचाई के लिए अधिक पानी मिला है। भाखड़ा मेन लाईन तथा नरवाणा ब्रांच की क्षमता बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम अपने हिस्से का पूरा पानी ले सकें। ऐसा होने की स्थिति में सिचित क्षेत्र में 26 हजार हैक्टेयर की बढ़त होगी। सिंचाई से सम्बन्धित सभी योजनाओं के लिए अगले वर्श में 117 करोड़ 78 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है।

सिंचाई सुविधाओं में और अधिक विस्तार सतलुज यमुना लिंक नहर के पूरा होने पर निभ्रर करता है। हम यह मामला केन्द्र सरकार के साथ समय–समय पर उठाते रहे हैं और आशा है कि बहुत देर से अधूरी पड़ी इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमने केन्द्र सरकार से यह भी कहा है कि वह हमें वह 55 करोड़ रूपए की धनराशि भी वापिस सहायता के तौर पर दे जो हरियाणा इस नहर पर केन्द्र द्वारा इसका पूरा खर्च उठाने से पहले खर्च कर चुका है।

राज्य को 1990 में बाढ़ की किसी भारी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी जल निकाल प्रणाली कारगार साबित हुई और यमुना, टांगड़ी, मारकण्डा तथा घग्गर के बाढ़ बचाव कार्य ठीक से कार्य करते रहे। इस वर्श के दौरान बाढ़ बचाव कार्यो पर 3 करोड़ 62 लाख रूपए की राशि खर्च की गई है जिससे 28 योजनाओं पर कार्य पूरा हुआ है। इन योजनाओं से 135 गांवों की आबादी को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। आगामी

वर्श में 10 करोड़ 45 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है जिससे 51 स्कीमों पर कार्य शुरू किया जाएगा।

आगरा नहर सिस्टम के तहत आने वाले क्षेत्र के किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह सिस्टम उत्तर प्रदेश के नियन्त्रण में है। हमारी पूरी कोशिश हैं कि हरियाणा क्षेत्र में इस सिस्टम पर हमारा नियन्त्रण हो। इसके लिए उचित स्तर पर हमने मामला उठाया है।

बिजली

इस वर्श राज्य में प्रतिदिन 229 लाख यूनिट औसतन बिजली सप्लाई की गई है जबकि पिछले वर्श यह सप्लाई 215 लाख यूनिट प्रति दिन थी। इस वर्श एक लाख 55 हजार सामान्य कनैक्शन देने के लक्ष्य से अधिक कनैक्शन दिये जायेगे। दस हजार दो सौ नलकूपों के लक्ष्य के मुकाबले 7900 कनैक्शन दिये जा चुके हैं और साल के आखिर तक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

इस वर्श के दौरान बादशाहपुर में स्थित 220 के.वी.ए सबस्टेशन में 100 एम.वी.ए. का एक और ट्रांसफारमर लगया गया है। हिसार छावनी, भोर, कौल, बहादुरगढ़, जूंडला और कनीना खास में 132 के.वी.ए. के नये सब–स्टेशन स्थापित किये गये हैं जबकि पांच सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और अद्यौया में

एक नया सब–स्टेशन बनाया गया है। 33 के.वी.ए. के चार नये सब–स्टेशन बनाये गये हैं और 16 सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है।

पानीपत में 210 मैगावाट का एक नया यूनिट बनाने का काम शुरू हो चुका है। इससे 8वीं पांचसाला योजना के आखिर तक बिजली पैदा होने लगेगी। यमुना नगर में 840 मैगावाट के सुपर ताप बिजली घर का काम भी शुरू हो गया है। हिसार तथा पलवल में ताप बिजली घर और बल्लबगढ़ में गैस से चलने वाले बिजली घर लगाने की सम्भावनाओं का अध्ययन चल रहा है।

इस वर्श की योजना में बिजली क्षेत्र के लिये रखे गये 150 करोड़ रूपये के प्रावधान के मुकाबले वर्श 1991–92 की योजना में 186.35 करोड़ रूपये रखे गये हैं और सभी प्रकार के लक्ष्य बढ़ाये गये हैं।

वन

हरियाणा में इस समय कुल का लगभग 7–7 प्रतिशत रकबा बनों के तहत है और रकबे पर वन लगने के साथ–साथ अरावली पहाड़ियों, सैलाईन तथा अलकलायीन भूमि और छितरे पेड़ों वाले वनों में वृक्ष लगाने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा को हरा भरा बनाने का अभियान चलाया गया है। वर्श 1990–91 में 60 हजार हैक्टेयर भूमि में वृक्ष लगाने के लक्ष्य के मुकाबले नवम्बर, 1990 तक 59810 हैक्टेयर भूमि में पौधे

लगाये जा चुके हैं। विश्व बैंक की सहायता से अरावली की पहाड़ियों में पेड़ लगाने का विशेशधा कार्य चलाया गया है। भारत सरकार की मदद से बंजर पड़ी हुई भूमि के विकास का काम शुरू किया गया है। पेड़ लगाने के विभिन्न कामों के लिए वर्श 1991–92 के लिए 22 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। वन विकास निगम को 20 लाख रूपये की पूंजी दी गई हैं पेटियां बनाना, फर्नीचर बनाना तथा लकड़ी का कोयला बनाने जैसे व्यापारिक कामों से वन विभाग को 7 करोड़ 17 लाख रूपये की आमदनी प्राप्त होने की उम्मीद है।

जन स्वास्थ्य

माननयी सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि जैसे हरियाणा और कई कामों में प्रथम रहा वैसे ही गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के मामले में भी हम प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं। इस वश्र 380 समस्याग्रस्त और दूसरे गांवों में नल द्वारा पानी की यह सुविधा दी जा चुकी है और वर्श के अन्त तक 441 और गावों में दे दी जायेगी। जो थोड़े से गांव बचेंगे वहां वर्श 1991–92 के शुरू में यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा। इस कार्य के लिये इस वर्श 34 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी अपने ग्रामीण जल व्यवस्था स्कीम के आधीन 5 करोड़ 4 लाख रूपये दिये हैं। इस वर्श 81 शहरों में पानी की व्यवस्था और 37 शहरों में जल निकासी की व्यवस्था के लिये 5 करोड़ 50 लाख रूपये की प्रावधान है। वर्श 1991–92 के

लिए राज्य योजना में ग्रामीण कामों के लिए 24 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था है और भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल स्कीम के आधीन 4 करोड़ रूपये और मिलने की आशा है। अगले वर्श शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी और जल निकासी की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये 8 करोड़ 60 लाख रूपये रख गये है।

पशुपालन

इस वर्श 200 नई पशु चिकित्सा डिसपेन्सरियां खोली जा रही हैं। वर्श 1991–92 में 40 डिसपेन्सरियां, 2 पाली–क्लीनिक खोलने तथा 30 डिसपेन्सरियों और पशु पालन केन्द्रों को अस्पतालों में बदलने का लक्ष्य है। हमारा इरादा पशु प्लेग (rinderpest) को अगले 6 वर्शों में समाप्त करने देने का है। बढ़िया किस्म के दुधारू पशुओं की संख्या में बढ़ौतरी लाने के उदेश्य से 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक के इनाम अधिकतम दूध देने वाले पशुओं को दिये जा रहे हैं। कमजोर वर्गों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बढ़िया नस्ल के पशु पालन तथा मुर्गी पालन इत्यादि के लिए 1991–92 में एक करोड़ रूपये की व्यवसाि की गई है। पशु पालन के सभी कार्यो के लिए अगले वर्श 6 करोड़ 30 लाख रूपये रखे गये हैं जबकि इस वश्र के संशोधित अनुमानों में 5 करोड़ 10 लाख रूपये की व्यवस्था है।

मछली पालन

राज्य में मछली पालन का लगातार विस्तार हो रहा है। भारत सरकार ने नए बनाए गए जिलों में मछली पालन विकास एजेन्सियां बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। चालू वर्श में, 600 लाख बढ़िया मछली–बीज बनाकर मछली उत्पादन 22500 टन तक बढ़ा दिये जाने की उम्मीद है। आगामी वश्र में 650 लाख बढ़िया मछली–बीज बनाकर मछली उत्पादन 24000 टान हो जाने की आशा है। वार्शिक योजना 1991–92 में इस सैक्टर के लिये 192 लाख रूपये रखा गया है, जबकि वर्श 1990–91 के संशोधित अनुमानों में यह 175 लाख रूपये है। अगले वर्श अनुसूचित जातियों के 425 परिवारों को मछली पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी।

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति

समूचे हरियाणा में उचित मूल्य की काफी दुकानें हैं। किसी भी उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए दो किलो मीटर से अधिक दूर नहीं जाना पड़ता। खाड़ी युद्ध के कारण बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की बनावटी कमी हो गई। इस स्थिति का सामना करने के लिए अनेक प्रभावशाली कदम उठाये गये। गेहूं और उससे बनी चीजों को राज्य से बाहर ले जाने पर पाबन्दी लगा दी गई। राशन की दुकानों में गेहूं की अतिरिक्त मात्रा बिक्री के लिए दी गई और उसका वितरण यिका गया है तथा जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक की सीमा तय की गई। जमाखोरी रोकने सम्बन्धी कार्यों को तेज कर दिया गया। डीजल

की सप्लाई को ठीक किया गया ताकि कृशि कार्यों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। भारत सरकार ने भी फरवरी, 1991 में डीजल की सप्लाई में 750 कि. लिटर की बढ़त करके हमारी सहायता की। राज्य सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों की खपत की किफायत के लिए अनेक उपाय किए हैं। खुशी की बात है कि अब युद्ध समाप्त हो गया है और शीघ्र ही स्थिति के सामान्य हो जाने की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं को और सरंक्षण प्रदान करने के लिए हिसार तथा अम्बाला में दो जिला शिकायत निवारण फोरम तथा सेवानिवृत मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राजय आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

उद्योग

राज्य में उद्योग के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। चालू पंजीकृत फैक्ट्रीयों की संख्या 1984 के अन्त में 4335 से बढ़कर 1989 के अन्त तक 4781 हो गई। छोटी इकाईयों की संख्या 1984–85 में 56732 थी जो 1989–90 के अन्त में 92400 हो गई। नवम्बर, 1990 तक बढ़ कर यह 95819 हो गई है। वर्श 1990–91 के दौरान, भारत सरकार ने 37 आशय पत्र, 6 औद्योगिक लाइसैंस ओर 105 पंजीकरण–पत्र जारी किये हैं। 1991–92 में 40 बढ़ी तथा मध्यम इकाईयां स्थापित हो जाने की सम्भावना है।

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। सड़क बिजली और पानी आदि तथा दूसरी सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है और हमारे राज्य में मालिक मजदूरों के सम्बन्ध भी बहुत अच्छे हैं। औद्योगिक इकाईयों द्वारा वर्श 1986–87 से लेकर अब तक लगाये गये 1962 जेनेरेटिंग सेटस (Generating sets) के लिए 8.66 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है। इसी दौरान पिछड़े क्षेत्रों में लगाई गई 69 इकाईयों को 3.51 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया जबकि मेवात क्षेत्र में लगाये गये संस्थाओं को 2.37 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया।

जुलाना (जिला जींद) तथा बावल (जिला रिवाड़ी) में भी औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना है। हर विकास केन्द्र 400 से 800 हैक्टेयर के रकबे में स्थापित किया जायेगा। इन केन्द्रों को स्थापित करने से बिजली, पानी, दूर संचार और बैकिंग जैसी सुविधाएं मिलने से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पानीपत में एक ''कटेनर फ्रेट स्टेशन'' (Container Preight Station) बन रहा है। हम ऐंसीलियरी इकाईयों की स्थापना की और विशेश ध्यान दे रहे हैं। सातवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान 92 ऐसी इकाईयां स्थापित की गई और वर्श 1990–91 के दौरान 35 इकाईयां स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

हरियाणा वित्त निगम 90 लाख रूपये के कर्जे देता है। इसने वर्श 1988–89 के दौरान 507 व्यक्तियों को 23.97 करोड़ रूपये और 1989–90 के दौरान 639 व्यक्तियों को 33.24 करोड़ रूपये के कर्जे वितरित किये। हरियाणा उद्योग विकास निगम ने 122 करोड़ रूपये लगाकर अपनी मदद देकर या प्राइवेट पार्टियों के साथ मिलकर या पब्लिक सैक्टर में 19 प्रोजेक्ट लगाये हैं। लगभग 300 करोड़ रूपये के निवेश से 29 और प्रोजेक्ट लगाये जा रहे हैं।

राज्य में उद्योगों के हर दिशा में विकास के कारण औद्योगिक उत्पादन इंडैक्स में 1987–88 में हुई 8.9 प्रतिशत की बढ़त के मुकाबले 1988–89 मे 12.29 प्रतिशत की बढ़त हुई। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्श 1991–92 में 20 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान है जबकि 1990–91 के संशोधित अनुमानों में यह 16.48 करोड़ रूपये था। राज्य सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है कि राज्य में लगने वाले औद्योगिक संस्थाओं में स्थानीय श्रमिक ही लगाये जायें ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले।

श्रम तथा रोजगार

हरियाणा में औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण बहुत अच्छा रहा हैं श्रम विभाग ने इस वर्श काम रोकने से ताल्लुक रखने वाले 33 मामलों को सुलझाया। मास सितम्बर, 1990 में काम रोके जाने की कोई घटना नहीं हुई। अकुशल कामगरों के लिये

न्यूनतम मजदूरी की दर को 815 रूपए 30 पेसे प्रतिमाह या 31.40 रूपये प्रति दिन कर दिया गया है जो कि पंजाब को छोड़ कर भारत में सबसे अधिक है। मजदूरों को सुविधा के लिये आठ श्रम कल्याण केन्द्र और 11 क्रैच खोले गये हैं और इस काम के लिये वर्श 1990–91 के दौरान 6.87 लाख रूपये की राशि खर्च की जायेगी।

राज्य में कोई बन्धुआ मजदूर नही हैं, जिनका पुनर्वास किया जाना हो। उद्योगों में दुर्घटनायें रोकने के लिए ''हरियाणा राज्य सुरक्षा तथा कल्याण पुरस्कार'' स्कीम शुरू की गई है।

हरियाणा के 1.11.1988 के ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिये बेरोजगार भत्ता स्कीम शुरू की गई थी, जिसे बाद में 1.7.1989 से मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को भी शामिल करके और अधिक उदार बना दिया गया हैं अब स्नातकों के लिये 100 रूपये प्रति मास, हायर सैकेण्डरी पास के लिये 75 रूपये प्रति मास और मैट्रिक पास के लिये 50 रूपये प्रति मास बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस समय लगभग 36000 बेरोजगार उम्मीदवार यह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और वर्श के अन्त में यह संख्या बढ़ कर 40000 हो जाने की सम्भावना है। वर्श 1990–91 के दौरान इस स्कीम पर 246 लाख रूपये खर्च हुये है। हमने ''एक परिवार एक नौकरी'' स्कीम के लिये एक समिति बनाई है, जो ऐसे परिवारों का पता लगायेगी जिनका कोई भी सदस्य किसी रोजगार में नहीं है। ''काम करने

का अधिकार'' का उदेश्य हासिल करने के लिये नीति बनाने के लिये उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भारत सरकार ने भी किया है। वर्श 1991–92 के दौरान श्रम कल्याण और रोजगार केन्द्रों के प्रोग्रामों पर 9 लाख रूपये का खर्चा रखा गया है।

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी (Science & Technology)

राज्य सरकार ने अर्थ व्यवस्था के हर क्षेत्र में विज्ञान तथा टैक्नालाजी को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में ताजातरीन दूरस्थ संवेदनशील तकनीक (Remote Sensing Techniques) लागू करने के लिये दो करोड़ रूपये की लागत से हिसार में दूरस्थ संवेदनशील प्रयोग केन्द्र (Remote Sensing Application Centre) बनाया गया हैं हर जिले के एक ब्लाक में Integrated rural energy programme चलाने के लिये राज्य के 14 ब्लाकों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मकसद उर्जा के पुराने तरीकों की कार्यक्षमता सुधारना और नये तरीकों का बढ़ावा देना है। बे हुये पानीपत और यमुनानगर जिलों मैं यह काम 1991–92 में शुरू कर दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिये 75 लाख रूपये रखे गये हैं।

तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण

हरियाणा के खास खनिज साधन नहीं हैं। हमारा औद्योगिक विकास अधिक कुशल और तकनीकी जानकारी वाली

जन शक्ति से ही हो सकता है। इसके लिये इस समय राज्य में 18 डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थायें और 17 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान हैं। तकनीकी शिक्षा के प्रोग्रामों के विस्तार के लिये विश्व बैंक की सहायता से 81 करोड़ रूपये की लागत से एक परियोजना आठवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान चलाई जायेगी। इस परियोजना के अधीन हिसार में एक डिग्री कालेज तथा 3 पोली–टैकनीक खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान पालिटैक्नीक संस्थाओं संस्थाओं में इलैक्ट्रोनिक तथा संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर इंजीनियरी चीनी मिट्टी इंजीनियरी, उपकरण इंजीनियरी, प्लास्टिक तकनीक और माइक्रो प्रोसैस प्रोद्योगिकी आदि के नये पाठयक्रम शुरू किये जायेंगे। वर्तमान पालिटैक्निक संस्थाओं में नये भवनों, अमले के लिये क्वार्टरों, होस्टल, कम्प्यूटर सुविधाओं, आधुनिक मशीनरी और फर्नीचर आदि की व्यवस्था करके उनको आधुनिक और मजबूत बनाया जायेगा। इसके लिये चालू वर्श में 5.75 करोड़ रूपये के खर्च को बढ़कर वर्श 1991–92 में 16 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

जहां तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सम्बन्ध है, विश्व बैक परियोजना के तहत और दूसरी स्कीमें शुरू की गई हैं जिनके अन्तर्गत 6.10 करोड़ रूपये की लागत से पुनानी मशीनों की जगह आधुनिक मशीनें लगाई जायेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नये पाठयक्रम शुरू किय जायेंगे और 5 नये संस्थान खोले जायेंगे। इनके लिये दो नये भवन बनाये जा चुकी हैं।

आगामी वर्श में औद्योगिक प्रशिक्षण की ओर बढ़ावा देने के लिचये बजट में 3 करोड़ रूपये का उलबन्ध है जबकि चालू वर्श के संशोधित अनुमानें में 2.56 करोड़ रूपये का उपबन्ध है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवजन देश के सबसे अच्छे उपक्रमों में माना जाता रहा है। चालू वर्श के दौरान 174 नई बसों की बढ़ौतरी हुई और 180 पुरानी बसों की जगह नई बसें ली गई। आगामी वर्श के दौरान हमारा 56 नई बसें डालने और 386 पुरानी बसों की जगह नई बसों को लेने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य परिवहन को आरक्षण विरोधी आन्दोलन से और खाड़ी की लड़ाई से सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है। यात्रियों के लिए सभी प्रकार की जयरी सुख–सुविधाओं वाले बहुत से आधुनिक बस अड्डे इस साल और बनाये गये हैं। कुछ और बस अड्डे मुकम्मल होने वाले हैं। अगले वर्श 18 और स्थानों गये है। कुछ और बस अड्डे मुकम्मल होने वाले हैं। अगले वर्श 18 और स्थानें पर बस अड्डे बनाने की हमारी योजना है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि स्वतन्त्रता सेनानियों, विधवाओं, नेत्रहीन व्यक्तियों, युद्ध से हुइ विधवाओं, संवाददाताओं, पुलिस अमले, विद्यार्थियों और बेरोजगार व्यक्तियों आदि का विभिन्न सुविधायें दी जा रही हैं जिससे राज्य पर 15 करोड़ रूपये से अधिक का भार पड़ता है। वर्श 1991–92 की वार्शिक योजना में 25.07 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव है। जबकि चालू वर्श के लिये 20.50 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

हरियाणा राज्य परिवहन इंजीनियरी निगम ने चालू वर्श के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन की 364 बस बाडीज बनाई हैं और उन्हें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम से 120 बस बाडीज बनाने का आर्डर मिला हे। देश के अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों से आर्डर प्राप्त करने के लिये प्रयास भी किये जा रहे हैं।

सड़कें तथा पुल

चालू वर्श के दौरान 220 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जा रही है। आगामी वर्श के लिए 225 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य है। वर्श 1990–91 के दौरान 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों को मजबूत तथा चौड़ा किया जा रहा है और अगले वर्श भी 220 किलोमीटर लम्बी सड़कों का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में विभिन्न सड़कों पर 20 पुल बनाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिये चालू वर्श के दौरान 16 करोड़ रूपये के मुकाबले वर्श 1991–92 के दौरान 21 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है। वर्श 1991–92 के दौरान सोनीपत, बड़खल, पानीपत–गोहाना और पानीपत–असंध सड़कों पर चार रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने का काम शुरू करने का प्रस्ताव है।

दुर्भाग्यवश, राश्ट्रीय राज मार्ग नम्बर एक को चार–लेनी राजमार्ग बनाने का काम ठेकेदारो के विवाद के कारण रूक गया है। इस विवाद को सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं और भारत सरकार तथा विश्व बैंक के अधिकारियों से इस बारे में शीघ्र

निर्णय लेने का अनुरोध किया जा रहा है। बल्लबगढ़ से हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा तथा राश्ट्रीय राज मार्ग को चार–मार्गी बनाने का कार्य ठेकेदारों को दे दिया गया हैं यह परियोजना एशियन विकास बैक की सहायता से शुरू की जा रही है। इस परियोजना की लागत 68.91 करोड़ रूपए होगी और इसे चार वर्शो में पूरा किया जाएगा। हरियाणा क्षेत्र की 56.33 किलोमीटर दूरी इस परियोजना के अन्तर्गत आएगी। इस पर वर्श 1991–92 के दौरान 10 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी।

पर्यटन

राज्य में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य में पर्यटन सुविधाओं का और तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में एक नया पर्यटक केन्द्र पूरा हो चुका हैं आसाखेड़ा में म्यूजिकल फव्वारे चालू कर दिये गए हैं। पंचकूला में सम्मेलन सुविधाओं वो एक नये पर्यटक केन्द्र की स्थापना, रोहतक में तिलयर में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार और नारनौल में एक नये पर्यटक केन्द्र का निम्रण कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिन्हें इस वर्श केन्द्र सरकार की सहायता से शुरू किया गया हैं। सूरजकुण्ड में आयोजित क्राफ्ट मेले ने भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्शित किया है। वर्श 1991–92 के लिए विचाराधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में दमदमा ने निकट मनोरंजन पार्क, सूरजकुण्ड में डीलक्स कोटेज, हिसार तथा सिरसा जिले से ओढ़ां में पर्यटक केन्द्र, आसाखेड़ा में मोटल

और रेस्तरां का विस्तार और राई में एक नये केन्द्र कमी स्थापना शामिल है। साहसी पर्यटन (Adventure tourism) को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हथनीकुण्ड में रैफिटिंग की, अन्य केन्द्रों में हैंग ग्लाइडिंग और पैरा–सेलिंग की सुविधाएं देने की भी योजना है। इस प्रयोजन के लिए वर्श 1991–92 की वार्शिक योजना की राशि बढ़ाकर 270 लाख रूपए कर दी गई है जबकि चालू संशोधित अनुमानों में यह 200 लाख रूपए है।

स्वास्थ्य सेवाएं

राज्य सरकार 2000 ईस्वी तक ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है, (तालियां) इसके लिए 2367 उप केन्द्र, 394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 98 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जरूरत है। मार्च, 1991 के अन्त तक राज्य में 2352 उपकेन्द्र, 394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 58 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन जाने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, चालू वर्श में 59 उपकेन्द्र, 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। वर्श 1991–92 के दौरान, राज्य के शहरी गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्श 1991–92 में इन कार्यक्रमों के लिए 16.60 करोड़ रूपए का खर्च किया जाएगा। जबकि चालू वर्श के संशोधित अनुमानों में 12.65 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

राश्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नवम्बर, 1990 तक 45789 नसबन्दी आप्रेशन किए गए। शिशुओं का छः घातक बीमारियों से बचाव करने के लिए राज्य में राश्ट्रीय प्रतिरक्षण (immunisation) कार्यक्रम चलाया गया है। (तालियां) राज्य सरकार मैडिकल कालेज, रोहतक में आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण और सुविधाएं बढ़ाना चाहती है। जापान की सहायता से भारत सरकार ने 150 लाख रूपए की लागत वाली पूरी कैट स्कैन मशीन लगाई है जो चालू हो गई है। (तालियां) चिकित्सा शिक्षण के लिए, जिसमें अग्रोहा मैडिकल कालेज भी शामिल है, वर्श 1991–92 में 6.60 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अग्रोहा मैडिकल कालेज के पहले बैच के विद्यार्थी रोहतक मैडिकल कालेज में पढ़ रहे हैं। अगले वर्श भी विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। चालू वर्श का संशोधित परिव्यय 4.80 करोड़ रूपए है। राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा प्रणाली को भी विकसित करना चाहती है और वर्श 1991–92 के दौरान इस स्कीम के लिए 70 लाख रूपए का प्रावधान किया है। चालू वर्श में इसके लिए 52 लाख रूपए का प्रावधान है।

शिक्षा तथा खेलकूद

हरियाणा में शिक्षा का हर स्तर पर विकास हुआ है। सातवीं योजना में लड़कियों के लिए 500 प्राथमिक स्कूल खोले गए तथा 507 प्राथमिक और 329 माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें क्रमशः माध्यमिक तथा उच्च स्तर का बनाया गया है

जिससे स्कूल बच्चों के घरों के नजदीक हों और लड़कियों की शिक्षा को खास प्रोत्साहन मिल सके। वर्श 1990–91 में 59 प्राथमिक स्कूल खोले गए तथा 55 प्राथमिक और 51 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर इन्हें क्रमशः माध्यमिक और उच्च विद्यालय कर दिया गया है। वर्श 1991–92 में लड़कियों के लिए 100 प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे और 50 माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाएगां अब प्राथमिक शिक्षा की सुविधा हर बच्चेा का एक किलोमीटर के दायरे में, माध्यमिक शिक्षा 1.98 किलोमीटर के दायरे में और उच्च शिक्षा 2.49 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है।

अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गो के बच्चों में शिक्षा के बढ़ासा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त लेखन सामग्री तथा उपस्थिति पुरस्कार दिये जा रहे हैं और सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए वर्दी और बुक बैकों से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। घुमन्तु कबीलों के बच्चों को स्कूल में आने के लिए एक रूपया प्रतिदिन दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रचलित ''ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम'' को वर्श 1987–88 से लागू किया गया है। इस स्कीम के अधीन कुछ आवश्यक सुविधाएं जैसे कि फर्नीचर, खेल सामग्री तथा प्रशिक्षण यन्त्र प्रदान किये जाते हैं। यह सुविधाएं अब तक 3869 स्कूलों में प्रदान की जा चुकी हैं।

हरियाणा में 10 जमा 2 शिक्षा पद्धति वर्श 1985–86 में लागू की गई है और इस समय यह पद्धति 322 स्कूलों व 117 कालेजों में उपलब्ध है। वर्श 1990–91 में 60 उच्च विद्यालयों को उच्चतर विद्यालय बनाया गया है और वर्श 1991–92 में 50 और उच्च शिक्षालयों का स्तर बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा प्रणाली को लोग करने के लिए 10000 अध्यापकों को 10–10 दिन का प्रशिक्षा दिया जा चुका है 9 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और तीन विद्यालय नरयाली (अम्बाला), सिवाह (पानीपत) तथा पिनागवा (गुड़गांव) में वर्श 1991–92 में स्थापित किए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार गैर–सरकारी शिक्षकों को लाभ देनै बारे इन स्कूलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श चल रहा है और इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नाथू सीरी चोपटा (सिरसा) में वर्श 1991–1992 में एक कालेज खोला गया है। वर्श 1991–92 में ग्रामीण क्षेत्र में एक और कालेज खोला जाएगा। शिक्षा प्रोग्रामों के लिए वर्श 1991–92 में 36.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जबकि वर्श 1990–91 मे 26.30 करोड़ की व्यवस्था है।

खेल कूद के विकास के लिए इस वर्श के 1.50 करोड़ रूपये के मुकाबे में आगामी वर्श 2.10 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, टरनामैंट तथा दूसरे मुकाबलों

को आयोजित करने की स्कीमों के अलावा हिसार में एस्ट्रो टर्फ भी लगाई जाएगी। सबसे अच्छे 2495 खिलाड़ियों को वजीफे दिये जा रहे हैं जिस पर 13.20 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा 8 लाख रूपये के इनाम भी दिए जा रहे हैं। हमारी योग टीम का अहमदाबाद में आयोजित राश्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार खेल–कूद को विशेश प्रोत्साहन देने के लिए उत्सुक है और इसके लिए साल का पहला इतवार खेल–कूद दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

समाज कल्याण

इस वर्श वृद्धावस्था पैशन 8.32 लाख लोगों को मिल रही है और इस पर कुल 101.57 करोड़ रूपया खर्च होगा। वर्श 1991–92 के दौरान इस काम के लिये 105.94 करोड़ रूपये रखे गये हैं। इस वर्श से पैंशन वितरण कार्य को आसान बनाने के लिये पैंशनरों को पहचान कार्ड एवम् लेखा पुस्तकें देने का काम शुरू किया जा रहा है। उपायुक्तों को यह आदेश भी दिये जा रहे हैं कि ऐसी शिकायतों की तुरन्त मौके पर जांच करें जहां किसी तरह की प्रशासनिक वजह से उन पात्र व्यक्तियों की पैंशन बन्द कर दी गई है जो पहले इसे ले रहे थे और अब भी इसके हकदार हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों की बकाया पैंशन का तुरन्त भुगतान करने की हिदायत भी दी जा रही है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को 75 रूपये प्रतिमास की दर पर पैंशन देने की स्कीम जारी रहेगी। राज्य में

उपेक्षित तथा कदाचारी बच्चों की देख–रेख, सुरक्षा, उपचार, विकास तथा पुनर्वास के लिये जिला स्तर पर 12 किशोर बोर्ड, 3 किशोर न्यायालय, 2 पर्यवेक्षण गृह, एक विशेश गृह ओर एक बाल उत्तर सेवा गृह पहले ही चल रहे हैं। राज्य में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 3 किशोर गृहों की स्थापना और की जा रही है। राज्य के जिला मुख्ययालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये 10 होस्टल चल रहे हैं और जीन्द तथा हिसार में दो और ऐसे होस्टल निर्माणाधीन हैं। यह सुविधा नये बनाये गये जिलों में भी प्रदान करने का प्रस्ताव है। महिला कल्याण निगम स्वैच्छिक (voluntary) संगठनों की सहायता से महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर रहा है। वर्श 1991–92 के लिये समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च 116.69 करोड़ रूपये हैं।

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों की सामाजिक और माली तरक्की के लिये हरिजन बस्ती पर्यावरण सुधार, आवास सहायता, पेयजल सप्लाई और हरिजन चौपाल आदि की स्कीमें चलाई जा रही हैं जो चौपालें गांव में बनी हुई हैं उनका नाम बाबा साहब डा. अम्बेदकर भवन रख दिया गया है और जो आगे बनेगी उनका नाम भी बाबा साहब डा. अम्बेदकर भवन रखा जाएगा।

उनके शैक्षिक विकास के लिये वजीफे देना, स्कूलों की फीस की वापिस भरपाई करना, विश्वविद्यालय और बोर्डों की परीक्षा फीस वापिस करना, पुस्तका अनुदान जैसे बहुत से प्रोत्साहन दिये जाते हैं। साईस, अंग्रेजी और गणित में स्कूल स्तर पर खास पढ़ाई का भी इंतजाम हे। इसके इलावा पेयजल कुआं सुविधाएं, हरिजन विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, लड़कियों और लड़कों के लिये होस्टल, अन्तर्जातीय विवाह के लिये प्रोत्साहन, अत्याचार से पीड़ितों को आर्थक सहायता और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और समितियों को सहायतानुदान देने की विभिन्न स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। हरिजन कल्याण निगम 133.56 लाख रूपये की हिस्सा पूंजी से अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न आय वृद्धि स्कीमों के तहत सीमान्त राशि (Margin money) और सबसिडी देकर मदद कर रहा है। वर्श 1990–91 के दौरान 11 कस्बों में कूड़ा उठाने के काम को खत्म करने के लिये एक स्कीम शुरू की गई है। वर्श 1991–92 के दौरान 5 और कस्बों में भी यह स्कीम चालू कर दी जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत बेकार हुए सफाई मजदूरों को दूसरे धन्धे शुरू करने के लिए हरिजन कल्याण निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।

विशेश संघटक योजना (Special Component Plan)

सभी विभागों की विभाज्य स्कीमों के तहत अनुसूचित जातियों को होने वाला लाभ विशेश संघटक योजना में बताया

जाता है ताकि अनुसूचित जातियों को होने वाले लाभों की सूचि बन सके और इनकी प्रगति पर नजर रखी जा सके। वर्श 1990–91 के लिये 77.83 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। वर्श 1991–92 के लिये 87.30 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

मेवात विकास

राज्य के पिछड़े क्षेत्र मेवात में विकास में तेजी लाने के लिए मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था ताकि इलाके की जरूरियात को देखते हुए विकास की विशेश स्कीमें लागू की जा सकें। यह इलाका पिछड़ा हुआ है और इसके लिये जरूरी है कि आम विकास कार्यो के अलावा भी यहां और कार्य किए जाएं। विकास के कामों में तेजी लाने के लिए इस साल दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक तो, विकास कार्यो को अमल में लाने वाली कमेटी का मुख्यालय चण्डीगढ़ से बदलकर कमिश्नर गुड़गांव के तहत गुड़गांव में कर दिया गया है। दूसरे, पहले जो प्रथा थी कि अगल–प्रलग विभागों में फण्ड मेवात विकास बोर्ड द्वारा बांटे जाते थे, इसकी बजाए अब मेवात विकास एजेन्सी को ही यह अधिकार दे दिया गया है। इन दो उपायों से इस इलाके में विकास की गति में तेजी आई है। इसके साथ ही अलग–अलग विभागों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि मेवात के इलाके पर होने वाला खर्च आम खर्च के अलावा होगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अगल–अलग विभागों से भी बातचीत की जा रही है ताकि

उनकी महारत और धन सहायता का फायदा उठाया जा सके। मेवात क्षेत्र के लिए अगले साल 3 करोड़ 30 लाख रूपये रखे गए हैं जबकि मौजूदा साल में भी 2 करोड़ 40 लाख रूपये हैं।

सामुदायिक विकास

जिला ग्रामीण विकास एजैंसियों तथा खण्ड विकास एवं पंचायत समितियों के जरिये ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य किये जा रहे हैं। इनके द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास (IRDP) जवाहर रोजगार योजना, चौपालों का निर्माण तथा गलियों को पक्का करने जैसी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत कार्यों में महिलाओं के योगदान की ओर भी समितियां विशेश ध्यान दे रही हैं। हमने महिलामण्डलों को मजबूत करने, उन्हें दूसरे राज्यों में हो रहे काम का अध्ययन कराने के लिये भेजने, सम्मेलन बुलाने और महिला मण्डलों को प्रोत्साहन के तौर पर इनाम देने को तरजीह दी है। ईधन की कमी से निपटने के लिये और महिलाओं के समय और शक्ति को बचाने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये हुये राज्य में एक उन्नत किस्म के चूल्हे लगवाने की राश्ट्रीय योजना शुरू की गई है। इन चूल्हों में धुआं न होने के साथ साथ ईधन की खपत कम होती है। चालू वर्श में तथा अगले वर्श के लिये 60000 चूल्हों का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिये सरकार एक ऐसी स्कीम पर भी विचार कर रही है जिसमें उन्हें बड़े पैमाने पर प्रैशर कुकर और उन्नत किस्म के स्टोव दिये जायें। इसके लिये वर्श 1991–92 में 60

लाख रूपये की राशि रखी है यूनीसैफ (UNICEF) की सहायता से कम लागत के सुलभ शौचालय बनवाने के लिये एक ग्रामीण सफाइ कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है। वर्श 1991–92 के दौरान सामुदायिक विकास के लिये 2.60 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

मैचिंग ग्रांट स्कीम

राज्य में जो भी पंचायत अथवा दूसरी संस्था विकास कार्यों के लिये पैसा इकट्ठा करती है उन्हें इस स्कीम के तहत बराबर की धनराशि ग्रांट के रूप में दी जाती है। महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार महिला स्कूलों और होस्टलों के लिये इकट्ठे किये गये धन से दोगुणा ग्रांट देती है। वर्श 1989–90 के अन्त तक 5612 विकास कार्यों के लिये 13 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि दी गई है। इस साल इस स्कीम में 3 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि दी गई है। यह स्कीम अगले वर्श भी जारी रहेगी जिसके लिये राज्य के हिस्से के रूप में 1 करोड़ 62 लाख रूपये रखे गये हैं मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस स्कीम के लिये पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। (तालिंया)

आवास

पिछले वर्शों में आवास की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना देना चाहिये था। सम्मान की जिन्दगी बसर करने के लिये यह एक बुनियादी जरूरत है। आवास निर्माण से बड़े

पैमाने पर रोजगार पैदार होता है और अर्थ–व्यवस्था भी बदलती है। इसके लिये योजना खर्च के अलावा हाऊस होल्ड सैक्टर (House hold sector) में बचत को बढ़ावा देना जरूरी है और वित्तीय संस्थाओं की मदद भी लेनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में व्यापक योजना बनाने की जरूरत है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। जहां तक सरकारी आवास का संबंध है, पंचकूला में सभी किस्म के 222 मकान बन रहे हैं और 45 ट्रांसिट फ्लैटों का निर्माण पूरा होने वाला है।

हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा अगस्त, 1971 में 31 मार्च, 1990 तक 33433 मकान बनाये गये हैं। इन मकानों में से 22888 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग के लोगों को दिये गये। जिन परिवारों के मकानों को वर्श 1988–89 की बाढ़ में नुक्सान हुआ था, उन्हें राहत देने के लिये लगभग 6 करोड़ रूपये के कर्जे दिये गये हैं। वर्श 1990–91 के दौरान आवास बोर्ड लगभग 1800 मकान बनायेगा जबकि वर्श 1989–90 में 445 मकान बनाये गये थे। राज्य सरकार विशेश संघटक (Component) योजना के अन्तर्गत शहरी इलाकों में अनुसूचित जातियों के लिये मकान बनाने के लिए वर्श 1990–91 के लिये 30 लाख रूपये कर्ज देगी। वर्श 1991–92 के दौरान लगभग 3000 मकान बनाने का प्रस्ताव रूपये कर्ज देगी। वर्श 1991–92 के दौरान लगभग 3000 मकान बनाने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार ग्रामीण, कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के उन लोगों को जिन्हें कहीं और से मदद नहीं मिलती आवास स्कीमों के तहत जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम से कर्ज लेकर मकानों की मुरम्मत अथवा निर्माण के लिये कर्ज भी देती है। वर्श 19901–91 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 14 करोड़ 31 लाख रूपये की राशि दी गई है।

हम सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या को सुलझाने तथा मकान बनाने के लिये ब्लाक स्तर तथा उप–मडल स्तर पर बड़ी तादाद में घर बनाने की योजगा पर विचार कर रहे हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जैसे राश्ट्रीय आवास निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, शहरी आवास विकास निगम आदि के सहयोग से व्यापक योजना बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये मकान मालिकों की बचत तथा सरकारी राशि का उपयोग भी किया जायेगा।

कर के ढांचे में सुधार

राज्य में गरीब तबके को राहत देने के लिये सरकार ने डबल रोटी और 25 रूपये तक की कीमत वाली हवाई चप्पलों पर बिक्री कर हटा दिया गया है। (तालियां) प्रमाणित बीजों पर बिक्री कर हटाने बारे मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। इस समय एक गलत प्रथा यह है कि औद्योगिक माल बनता तो हरियाणा में है परन्तु उसकी बिक्री हरियाणा से करने के बजाय वह माल ब्रांच

ट्रांसुर से हरियाणा के बाहर भेज दिया जाता है जिससे राज्य की बिक्री कर का नुक्सान होता है। इस बारे में सरकार ने उद्योगपतियों से बातचीत शुरू की है। यह भी सोचा जा रहा है कि प्रोत्साहन के तौर पर करों की दरों को इस तरह कम किया जाये कि राज्य की आमदनी पर असर न पड़े। इस दिशा में सरकार ने ट्रैक्टरों पर केन्द्रीय बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटाकार 2 प्रतिशत कर दिया है। कारों पर इस 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत तथा जीपों पर 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है। चने की दाल पर केन्द्रीय बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा चने पर कर 2 प्रतिशत से एक प्रतिशत किया गया है। नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये वर्श के दौरान 140 डद्योगों को बिक्री कर में छूट दी गई है। इसी प्रकार घाटे में चल रहे उद्योंगों को भी कामयाब रने के लिये 8 उद्योगों को अलग–अलग तरह की करों में रियायतें दी गई हैं।

सरकारी कर्मचारियों को सुविधायें

सरकार को यह अहसास है कि एक प्रभावशाली प्रशासन के लिये और विकास तथा कल्याण की स्कीमों के लागू करने में सरकार के कर्मचारियों का योगदान बहुत महत्व रखता है। सरकार भी अपना फर्ज समझती है कि हम अपने साधनों के दायरे में अपने कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी सुविधायें दें। कर्मचारियों को वर्श 1990 में पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से मंहगाई भत्ते की दो और किश्तें दी गई हैं। इससे राज्य पर 36

करोड़ 67 लाख रूपये का भार पड़ है। हमने इस साल वर्श 1988–89 तथा 1989–90 के लिये 27 दिनों के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस की दो किश्तें भारत सरकार के पैटर्न पर दे दी हैं। जिससे राज्य पर 40 करोड़ रूपये का भार पड़ा है। माननीय सदस्यगणों को यह जानकर खुशी होगी कि हमने वर्श 1990–91 के लिये भी एडहोक बोनस देनै का फैसला किया है। बोनस की अदायगी पहले की तरह अगले वर्श कर्मचारियों के भविश्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

माननीय सदस्यगणों को मालूम हैं कि अभी हाल की में 21 फरवरी, 1991 को कर्मचारियों को और भी अधिक सुविधायें दी गई हैं। माकन किराये भत्ते, सी.सी.ए. तथा मैडिकल भत्ते की दरों में काफी बढ़ौतरी की गई है। सरकार ने तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के सभी वेतनमानों में 10वें और 20वें वर्श में एक अतिरिक्त वेतन–वृद्धि (Increment) देने का निर्णय भी लिया है। जब कोई कर्मचारी अपने वेतनमान की आखरी सीमा तक पहुंच जाता है तो आज के नियमों के मुताबिक उसे 2 साल में एक वेतन–वृद्धि मिलती है। इसकी बजाए अब यह निर्णय लिया गया है कि तीसरे तथा चौथें वर्ग के कर्मचारियों को उनके अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के पश्चात् हर साल वेतन वृद्धि दी जायेगी जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। (तालियां) इस कदम स ही लगभग 8 करोड़ 50 लाख रूपये अतिरिक्त वार्शिक खर्चा होगा जबकि पिछले साल का वादा कर्मचारियों को 4 से 5 करोड़

रूपये का फायदा देने का था। एड–हॉक बोनस के मामले में नहरी पटवारियों को भी दूसरे कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है। मकान किराया भत्ता, मैडिकल भत्ता, सी.सी.ए. की दरों को बढ़ाने तथा अतिरिकत वेतन–वृद्धि देने के लगभग 30 करोड़ रूपये का अतिरिक्त सालाना खर्चा होगा।

13.00 बजे

हम यह महसूस करते हैं कि घर बनाने, मोटरगाड़ी अथवा दुपहिया गाड़ी खरीदने के लिये बहुत कम राशि नियत की जाती रही है जिसकी वजह से ऋण लेने के लिये कर्मचारियों को काफी लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। कर्मचारियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने मौजूदा साल के 5 करोड़ 56 लाख रूपये के मुकाबले अगले साल के लिये 13 करोड़ 87 लाख रूपये खर्च करने का फैसला किया है। इससे कारों और दुपहिया वाहनों की खरीद के लिये आगे सभी आवेदन पत्रों का निपटान हो जायेगा। सरकार इस सम्बन्ध में ऐसी स्कीम बनाना चाहती है जिससे अगले 5 से 7 साल के समय में दुपहिया वाहन के लिये सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों को कर्जा दिया जा सकते और इसी बीच एक ऐसा चलता फंड (Revolving Fund) बना लिया जाये जिससे उसके बाद दरखास्त देते ही कर्मचारी को दुपहिया वाहन के लिये कर्ज दिया जा सके। यह एक बेमिसाल सुविधा होगी। (तालियां)

माननीय सदस्यगण मुझे से सहमत होंगे कि साधनों की काफी कमी के बावजूद सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये अच्छी से अच्छी सुविधायें देने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हे कि हमारे कर्मचारी भी राज्य के विकास में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे।

बजट अनुमान

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, इस सदन के सामने चालू वर्श के संशोधित अनुमान और वर्श 1991–92 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। नीचे को तालिका में वर्श 1990–91 के संशोधित अनुमानों तथा वर्श 1991–92 के बजट अनुमानों के आधार पर राज्य की वित्तीय स्थिति बताई गई है।

रूपये करोड़ों में

संघटक			1989–90 संशोधित अनुमान	1989–90 लेखे	1990–91 बजट अनुमान	1990–91 संशोधित अनुमान	1991–92 बजट अनुमान
I.	**अवशेश –**						
	(क)	महालेखा कार की पुस्तकों के अनुसार	(–) 72.24	(–) 72.24	(–) 103.99	(–) 87.99	85.99
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–) 12.42	(–) 12.42	(–) 19.33	(–) 65.44	(–) 63.44
	(ग)	प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98
II.	**राजस्व लेखा –**						

	प्राप्तियां	1719.69	1607.24	1894.14	1946.10	2257.19
	खर्च	1779.68	1701.73	1915.98	2043.28	2305.32
	अधिशेश / घाटा	(–) 59.99	(–) 94.49	(–) 21.84	(–) 97.18	(–) 48.13
III.	**पूंजीगत खर्च**	90.02	132.68	151.26	142.62	179.34
IV.	लोक ऋण लिया गया ऋण	4440.39	390.38	553.27	580.93	731.48
	भुगतान	238.87	180.17	304.92	302.01	441.14
	निवल	(+) 201.52	(+) 210.21	(+) 248.35	(+) 278.92	(+) 317.34
V.	**कर्ज और पेशगियां**					
	पेशगियां	199.31	189.55	217.61	210.97	247.03
	वसूलियां	24.42	24.63	30.98	30.34	30.70

	निवल	(–) 170.89	(–) 164.92	(–) 186.63	(–) 180.63	(–) 216.33
VI.	अन्तर्राज्याय निपटान					
VII.	आक्समिकता निधि		(+) 0.59			
VIII.	लघु बचतें भविश्य निधि आदि	(+) 58.89	(+) 84.32	(+) 68.07	(+) 104.95	(+) 90.78
IX.	जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि उचत तगि विविध (निवल)	(+) 26.74	(+) 79.04	(+) 27.45	(+) 34.56	(+) 29.92
X.	प्रेशण निवल	(+) 6.00	(+) 2.18	(+) 4.00	(+) 4.00	(+) 4.00
XI.	वर्श का इतिशेश					
	(क) महालेखाकार हरियाणां के	(–) 103.99	(–) 87.99	(–) 115.85	(–) 85.99	(–) 87.75

		अनुसार					
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–) 19.33	(–) 65.44	(–) 31.19	(–) 63.44	(–) 65.20
	(ग)	प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98

संशोधित अनुमान 1990–91

वर्श 1990–91 के संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि चालू वर्श महालेखाकार के खातों के अनुसार 87.99 करोड़ के और भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 65.44 करोड़ रूपये के घाटे के साथ शुरू हुआ। बजअ अनुमानों में चालू वश्र के लिए 11.86 करोड़ रूपये के घाटे का अन्दाज था। संशोधित अनुमानों से यह घाटा 2 करेाड़ रूपये के छोटे से सरप्लस (अधिशेश) में बदल गया है और अब अन्दाजा यह है कि यह वर्श महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार 85.99 करोड़ रूपये और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 63.44 करोड़ रूपये के कुल घाटे से समाप्त होगा। यद्यपि संशोधित अनुमानों में रेवैन्यू आय लगभग 52 करोड़ रूपये बढ़ जाने की संभावना है, राजस्व खर्च भी 127 करोड़ रूपये और बढ़ जाएगा जिससे राजस्व घाटा लगभग 75 करोड़ रूपये का और होगा। रेवैन्यू आय में बढ़ौतरी मुख्यतया राज्य करों में 19.70 करोड़ रूपये की अधिक वसूली के कारण है इसमें वाहनों पर पथ कर के लगाने और यात्री कर की बढ़ौतरी से होने वाली आमदनी शामिल है। स्टाम्प, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर से मिला कर 9.83 करोड़ रूपये की बेहतर वसूली होने की सम्भावना है। टैक्सों के अलावा दूसरे राजस्व में 20.57 करोड़ रूपये की वृद्धि की वजह केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान में बढ़ौतरी (11.60 करोड़ रूपये) और किराया–भाड़ा बढ़ जाने के

कारण सड़क परिवहन की आय में वृद्धि है। अन्य विविध मदों का ब्यौरा वित्त सचिव के ज्ञापन में दिया गया है।

राजस्व में उस खर्च में बढौतरी जिसका सम्बन्ध योजना से नहीं है पुलिस (10.77 करोड़ रूपये), पैंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ (20.00 करोड़ रूपये), विविध सामान्य सेवाएं (36.13 करोड़ रूपये), सामान्य शिक्षा (12.47 करोड़ रूपये), सहकारिता (23.88 करोड़ रूपये), सड़क तथा परिवहन (11.34 करोड़ रूपये), और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता तथा एडहॉक बोनस देने के कारण है। योजना के तहत राजस्व खर्चे में 46.38 करोड़ रूपये की कमी हो गई है जो योजना के आकार को छोटा करने की वजह से है।

संशोधित अनुमान में पूंजीगत खर्चे में 8.64 करोड़ की कमी भी योजना के आकार को छोटा करने की वजह से हुई है। लोक ऋण से आय में 30.57 करोड़ रूपये की वृद्धि की वजह बाजार से कर्जे में ज्यादा वसूली (5.92 करोड़ रूपये) और भारत सरकार से प्राप्त कर्जो (24.30 करोड़ रूपये), में बढ़ौतररी के कारण है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और वसूली खाते में 6 करोड़ रूपये की बजत मुख्यतः योजनागत खर्च में कमी के कारण है। छोटी बचतों और भविश्य निधि आदि से कुल 36.88 करोड़ रूपये आय ज्यादा है, जो मुख्यतः एड–हॉक बोनस के बड़े भाग के कर्मचारियों की भविश्य निधि में जमा किए जाने के कारण है।

बजट अनुमान 1991–92

1991–92 में 1.76 करोड़ रूपये के थोड़े से वार्शिक घाटे के कारण साल के अन्त में कुल घाटा भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 65.20 करोड़ रहने का अनुमान हैं 1991–92 में केन्द्र चालित स्कीमों के लिए 136 करोड़ रूपये के अतिरिक्त, 765 करोड़ रूपये के राज्य योजनागत खर्च का उपबन्ध है। वर्श 1991–92 का राजस्व घाटा इस साल के मुकाबले 48.13 करोड़ रूपए कम है। वर्श 1991–92 के बजट की राजस्व वसूली के अनुमान चालू वर्श के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 311.69 करोड़ रूपये से ज्यादा है, जो केन्द्रीय कर में हमारे हिस्से (17.36 करोड़ रूपये), राज्य कर (208.25 करोड़ रूपये), टैक्सों के अलावा राजस्व (69.32 करोड़ रूपये) और सहायता अनुदान (16.17 करोड़ रूपये) को बढ़ौतरी के कारण है। राज्य कर से आय में बढ़ौतरी पथ कर की और बढ़े हुए यात्री कर की पूरे वर्श की वसूली तथा राजस्व में साधारण सालाना बढ़ौतरी के कारण है। टैक्सों के अलावा दूसरे राजस्व में वृद्धि मुख्यतया ब्याज की ज्यादा प्राप्ति (6. 09 करोड रूपये) और बढ़े हुए बस किराये के कारण सड़क परिवहन की आय में बढ़ौतरी (26.89 करोड़ रूपये) के कारण हैं। सामान्य विविध सेवाओं में प्राप्तियों में वृद्धि का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वैसी ही वृद्धि लाटरियों पर खर्च में ही जाती है।

राजस्व खर्चे में 262.04 करोड़ रूपये की वृद्धि है। योजना के अलावा रेवैन्यू खर्च में बढ़ौतरी के विशेश कारण ब्याज

की अदायगी में वृद्धि (63.68 करोड़ रूपये), मंहगाई भत्ते में संभावित बढ़ौतरी के लिए उपबन्ध (37.84 करोड़ रूपये) और पूंजीगत सम्पतियों के रखरखाव तथा वेतन, भत्तों तथा अनय खर्चों में वृद्धि के करण है। योजनागत राजस्व खर्च में 68.21 करोड़ रूपये की वृद्धि होगी।

लोक ऋण लेखे में वसूली में 38.42 करोड़ रूपये की निवल (Net) वृद्धि भारत सरकार से अधिक कर्जो (32.33 करोड़ रूपये) और अधिक बाजारी कर्जो (5.65 करोड़ रूपये) के कारण है। कर्जे तथा पेशगियों के तहत घाटा 35.70 करोड़ रूपये से बढ़ा है। यह वास्तव में विभिन्न बोर्डो ओर निगमों को योजना के तहत अधिक रकम देने और सरकार कर्मचारियों को अधिक ऋण (8.31 करोड़ रूपये) देने की व्यवस्था के कारण हैं। लघु बचतों तथा भविश निधि की प्राप्तियों में कमी का कारण यह है कि आगामी वर्श में केवल एक वर्श का एड–हॉक बोनस देय होगा जबकि चालू वर्श में दो वर्श का एडहॉक बोनस दिया गया है। इससे अगले साल भविश्य निधि में कर्मचारियों के बोनस की रकम कम शामिल होगी।

आगामी वर्श के लिए अनुमानित घाटे में हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को दी गई राहत के कारण लगभग 30 करोड़ रूपे का अतिरिक्त भार शामिल नहीं है। इस सारे घाटे को पूरा करने का इरादा नहीं है और मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूं। सरकार ने यात्री कर और पथ कर लगाकर और बिजली की दरों में वृद्धि

करके लगभग 115 करोड़ रूपये वार्शिक का भार पहले ही लोगों पर डाल दिया है। अब और कर लगाना सम्भव नहीं है। आशा है कि वर्श के दौरान केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से में कुछ वृद्धि होगी। अधिक प्रयत्न करके लघु बचतों से प्राप्तियां बढ़ने की गुंजाईश है। हम शीघ्र ही विस्तार से विभागीय खर्चों की जांच करेंगे जिससे उनमें कमी लाई जा सके। सरकारी उपक्रमों के काम पर और अधिक चौकसी रखी जाएगी। हमने राज्य की विशेश जिम्मेदारियों और समस्याओं के कारण विशेश सहायता के लिए भारत सरकार से भी अनुरोध किया है। भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें राज्य को आगामी पांच वर्शों में 2900 करोड़ रूपये की विशेश सहायता की आवश्यकता का विवरण दिया गया है। हमें उम्मीद है कि ''कन्साईनमैंट टैक्स'' के बारे में भी जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा। हम केन्द्र सरकार से यह मुद्दा उठाते रहे हैं। इससे हमारे साधनों में अच्छी बढ़ौतरी होगी। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार से हमें कुछ सहायत अवश्य मिलेगी। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आगामी वर्श का कुल घाटा असल में चालू वर्श के शुरू के घाटे से अधिक नहीं होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आगामी वर्श की योजना में शामिल विकास के कामों को मुकम्मल पूरा किया जाएगा। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए मैं आप सभी का, विधायकों का, सरकारी कर्मचारियों को, वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों को और सबसे ज्यादा हरियाणा की जनता का सहयोग मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन कर्मचारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इन बजट अनुमानों को सावधानीपूर्वक तैयार करने में कड़ी मेहनत की है। इसमें महालेखाकर, हरियाणा ने विशेश रूप से हमारी सहायता की है। वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बजट अनुमानों को ठीक समय पर तैयार, संकलित तथा प्रस्तुत करने में काफी मेहनत की है। राश्ट्रीय सूचना केन्द्र, हरियाणा की भूमिका भी विशेश रूप से सराहनीय रही है। उनकी सहायतासे आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे गैर–योजना बजट को सफलतापूर्वक कम्प्यूअर से तेयार किया है ऐसा देश में हमारे राज्य ने पहले किया है। (तालियां) इन कार्य के निपटान में संघ क्षेत्र (UT) की प्रैस तथा हरियाणा की प्रैस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अब मैं यह बजट अनुमान सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं। (तालियां)

जय हिन्द!

श्री उपाध्यक्ष: अब हाउस, 11 मार्च, 1991, बाद दोपहर 2.00 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

***13.18 बजे**

(तत्पश्चात् सदन, सोमवार, दिनांक 11.3.1991, बाद दोपहर 2.00 बजे तक *स्थापित हुआ।)

ANNEXURE 'A'

Excise and Taxation Inspectors

***1283. Smt. Kamla Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district-wise total number of posts of Excise and Taxation Inspectors lying vacant in the State at present separately;

(b) the district-wise number of appointments of Excise and Taxation Inspectors, if any, made during the year 1989 to to-date; and

(c) the criteria adopted for the appointments as referred to in part (b) above?

मुख्यमंत्री (श्री हुक्म सिंह): (क) व (ख) विवरण सदन के पटल पर रखा है।

(ग) आबकारी व कराधान निरीक्षकों के पदों को सीधी भर्ती, आबकारी व कराधान विभाग की स्थापना से पदोन्नति द्वारा और राज्य के अन्य विभागों या भारत सरकार के विभागों से

स्थानान्तरण द्वारा भरा जाता है। सीधी भर्ती के लिए उम्म्मीदवार ने किसी ममान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके बराबर परीक्षा पास की हो। पदोन्नति के लिए उसकी लगातार 3 वर्श की सरकारी सेवा और 50 वर्श से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए।

विवरण

क्र.स.	जिले के नाम	28.2.91 तक रिक्त पदों की संख्या		वर्श 1989 से अब तक की गई नियुक्तियों की संख्या	
		आबकारी निरीक्षक	कर निरीक्षक	आबकारी निरीक्षक	कर निरीक्षक
1	2	3	4	5	6
1	अम्बाला	1	2		14
2	भिवानी		3		7
3	फरीदाबाद (पूर्व)		2		6
4	फरीदाबाद (पश्चिम)	1	1	1	9

5	गुडगावां	2	12		18
6	हिसार	1	1	2	8
7	जीन्द			1	
8	जगाधरी	1	4	4	5
9	करनाल	2	3	1	5
10	कुरूक्षेत्र		4		2
11	कैथल		2		5
12	नारनौल		2		10
13	पानीपत		6	1	4
14	रोहतक		2	2	8
15	रिवाड़ी		2		6
16	सोनीपत		2		18
17	सिरसा		6	2	20
18	मुख्यालय		3		1
	कुल	15	57	14	146

ANNEXURE-B

Recruitment of Drivers and Conductors on ad-hoc basis in Transport Department

***1308. Sh. Parma Nand**: Whether Minister of State for Transport be pleased to refer to starred question No. 1099 answered on 19-3-1990 and to state –

(a) the deport-wise number of Drivers and Conductors recruited on ad-hoc and on 89 days basis together with number of persons belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and Ex-Servicemen; and

(b) whether the posts referred above have been filled up according to the reserved quota; if not, the reasons therefor?

परिवहन राज्य मंत्री: (श्री वेद सिंह)

क्र. स.	डिपो का नाम	तदर्थ आधार पर नियुक्त चालक				तदर्थ आधार पर नियुक्त परिचालक			
		कुल	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	कुल	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग	भूतपूर्व सैनिक
1	अम्बाला	14	4		7	14	4	2	
2	जीन्द	45	3	2					
3	कैथल	33	3	2					
4	सोनीपत	47	5	6	6	30	5	1	4
5	चण्डीगढ़	35	6	8	1	26	2	2	
6	करनाल	45	1	3		19	3	3	1

7	यमुनानगर	30	1	5		14	2	1	2
8	कुरूक्षेत्र								
9	गुड़गावां	24		2	3				
10	रिवाड़ी	38	5	2	2	23	3		
11	भिवानी	123	6	9	20	8	1	2	
12	फरीदाबाद	34	10	1	18				
13	रोहतक	69	1	6	5	28	5	2	
14	हिसार	69	1	7	1	90	8	7	
15	सिरसा	43	3	10	1	24	8	8	
16	दिल्ली	20		1	3				

17	फतेहाबाद	13							
	कुल योग	682	49	64	67	276	41	28	7

II) 89 दिन के आधार पर नियुक्त चालक और परिचालक = शून्य

ख) नहीं, उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण आरक्षण में कमी हुई।